हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 30 अगस्त, 2018 को अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विधान सभा कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

30.08.20128/1100/जेके/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 307

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, (क) (ख) एवं (ग)- सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है। क्योंकि जाते-जाते हमारे विपक्ष के मित्रों ने बहुत सारे संस्थान खोल दिए और कुछ संस्थान तो ऐसी जगह खोले गए, जिनकी नोटिफिकेशन रद्द करनी पड़ी । हिमाचल प्रदेश में वे स्थान भी नहीं मिल पाए। इसलिए इसमें थोड़ा-बहुत समय लगेगा लेकिन बहुत जल्दी ही यानि अगले सत्र में यह सूचना एकत्रित कर ली जाएगी।

30.08.20128/1100/जेके/एचके /2

प्रश्न संख्याः 738

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पीछे जो सरकार हिमाचल में रहीं, गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज चुवाड़ी 1996 में खोला गया लेकिन आज तक उस कॉलेज के नाम से एक इंच जगह नहीं है। पीछे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 लाख रूपया लैब के लिए दिया तो उस लैब को भी एक पुराने कमरे में डिजाइन करके बनाना पड़ा। पहले यह प्राइमरी स्कूल था। इसमें दो बीघा दो बिस्वा जगह गैर मरूसी है, जो शिक्षा विभाग के नाम है। उसके बाद यहां पर जे0बी0टी0 की क्लासें चली और वर्ष 1996 से यहां पर कॉलेज बना। यहां पर होस्टल के लिए पैसा सेंक्शन है और जिनकी जमीन है उन्होंने उसमें कोर्ट से स्टे ले लिया है। इसमें ओ0बी0सी0 गर्ल्ज़ होस्टल के लिए पैसा आया हुआ है और उन्होंने स्टे ले लिया, काम नहीं हो पा रहा है। मैं, माननीय मंत्री महोदय जी

के ध्यान में लाना चाहूंगा कि वे मुआवज़ा मांग रहे हैं। क्या उनको जो वे मुआवज़ा मांग रहे हैं, सरकार उचित मुआवज़ा देगी?

दूसरे, गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज सिहुंता पिछली बार गर्ल्ज स्कूल में खोल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि जमीन सुनिश्चित करने के लिए कमेटी चयन करके भेजें ताकि वहां पर गवर्नमैंट लैंड मिल जाए और वह कॉलेज के नाम हो जाए फिर वहां पर बिल्डिंग बनाई जाए।

स्वास्थ्य मंत्री श्री एस0 एस द्वारा जारी---------

30.08.2018/1105/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 738 क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बहुत विस्तार से प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है परन्तु माननीय विधायक की जो चिन्ता है वह बहुत वाजिब है, जायज है। सबसे पहले इन्होंने राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी के बारे में प्रश्न किया है। ठीक कहा है, जो चुवाड़ी में महाविद्यालय की बात इन्होंने की है वहां जो भूमि अधिग्रहण है वह रेवेन्यू डिपार्टमैंट के अनुसार जो रिकॉर्ड हमारे पास आया है वह शिक्षा विभाग के नाम है। जैसे कि बताया गया कि यह डिग्री कॉलेज 1994-95 में चला परन्तु जो जमीन है वह शिक्षा विभाग के नाम है ही नहीं। जिसका मामला शिक्षा विभाग के नाम करवाने हेतु उच्च-न्यायालय में चला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहता हूं कि यह मामला कोर्ट में चला हुआ है। जब यह मामला डलहौजी कोर्ट में चला तो वहां केस हार गए। सैशन कोर्ट में जीत गए। अब हाई कोर्ट में यह केस चल रहा है। सरकार की ओर से प्रयास है कि एडवोकेट जनरल के माध्यम से जल्दी-से-जल्दी इस मामले की पैरवी की जाए ताकि वहां पर जो भूमि संबंधी विवाद है वह हल हो सके।

दूसरा, इन्होंने सिहुंता के बारे में भी प्रश्न पूछा है। राजकीय महाविद्यालय सिहुंता की भूमि शिक्षा विभाग के नाम करवाने हेतु मामला वन विभाग से उठाया गया है और मैं यह भी

बताना चाहता हूं कि यह एस्पिरेशनल जिला है। भारत सरकार ने देश के जो घोषित पिछड़े जिला हैं उनमें चम्बा जिला भी एस्पिरेशनल जिले में भारत सरकार ने डाला है। राजकीय महाविद्यालय सिहुंता की भूमि की अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल का संबंध है वह एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल भी दी गई है। लगभग 14 करोड़ रुपया इस कॉलेज के भवन निर्माण के लिए खर्च होना है और मु0 1,66,31000/- रुपया भी जमा करवा दिया गया है। **मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह मामला वन विभाग के साथ उलझा हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी-से-जल्दी इस विषय को टेक अप करके हल किया जाए। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।**

अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक छोटा-सा प्रश्न पूछिये।

30.08.2018/1105/SS-DC/2

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, इसमें छः माध्यमिक पाठशालाएं हैं। एक इसमें गवर्नमैंट मिडल स्कूल खुईं हैं। पिछली सरकार ने वहां पर मिडल स्कूल का फट्टा लगा दिया लेकिन वहां पर प्राईमरी स्कूल भी नहीं है। उसका क्या होगा?

दूसरा, जो खुईं, रंगड, कैलू, बिडल, त्रिठा और बिन्ना इत्यादि मिडल स्कूल अपग्रेड कर दिए गए, न यहां पर जगह है, न ही कोई बजट का प्रावधान था और न ही यहां कोई टीचर है। कृपया इसके ऊपर सरकार विचार करे, इसके लिए भवन दे और टीचर की व्यवस्था करे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, एक विषय छूट गया था। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि जो देश में एस्पिरेशनल जिला घोषित किये हैं तो उन एस्पिरेशनल जिला में चम्बा के सभी शैक्षणिक संस्थानों की जहां जितनी समस्याएं हैं चाहे वे जमीन संबंधी समस्याएं हैं उन्हें निपटने हेतु उपायुक्त, चम्बा को प्राधिकृत कर दिया गया है। चम्बा में ही नहीं बल्कि देश में इस प्रकार के जितने भी एस्पिरेशनल जिला हैं उनमें अब ये मामले जिलाधीश के स्तर पर निपटा दिये जायेंगे। डी0सी0 रेवेन्यू अथोरिटी भी है इसलिए वे उनके स्तर पर हल किये जायेंगे।

दूसरा, विधायक महोदय ने बहुत चिन्ता प्रकट की है और इनकी चिन्ता मुझे भी ठीक लग रही है । कहीं बिन्ना मिडल स्कूल बताया और कहीं अन्य स्कूल बताये कि अपग्रेड कर दिए हैं, कुछ फट्टे लग गए, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं नहीं हैं। वैसे तो इस प्रकार के जितने संस्थान हैं उनको सरकार ने रिव्यू में रखा हुआ है। रिव्यू करने के बाद वहां की अद्यतन स्थिति क्या है उसको देखने के बाद शिक्षा विभाग फैसला करेगा, ये मैं माननीय विधायक को आश्वस्त करना चाहता हूं।

जारी श्रीमती के0एस0

30.08.2018/1110/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्याः 739

श्री अनिरुद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि अभी आई.जी.एम.सी. में किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो रही है इसके कारण लोगों को दिल्ली या चण्डीगढ़ में एम्ज़ या पी.जी.आई. जाना पड़ता है। इसके प्रत्यारोपण की प्रक्रिया भी सरल नहीं है। इसमें कई लीगल एस्पैक्ट्स हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी आई.जी.एम.सी. में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए क्योंकि वहां पर नया ब्लॉक भी अब शुरू होने वाला है ताकि हमारे गरीब लोगों को इसकी सुविधा मिल सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्य श्री अनिरुद्ध जी ने जो प्रश्न किया है, एक तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और इस माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि मार्च के महीने में जब बजट सैशन हुआ था, उस समय बजट में गुर्दा प्रत्यारोपण हिमाचल प्रदेश और आई.जी.एम.सी. में शुरू हो, उसके लिए 4 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान किया गया है। दूसरा, जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है उसके लिए स्किल्ड स्टाफ की जरूरत होती है। जब बजट में 4 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया तो सबसे पहले इसके लिए जो निश्चेतन विशेषज्ञ जिसको अंग्रेजी में ऐनस्थीज़िआ के

डॉक्टर कहा जाता है, जो बेहोश करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होना जरूरी है और इस ट्रेनिंग के लिए लगभग 4 निश्चेतन विशेषज्ञ हमने लिए हैं जिनकी लगभग 15 से 30 दिनों की ट्रेनिंग एम्ज़ और पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में होगी।

अध्यक्ष महोदय, जब सर्जरी होती है और गुर्दे का प्रत्यारोपण होता है तो जो हमारे शल्य चिकित्सक है, सर्जरी वाले डॉक्टर्ज़ हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाए, इस उद्देश्य से इनकी ट्रेनिंग 3 महीनों की होगी और यह प्रशिक्षण भी एम्ज़ और पी.जी.आई. में होगा। दो में से एक चिकित्सक एम्ज़, नई दिल्ली भेजा जा चुका है। गुर्दा पत्यारोपण के लिए ट्रेंड नर्सिज़ भी चाहिए होती हैं । वहां पर दो ऐसे स्टाफ के लोग चाहिए जो जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो आई.सी.यू. में हों

30.08.2018/1110/केएस/एचके/2

इसलिए उनका भी प्रशिक्षण जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि जब गुर्दा प्रत्यारोपण होता है तो उसमें नैफ्रोलॉजी वालों का ही काम नहीं होता, गुर्दा प्रत्यारोपण का काम तो युरोलोजी वाले करते हैं, सर्जरी वाले करते हैं ओर नेफ्रोलॉजी वाले करते हैं। तो मरीज को बेहोश कैसे किया जाए, कितनी समय सीमा में किया जाए, उसकी भी ट्रेनिंग उनकी एम्ज़ और चण्डीगढ़ में हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में हमारे चीफ सैक्रेटरी महोदय ने 10.07.2018 को सचिवालय में एक बैठक रखी थी जिसमें एम्ज़ के डॉक्टर्ज़ भी आए थे और शिमला मैडिकल कॉलेज के डॉक्टर्ज़ भी आए थे। वहां पर विस्तार से सारी बैठक हुई

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

30.8.2018/1115/av/HK/1

प्रश्न संख्या : 739---------- क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री---------- जारी

और मुख्य सचिव साहब ने सरकार के माध्यम से कुछ मोडेलिटीज तय की है। हमारी यह कोशिश रहेगी कि ओपरेशन थियेटर को 3-4 नवम्बर, 2018 तक अपग्रेड कर दिया जायेगा। चिकित्सकों का प्रशिक्षण जनवरी, 2019 तक पूरा हो जायेगा। इसके अतिरिक्त जो वैधानिक औपचारिकताएं हैं उसको हम अक्तूबर, 2018 तक पूर्ण कर देंगे।। इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में प्रत्यारोपण का कार्य फरवरी, 2019 में शुरू हो जायेगा; मैं इन सारी बातों से मान्य सदन को अवगत करवाना चाहता हूं। गुर्दा प्रत्यारोपण का कार्य पी0जी0आई0 या एम्स में होता है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का भी आग्रह है कि इन सारी औपचारिकताओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाए। बजट में जो 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तो अब वह दिन दूर नहीं; आने वाले दिनों में गुर्दा प्रत्यारोपण का कार्य आई0जी0एम0सी0, शिमला में होगा और इन सारे अनथक प्रयासों के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, राकेश पठानिया जी, आप अपना छोटा सा प्रश्न करें क्योंकि अभी बाकी प्रश्न भी करने है।

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में डायलाइसिस के काफी सैंटर खुल रहे हैं जिससे हिमाचल के मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश में शुगर के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह रीनल ट्रांसप्लांट का प्रश्न है।

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। आप डॉक्टर हैं, डायलाइसिस के बाद ही किडनी के ऊपर पहुंचते हैं। माननीय सदस्य श्री अनिरुद्ध जी ने मंत्री जी से जो किडनी ट्रांसप्लांट की बात पूछी है उसके लिए मैं

30.8.2018/1115/av/HK/2

आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी पार्टी की सरकार हिमाचल और केंद्र; दोंनों जगह है तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हिमाचल के हैं। इसलिए क्या आप एम्स या पी0जी0आई0 में हिमाचलियों के लिए एक-एस स्पैशल डायलाइसिस सैंटर खोलने का प्रयास करेंगे जहां पर हम अपने मरीजों को भेज सकें?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विधायक साहब ने जो प्रश्न पूछा है उसमें वैसे तो आज की तारीख में गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए लोग पी0जी0आई0 और एम्स जा रहे हैं। लेकिन अब हम सारी व्यवस्थाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं और मैं यह भी बताना चाहता हूं दिल्ली एम्स में गुर्दा प्रत्यारोपण करने वाले मशहूर डॉक्टर बंसल साहब ने यह कहा है कि 20 गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए वे स्वयं या उनकी टीम यहां पर आयेगी। विभाग इसके लिए प्रदेश में बहुत बड़ा इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है।

30.8.2018/1115/av/HK/3

<u>प्रश्न संख्या : 740</u>

श्री हर्षवर्धन चौहान : अध्यक्ष महोदय, शिलाई के अंतर्गत दो पटवार सर्कल शिलाई और क्यारी का जो बन्दोवस्त हो रहा है, यह बहुत लम्बे अर्से से हो रहा है। शिलाई की तरह दूसरे छोटे-छोटे कस्बे शहर का रूप ले रहे हैं। वहां पर रैवन्यू के रिकार्ड डेमेज्ड हैं और उससे सरकार को घाटा हो रहा है क्योंकि रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है तथा एग्रीमैंट के आधार पर जमीन बेची जा रही है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि शिलाई का सैटलमैंट का कार्य आप कब तक खत्म कर देंगे? क्या आप उसको प्राथमिकता के आधार पर करेंगे?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में डिजिटाईजेशन हो रहा है जिसके अंतर्गत रैवन्यू रिकार्ड को अपडेट किया जा रहा है। मेरे पास यहां पर जिला सिरमौर का रिकार्ड है जिसमें Digitalized Musavial of sheets found with error.

श्री टी सी वर्मा द्वारा जारी

30.08.2018/1120/TCV/YK-1

प्रश्न संख्याः 740 ..... क्रमागत्

श्री हर्षवर्धन चौहान.... जारी

इसमें जो डिफेक्ट्स हैं, वह पूरे जिला सिरमौर में 664 हैं। जिसमें से शिलाई तहसील के 40, कमराऊ के 119 और रोनहाट सब-तहसील के 166 हैं, जो सबसे ज्यादा है। जो पटवार सर्कल हलां है, उसमें तो टोटल ही रैवन्यू रिकॉर्ड खत्म है। माननीय मुख्य मंत्री जी शिलाई में अभी सेटलमेंट करने वाले लोग मौजूद हैं, क्या आप हलां में भी पुनः सेटलमेंट करवाएंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है, उसमें दो पटवार सर्कलों का ज़िक्र हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि स्टॉफ की कमी रही और स्टॉफ की कमी के कारण ये कार्य चल तो रहा है लेकिन धीमी गति से चल रहा है। बन्दोबस्त का काम बहुत जटिल होता है, इसमें बहुत बारीकी में जाना पड़ता है। अभी फरवरी के महीने में हमने 7 पटवारी वहां पर और भेजें हैं ताकि यह कार्य जल्दी हो सकें। वर्तमान में वहां पर 11 पटवारी और 3 कानूनगो हैं जो इस काम को पूर्ण कर रहे हैं। आपने कुछ पटवार सर्कल की जानकारी चाही है, वहां रिकार्ड मैच नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा अन्दर है। जिसके कारण वहां के लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि किस वज़ह से यह दिक्कत आ रही है। आधुनिक तकनीक से जो हम काम कर रहे हैं उसमें और हमारा जो पुराना सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चीजें मैच नहीं करती है,

यह सच्चाई है। जो लट्ठे और मुसाबी वाला रिकॉर्ड होता है, वह कुछ जगह मैच नहीं करता है। उसमें जो टैक्निकल खामियां हैं, जिनके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे।

30.08.2018/1120/TCV/YK-1

अध्यक्ष महोदय, तहसील शिलाई के दोनों पटवार-वृत्त - शिलाई और क्यारीघोटा मौहाल की पुरानी मुसाबी, मौमी व लट्ठा की हालत बहुत ही दयनीय है । क्योंकि इनको रख-रखाव की दृष्टि से ठीक प्रकार से मैंटेन नहीं कर पाते थे, जिसके कारण पूरे प्रदेश भर में यह स्थिति हुई है। वह इस स्थिति में नहीं है कि उसकी सहायता से अभिलेख बनाये जा सकें। इस कारण अभिलेख को पुनः निर्माण करने व नये अभिलेख को अन्तिम रूप देने में अधिक समय लग रहा है। फिर भी विभाग इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। शिलाई विधान सभा क्षेत्र के अन्य पटवार-वृत्तों व उप-तहसील रोनहाट के गांवों में बन्दोबस्त करने का कार्य विचाराधीन नहीं है। ज्यों ही उपरोक्त मौहालों में बन्दोबस्त का कार्य मुकम्मल हो जाता है, उसके पश्चात शेष बचे पटवार-वृत्तों और उप-तहसील रोनहाट के बन्दोबस्त का कार्य करने के लिए उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि जल्दी-से-जल्दी यह काम हो, यदि हमारा यह सेटलमेंट का काम जल्दी हो जाता है तो इससे लोगों को जमींन से संबंधित कामकाज निपटाने में बहुत सुविधा मिलेगी।

अगला प्रश्न श्रीमती एन0एस0 .... द्वारा जारी।

30-08-2018/1125/NS/YK/1

प्रश्न संख्याः 741

श्री जवाहर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, द्रंग विधान सभा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें विकास के अंदर 14 पंचायतें ओ0बी0सी0 में और 4 पंचायतें पिछड़ा क्षेत्र में आती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षण संस्थान तो खोले गये हैं लेकिन धरातल में देखा

जाए तो हमारे स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, न तो आधारभूत ढांचा है और न ही बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। कमरों और खेलों की कोई सुविधा नहीं है। कहीं पर भी टाट-पट्टियां मुहैया नहीं हैं। स्कूल तो एक और दो किलोमीटर में भी हाई और मिडल खोले गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीनियर सेकैंडरी, हाई और मिडल स्कूल खोले गये हैं, लेकिन अगर आप अध्यापकों की संख्या देंखे और सरकार द्वारा जो सूचना दी गई है, उसमें कम-से-कम 337 पद रिक्त चल रहे हैं। यदि हम इनमें लिपिक, सेवादार, प्रयोगशाला परिचर और दैनिक वेतन भोगी को मिलायें तो 82 और पद खाली चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 72 साल आज़ादी के बावजूद भी मेरा विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और यह क्षेत्र गरीब क्षेत्र में आता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप कृपया प्रश्न पूछें।

श्री जवाहर ठाकुरः मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में अध्यापकों की संख्या और आधारभूत ढांचे की जो कमी है, इसको आने वाले समय में पूरा किया जाये। मेरा माननीय मंत्री जी से इसके लिए अनुरोध रहेगा। मैं सरकार का आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार सरकार ने "मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजना" के तहत स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में न तो जवाहर नवोदय विद्यालय और न ही कोई केंद्रीय विद्यालय है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में पहली मेरे विधान सभा क्षेत्र खास तौर पर चौहार क्षेत्र जोकि ओ0बी0सी0 और एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, को प्राथमिकता दी जाये। मैं चाहूंगा कि जल्दी-से-जल्दी इन रिक्त पदों को भरा जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे अनुसार हम अपने बच्चों को मीठा ज़हर दे रहे हैं क्योंकि गरीब परिवार अपने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा सकता है। मेरे प्रश्न के उत्तर में जो संख्या दर्शायी गई है, ये स्थिति सभी पाठशालाओं की है। मेरा अनुरोध रहेगा कि आने वाले समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में जो रिक्त पद हैं, उनको शीघ्र भरा जाए।

30-08-2018/1125/NS/YK/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जवाहर जी ने अपने विधान सभा क्षेत्र द्रंग के बारे में प्रश्न किया है। इनकी चिन्ता वाज़िब है और यह कह रहे हैं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। अभी यह क्षेत्र पिछड़ा क्यों रहा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने

कहा है कि द्रंग विधान सभा क्षेत्र में संस्थान खोल दिये गये। लेकिन संस्थानों को खोलने के लिए जो मानक निर्धारित किये जाते हैं, उनको पूरा नहीं किया गया है।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

30.08.2018/1130/RKS/AG-1

प्रश्न संख्याः741... जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री .... जारी

अध्यापकों की नियुक्तियों के बारे में कोई चिन्ता नहीं की गई। हां, यह जरूर है कि स्कूलों के बोर्ड लगा दिए गए। द्रंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के माननीय विधायक इन सारी बातों से व्यथित हैं। अगर स्कूलों में अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस दिशा में शिक्षा विभाग को कारगर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। एक स्कूल को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है ताकि स्कूल का माहौल अच्छा बन सके और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश जारी किए हैं। दूसरा, आपने रिक्तियों की बात कही। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में TGT के लगभग 470 पद भरे गए हैं और आने वाले दिनों में स्टाफ सलैक्शन कमीशन, हमीरपुर के माध्यम से 2350 TGTs बैचवाइज भरे जाएंगे। JBTs की नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं। लगभग 1500 JBTs की नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग स्कूलों में होंगी। मैं यह कह सकता हूं कि खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 8 महीनों में कारगर कदम उठाए हैं और उन कारगर कदमों से द्रंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के स्कूलों की रिक्तियों को भी भरा जाएगा। माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर स्कूलों में उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहां पर खेल के मैदान, टाट-पट्टियां इत्यादि उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इसके लिए आप लिखित रूप से हमें बताएं ताकि हम शिक्षा विभाग को निर्देश दे सके कि इसके लिए कारगर कदम उठाए

जाएं। आपने मुख्य मंत्री आदर्श विद्यालय की बात कही। मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगा कि आप इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके शिक्षा विभाग को लिखित रूप में दे, शिक्षा विभाग इस पर अवश्य कदम उठाएगा।

30.08.2018/1130/RKS/AG-2

Question No. 742

Shri Hoshyar Singh: Thank you, Speaker, Sir. जो जवाब मिला है I want to know from the Hon'ble Chief Minister that what was the time frame to complete the work of tarring. From the reply, it is clear that the contractor has failed to complete the contract of tarring within a stipulated period of time. 12.6 kms is still pending. I also want to know that what penalty is imposed and what action for the delay is taken against the contractor?

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, देहरा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के 32 कार्य, जिनकी कुल लम्बाई 71.896 किलोमीटर है, सात ठेकेदारों को आबंटित किए गए हैं। 59.231 किलोमीटर टारिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है और 12.665 किलोमीटर टारिंग का शेष कार्य वर्षा ऋतु के पश्चात् अक्तूबर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गत वर्ष देहरा विधान सभा क्षेत्र के आबंटित कार्यों में 16.2458 किलोमीटर सड़कों की टारिंग की गई। माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा कि इनके चुनाव क्षेत्र के सारे कामों में विलम्ब हुआ है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अलग-अलग तारीख में टैंडर हुए हैं और इनकी कंप्लीशन भी अलग-अलग तारीख में हुई है।

श्री बी0एस0 द्वारा.... जारी

30.08.2018/1135/बी.एस/ए.जी./-1

प्रश्न संख्या 742 क्रमांगत

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ... जारी....

यदि आप किसी विशेष कार्य की बात करना चाहते हैं तो माननीय सदस्य मुझे अवश्य उस सम्बन्ध में लिखकर दे सकते हैं। जैसा इन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में निर्माण कार्यों के संबंध में प्रश्न उठाया है। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि इन कार्यों में से कुछ कार्य पूर्ण कर लिए हैं और कुछ कार्य अभी प्रगति पर हैं। इनमें से नगंल - सुनेट वाली सड़क का निर्माण कार्य दिनांक 16.7.2017 को पूर्ण हो जाना चाहिए था। परंतु अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। इसके अलावा जो अन्य कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं उनके बारे में मैं माननीय सदस्य को बता देता हूं। एक periodical renewal for the year 2018-2019 on various roads under Dehra sub-division - ये काम 26.05.2018 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था इसमें थोड़ी देरी हुई है। एक इसी प्रकार की renewal for the year 2018-2019 on various roads under Dehra sub-division - श्री बी0पी0 शर्मा ठेकेदार है उन्हें इस कार्य को आबंटित किया गया है। इस कार्य को पूर्ण करने की जो तिथि है वह 26.08.2018 है। Periodical renewal for the year 2018-2019 on various roads under Dehra sub-division - कई अन्य कार्य जो अलग-अलग स्थानों पर श्री बी.पी. शर्मा को आबंटित हुए हैं, वे अभी अधूरे हैं। परंतु खाबली - मयोली वाला जो भाग है इसे पूर्ण करना था। वह भी अभी अधूरा पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, बनखंडी-केरिया वाला पोर्सन तो कम्पलीट है परंतु बनखंडी-हरिपुर वाला एरिया अधूरा है। यह कार्य भी 27.05.2018 तक पूर्ण होना था । इसके अतिरिक्त एक और सड़क construction of link road to Village Kular - लिंक रोड़ कोलार्ड है, यह कार्य दिनांक 25.08.2017 को पूर्ण करने की डेट थी, इसमें भी विलम्ब हुआ है, इसका निर्माण कार्य अभी चला हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। मैं समझता हूं कि यदि कोई कार्य शुरू हुआ है तो वह समय पर पूर्ण होना चाहिए। हम सुनिश्चित करेंगे और विशेषतया मैं देख

रहा हूं कि इनमें अधिकतर कार्य जो पूर्ण नहीं हुए हैं ये ज्यादातर कार्य एक ही ठेकेदार के पास हैं। यदि उन्होंने यह कार्य लोक निर्माण विभाग के नार्मज के मुताबिक पूर्ण नहीं किए हैं और देरी की है तो उसके बारे में उनसे पूछा भी जाएगा और आवश्यकता होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी।

30.08.2018/1135/बी.एस/ए.जी./-2

प्रश्न सख्या 743

श्री सुरेश कुमार कश्यप : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया जी से विस्तार से यहां पर प्रश्न के उत्तर को रखा है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने सिवरेज सिस्टम के निर्माण पर कोई प्रतिबंध लगाया है ? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में कोई ऐसा निर्णय लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सिवरेज की नई स्कीमों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। आज प्रदेश में स्मपूर्ण स्वच्छता अभियान चला हुआ है और हमारे माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 2022 तक पूरे देश को स्वच्छ करने का निर्णय लिया है। तो क्या सरकार प्रतिबंध की शर्त को उसे वापिस लेगी? जिन कस्बों में सिवरेज सिस्टम नहीं है, क्या उन कस्बों में सिवरेज सिस्टम का निर्माण कार्य किया जाएगा?

श्री डी.टी. द्वारा जारी ....

30.08.2018/1140/DT/DC/-1

प्रश्न संख्या 743 क्रमागत

शहरी विकास मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय,ये जो सारी स्कीमज हैं इसमें योजना विभाग ने निर्देश दिये है कि इसमें कोई भी नई सिवरेज स्कीम को अनुमोदित न करें। क्योंकि कई निकायों से इनके यूटिलाईज़ेशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुयें हैं। मेरे विभाग द्वारा योजना विभाग को पत्र लिखा गया है कि प्रदेश में कई ऐसे शहर व कस्बे हैं जिनमें सिवरेज की स्कीम नहीं है वहां पर यह पाबन्दी हटा दी जाये। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य ने राजगढ़ के बारे में प्रश्न किया है मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगी कि यहां पर 1820 लाख की डी०पी०आर० तैयार की गई है इसके लिए आई०पी० एच० विभाग को 3.10 लाख रूपये दे दिए गए हैं। ए०ए०एण्ड ई०एस० बनाकर सरकार को भेज दी गई थी लेकिन वित्त विभाग की कुछ ऑबज़र्वेशन के साथ यह वापिस आई है। हम इस मामले को देख रहे हैं। जो प्लानिग विभाग की ऑबज़र्वेशन हैं हम उसके अनुरूप कार्य कर रहें हैं क्योंकि हमनें सभी निकायों में पैसे दिये है ओर कई निकायों में कार्य प्रगति पर हैं और कुछ में कार्य पूरे हो गये हैं। प्रदेश में सभी निकायों में अलग-अलग स्टेजिज़ में काम चल रहे हैं। जो बचे हुए निकाय है उसके लिए भी हमारा विभाग डी०पी०आरज़ बना रहा है।

श्री सुख राम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि नगर परिषद पांवटा साहिब का मल निकासी योजना का कार्य कब स्वीकृत हुआ था और कब यह कार्य शुरू हुआ? अभी तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? मैं थोड़ी सी जानकारी यहां देना चाहता हूं कि 3 सितम्बर,1998 से यह काम लगा है लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी जगहों पर यह कार्य चल रहा है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि यह कार्य 1998 से चला है तो मैं कहना चाहूंगी कि काफी

30.08.2018/1140/DT/DC/-2

वर्षों से धीरे-धीरे यह काम एग्जीक्यूट होता रहा। मैंने अपने उत्तर में हर विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। जहां पर कार्य को स्पीड-अप करने की जरूरत होगी हम करेंगे।

श्री सुरेश कश्यप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि राजगढ़ की करीब 18 करोड़ की डी0पी0आर0 बनी है जिसमें से 3.10 करोड़ रुपया आई0पी0एच0 विभाग को दिया गया था। मैं माननीय मंत्री महोदया से आश्वासन चाहूंगा कि राजगढ़ का जो सिवरेज सिस्टम है उसका जल्दी निर्माण कर दिया जाए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से वाकिफ हूं। मैं बताना चाहूंगी कि विभाग ने इसकी डी0पी0आर0 बना कर इसमें पैसा भी एलोकेट किया है। हमने आई0पी0एच0 को भी 3.10 करोड़ रुपये दिए थे। लेकिन प्लानिगं विभाग ने उसमें कुछ आबजर्वेशन लगा रखी है । जब प्लानिंग विभाग हमें अनुमति देगा तो जो बाकी निकाय बचें है उसमें भी हम काम शुरू करवा देंगे। विभाग द्वारा इसमें पैसा भी उपलब्ध करवाया गया है, इनकी डी0पी0आरज़ भी तैयार कर ली गई है। लेकिन इसमें कार्य को करने वाली मुख्य ऐजेन्सी आई0पी0एच0 ही है क्योंकि आई०पी०एच० विभाग ही यह काम करता है। डी0पी0आर0 आई 0पी0एच0 विभाग द्वारा बनाई जाती है और वह Central Institute of Public Health, दिल्ली की गाइड लाइनज़ के आधार पर ही सारी डी0पी0आर0 बनती हैं। टैक्निकल रिर्पोट की स्वीकृति जैसे ही हमें आती है वैसे ही हम यू०एल०बी० के माध्यम से आई०पी०एच० विभाग को पैसा देते हैं । आपके केस में हमनें यह पैसा दिया है और जो काम की एग्जयूकेशन है वह आई०पी०एच० विभाग के माध्यम से होनी है। आई०पी०एच० विभाग भी काम करने के लिए तैयार है लेकिन जो प्लानिंग डिर्पाटमेण्ट है वो सरकार को बताये कि काम कैसे होना है।

श्री एन जी द्वारा जारी...

30/8/2018/1145/डी0सी0/एन0जी0-1

प्रश्न संख्या 743 क्रमागत

श्री परमजीत सिंह पम्मीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पुछना चाहता हूं कि नगर परिषद बद्दी की सिवरेज सिस्टम की लाईन है वह 33 करोड़ से बनी थी और इसमें लाईन बिछ गई है । माननीय मुख्यमन्त्री जी के कारण हमारी सड़कों की दशा सुधरी थी । इस सिवरेज लाईन में सुधार करने के लिए उन सड़को को फिर उखाडेंगे । मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं की इसे जल्द से जल्द जोड़ने की कृपा करें ।

शहरी विकास मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्ताह पहले ही शनिवार को एक कार्यक्रम के लिए नगर परिषद बद्दी गई थी । उस समय भी यह बात मेरे ध्यान में लाई गई थी। उसी समय विभाग को निर्देश दे दिए गए थे कि जहां पर पाईप लाईन को दोबारा लेय करने की आवश्यक्ता है वहां पर नियम के अनुसार खुदाई करें । लोक निर्माण विभाग के नियम है कि रिपेयर के लिए ज़ारी किये गये पैसे के अनुसार ही खुदाई की जाने वाली सड़कों का रिपेयर कार्य किया जायेगा । मैं माननीय सदस्य से कहना चाहुंगी की हम नगर परिषद बद्दी के कार्यों को स्पीड-अप अवश्य करेंगे।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मन्त्री जी से कहना चाहुंगा कि आप जो जवाब दे रहे हैं वह स्टीरियों टाईप जवाब है जो आपको विभाग लिख कर देता है । जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई है उसको जानने का प्रयास करें । सच्चाई यह है कि जो माननीय सदस्य, श्री सुखराम चौधरी जी ने कहा है वही हाल हमारे क्षेत्र में है । 19 साल से स्कीम पर काम चला हुआ है और अभी तक 50 प्रतिशत कार्य भी नहीं हुआ है । आप जवाब दे रहें है कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग वाले करेंगे । समस्या यह है कि ज़मीनी स्तर पर विभागों का आपस में तालमेल नहीं है, न आपके विभाग में और न सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में । ई.ओ. से पुछो तो वो कहता है कि एक्स.ई.एन. से बात करो

और एक्स.ई.एन. से पुछो तो वो कहते हैं कि पैसा ई.ओ. ने देना है। जब तक जमीनी स्तर पर विभागों में आपसी तालमेल नहीं बनेगा तब तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। आपसी तालमेल न होने के कारण हो क्या रहा है, कि जो स्कीम 4 करोड़ में पूर्ण होनी थी

30/8/2018/1145/डी0सी0/एन0जी0-2

Look at the costing? It has increased 15 percent. वह 18-20 साल में 15 गुणा बढ़ गई। वह पैसा कहां से आ रहा है? ये लोगों का पैसा है। जो कार्य 2 लाख में होना था वह अब 40 लाख में बन रहा है। इसके लिए एक स्ट्रोंग को-ओर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, जो सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को और आपके विभाग को को-ओर्डिनेट करे और धरातल पर काम करे ताकि जो कार्य पिछले 19 सालों से पूर्ण नहीं हो रहा है उसे पूर्ण किया जा सके।

शहरी विकास मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि 18-19 साल से स्कीम चल रही है। मैं बताना चाहती हूं कि इनके क्षेत्र में 2006 से स्कीम चल रही है। विभागों के साथ-साथ यह विषय जितने भी माननीय विधायक हैं उनकी चिन्ता का भी है। हमारी सरकार ने 7-8 महीनों में हर जगह पैसा भी दिया। मैं आपके ध्यान में लाना चाहुंगी कि मेरे विभाग ने 2017-18 में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को 41 करोड़ रूपये रिलीज किए है और इसके साथ-साथ 10 करोड़ रूपये मैनटेनैंस के लिए दिए हैं। अगले वर्ष 2018-19 की योजना में भी 30 करोड़ का बजट उपलब्ध किया गया है और 10 करोड़ रूपये ओपरेशन और मैनटेनैंस के लिए दिया गया है। हमारी सरकार और विभाग पुरी तरह से चिन्तित है। हम लगातार इसे मोनिटर कर रहे हैं। जितने भी माननीय विधायक है, पिछले 7-8 महीनों में किसी ने भी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग या हमारे विभाग को कोई पत्र नहीं लिखा है कि उनके क्षेत्र का काम कहां तक पहुंचा, कितना स्पीड-अप होना है। इसके बावजूद हम स्वयं ही इस बात की चिन्ता कर रहे हैं। मैं इस बात को भी मानती हूं कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हैं या हमारी सरकार, इन कार्यो में विभागों का काम स्पीड-अप होना चाहिए।

लोक निर्माण विभाग की सड़कों की लगातार मैंनटेनैंस की जाती हैं। आई.पी.एच. की स्कीमों की मैंनटेनैंस जातीं है और हमारें विभाग के भी जितने काम आते हैं उनमें भी लगातार मैनटेनैंस की जाती है और नई चीजें भी बनती है, इन सब में समय लगता है । जितना पैसा सरकार के पास होता है उतना पैसा कार्य में लगाया जाता है । माननीय विधायक, आप भी इन सब में थोड़ा चिन्ता करा करें और विभाग के ध्यान में लायें । हम भी अपने स्तर पर कार्यों को स्पीड़-अप करते रहते हैं । आपने प्रश्न लगाया और हमने लगातार

30/8/2018/1145/डी0सी0/एन0जी0-3

योजना विभाग से मामला उठाया । हमारा विभाग चिन्तित है और पैसे उपलब्ध करवा रहा है । जैसे आपने स्पीड-अप करने के लिए प्रश्न लगाया, जोकि आपका अधिकार है, वैसे ही आप विभाग से पत्राचार करें, माननीय मुख्यमन्त्री माननीय मन्त्रियों के ध्यान में लाते रहें तो निश्चित रूप से कार्य आगे बढ़ेगा । पिछले 19 सालों तक जो भी आपके क्षेत्र में विधायक रहे उन्हें भी इन कार्यों के स्पीड-अप के लिए देखते रहना चाहिए था तो कार्य और भी अधिक गति से होता । मेरे विभाग का जहां तक सवाल है तो हम कार्यों को अवश्य ही स्पीड-अप करेंगे ।

श्री सतपाल सिंह रायजादाः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से यह पुछना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऊना, मैहतपुर और संतोषगढ़ तीन स्थानों में सिवरेज स्कीम बन रही है । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ऊना की स्कीम का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

30/08/2015/1150/RG/HK/1

प्रश्न सं. 743---क्रमागत

श्री सतपाल सिंह रायजादा-----जारी

मैहतपुर में वर्ष 1996 में जो स्कीम बनी थी। उसमें 245 लाख रुपये लगना था और इन्होंने बीस लाख रुपये ही दिया, संतोखगढ़ के लिए इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। यह भी वर्ष 1996 में स्कीम बनी है और इसमें लिखा हुआ है कि 'कार्य प्रगति पर है।' तो बिना पैसे के यह कैसे प्रगति पर है? वर्ष 1996 से यह स्कीम चली हुई है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात है कि ऊना में जो सीवरेज स्कीम बनी है, वह भी नहीं चल रही है। जो इन्होंने कहा है कि वह पूरी हो चुकी है, लेकिन वह भी नहीं चल रही है। ये अधिकारी लोग जो भी सरकार आती है, उसको बहकाते हैं और गलत बताते हैं। आप हमारे ऊना में आइए और इन तीनों स्कीमों को चलते देखिए कि यह कार्य कैसा है? आप आई थीं, लेकिन उस कार्यक्रम में हमें नहीं बुलाया गया था। यदि मैं वहां होता, तो मैं उस कार्य के बारे में जरूर बताता।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इनके ऊना विधान सभा क्षेत्र में मैं दो बार सरकारी विजिट पर गई हूं। एक बार तो मैंने एक कार्यशाला रखी थी और एक बार और गई थी, जब वहां गेम्स का एक कार्यक्रम था। तो दोनों बार जो-जो वहां कार्यकर्ता थे, मुझे पार्क्स की बात कही गई। मैंने उस समय तीस लाख रुपये अनाउन्स किए, वह पैसा वहां पहुंच और ऊना में उसका काम भी लगा हुआ है। मैं यह आपके विधान सभा क्षेत्र की बात कह रही हूं। जहां तक आपने ऊना और टाहलीवाला में प्लांट की बात की है, ऊना वाला जो काम विभाग ने करना था, पूरा हो गया है और कनैक्शन जोड़ने की कोई बात रह गई होगी, तो आप हमारे ध्यान में लाना। जैसा मैंने कहा कि इस साल के लिए, हम लम्पसम पैसा देते हैं, बाकी विभाग जहां-जहां कार्य प्रगति पर होता है, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को उसके अनुसार पैसा आबंटित करता है। हमने अभी 41 करोड़ रुपये रिलीज किए हैं। उसमें से सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग जो भी सही समझेगा, अब आपने यह मामला मेरे ध्यान में लाया है, मैं भी इसको देख लूंगी कि कितना पैसा किस लेवल पर लगना है, उसको रिलीज करवाएंगे। इसके अतिरिक्त सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग तथा शहरी विकास विभाग की एक कोआर्डिनेशन कमेटी बनाकर इस पर काम तेज करेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा कि मेरे विधान क्षेत्र में नगर पंचायत चुवाड़ी का भी यही हाल है, उस

30/08/2015/1150/RG/HK/2

स्कीम की डी.पी.आर. बन चुकी है। श्री राकेश पठानिया जी ने कहा कि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग तथा शहरी विकास विभाग जब तक ये बैठकर इन चीजों को डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक यह काम शुरू होना वाला नहीं है, यह सही है। आज चुवाड़ी की सीवरेज स्कीम के लिए लगभग आठ वर्ष पैसा स्वीकृत हुए हो गए हैं, डी.पी.आर. बन चुकी है। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग से पूछो, तो कहते हैं कि पैसा नहीं आया, शहरी विकास विभाग से पूछो, तो कहते हैं कि डी.पी.आर. नहीं बनी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करुंगा कि दोनों विभागों को बुलाकर अपने पास बैठाएं, उन्हें निर्देश दिए जाएं कि जो काम लंबित हैं, उन्हें शीघ्र शुरू किया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदया से इसके लिए आश्वासन चाहता हूं।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की कोआर्डिनेशन कमेटी बनाकर हमने सारे मामले को देखने के लिए पहले ही आश्वासन दिया है। **हम इन कामों को स्पीड अप करेंगे। मैंने तो पैसा देना होता है, मैंने सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को दिया है। हम इन कामों को स्पीड अप कर लेंगे।**

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, इससे पहले कि श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी बोलें, यह बहुत लंबी सूची है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाहन जिला मुख्यालय है और उसका नाम इसमें शामिल ही नहीं है। अगर आप उसको भी इसमें शामिल कर दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। वह बने या नहीं, यह तो बाद की बात है।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र नालागढ़ में म्युनिसपल कमेटी का सीवरेज का काम शुरू हुआ था, लेकिन आजकल काम बंद है और जब हमने पता किया, तो बताया गया कि उसमें बजट नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इसमें कब तक बजट का प्रावधान कर दिया जाएगा? वहां सड़कें टूटी-फूटी पड़ी हैं। अगर सीवरेज का काम जल्दी हो जाएगा, तो लोगों को राहत मिल सकेगी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इसमें कहा है कि हम सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करके इन सारे कामों को, मैं फिर से रिव्यु कर लेती हूं,

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

30/08/2018/1155/MS/HK/1

प्रश्न संख्याः 743 क्रमागत---
शहरी विकास मंत्री-------

जहां तक पैसे की कमी की बात है, जैसा मैंने पहले भी बताया, वह हो ही नहीं सकती है। सरकार बनते ही हमने सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को 41 करोड़ रुपये दिया है और काम को स्पीडअप करने के लिए हम सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठ लेंगे। हम ऐसे ही हवा में कह दें कि पैसा नहीं है, यह ठीक नहीं है अनलैस आप हमें कोई पत्र बताएं कि इस विभाग ने कहा है। पैसे की कोई कमी नहीं है बल्कि मैंने आपको फिगर बताई है। मैंने तो अगले साल के लिए भी मैंटीनैंस और बाकी कामों के लिए जो पैसा है उसके बारे में पूरी जानकारी सदन में दे दी है कि 41 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए गए हैं और 10 करोड़ रुपये हमने मैंटीनैंस के लिए इस साल दिए हैं। तो कुल-मिलाकर 51 करोड़ रुपया इस सरकार ने दिया है।

अध्यक्ष जी ने जो नाहन की चिन्ता व्यक्त की है, निश्चित रूप से विभाग सभी जगहों पर काम करना चाहता है। जैसे ही प्लानिंग से रोक हट जाएगी तो बाकी यू0एल0बीज0 में भी काम शुरू हो जाएंगे। हम तो डी0पी0आर्ज0 बनवा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। हम तो प्लानिंग की वेट कर रहे हैं।

अध्यक्षः रायजादा जी कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। आप जल्दी से पूछिए।

श्री सतपाल सिंह रायजादाः मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जब आप ऊना आते हैं तो जैसे आपने कहा कि जो कार्यकर्त्ताओं ने बताया, वह किया। मैडम, हम वहां के विधायक हैं इसलिए कार्यकर्त्ताओं से ज्यादा अच्छा आपको हम बता सकते हैं कि कहां काम हो रहा है और कहां नहीं हो रहा है। इससे बड़ी बात यह है कि पिछली सरकारों के समय भी हमने कहा था, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि,

अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिए।

श्री सतपाल सिंह रायजादाः जो भी सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग या दूसरे विभाग हैं इनमें आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि न ही कोई कार्य प्रगति पर है और न ही कोई कार्य खत्म हुआ है। इसलिए आप ऊना में आइए और हम आपको वहां बताएंगे कि क्या काम हो रहे हैं।

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

30/08/2018/1155/MS/HK/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने इस प्रश्न का काफी विस्तार से जवाब दिया है लेकिन एक व्यवहारिक कठिनाई हम अनुभव कर रहे हैं जोकि सभी माननीय सदस्यों की बातों से जाहिर हुई है कि इसमें शहरी विकास विभाग और सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में कॉर्डिनेशन की कुछ समस्या है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि जहां कुछ मैकेनिज्म बनाने की भी आवश्यकता होगी, वहां उसे बनाएंगे। उसके साथ-साथ मैं यह भी देख रहा हूं कि शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए शहरी विकास विभाग को केन्द्र पैसा देता है और उसके बाद यहां हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे प्रदेश भर में जो पानी की सभी समस्याओं से संबंधित महकमा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग है और सारे शहरी क्षेत्रों में इस मैकेनिज्म के कॉर्डिनेशन के लिए हमारी स्टाफिंग आई0पी0एच0 से होती है और वहां यू0डी0 में रहती है। कुछ जगह ऐसी समस्या रही है कि जहां काम जितनी गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि इसका भी एक मैकेनिज्म बने और एक इफैक्टिव मॉनिटरिंग हो ताकि जो काम शुरू हुए हैं उनको जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जा सके और जो काम शुरू करने हैं वे भी जल्दी से शुरू हो सकें।

दूसरे, अध्यक्ष जी, मैं यह भी चाह रहा हूं कि हमारे जितने भी कारपोरेशन्ज हैं, नगर परिषद, नगर पंचायत और यू0डी0 डिपार्टमैंट है, पूरे प्रदेश के लिए पर्टिकुलरली सीवरेज का एक प्रोजैक्ट बनाएं, जोकि सभी लोगों की चिन्ता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए हम एक प्रोजैक्ट केन्द्र से लाने के लिए कोशिश करेंगे और मैं चाहूंगा कि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग और शहरी विकास

विभाग थोड़ा सा आपस में कॉर्डिनेशन करके इसके लिए एक मैकेनिज्म डवलप करें और एक प्रोजैक्ट बनाकर हम केन्द्र सरकार के सामने रखें तथा उसमें ज्यादा-से-ज्यादा पैसा ला करके ताकि हमारी पूरे प्रदेश की जो सीवरेज की व्यवस्था है, खासकर शहरी क्षेत्रों की है, उसको ठीक करने के लिए हम आगे काम कर सकें, उस दृष्टि से हम प्रयास करेंगे।

अगला प्रश्न श्री जे0के0 द्वारा----

30.08.20128/1200/जेके/वाईके/1

प्रश्न संख्याः 744

श्री रविन्द्र कुमारः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग-क व ग में मुझे छोटी-छोटी क्लैरिफिकेशन चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो सूचना क-भाग में दी गई है यदि इंस्टीच्युशनवाइज़ होती तो मैं अपनी बात यहां पर सार्थक रूप से रख सकता था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसे संस्थान हैल्थ से रिलेटिड हैं जहां पर बहुत सारी तारें लटकी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि 8 डॉक्टर्ज़ की इन्होंने मेरी विधान सभा में पोस्टिंग की लेकिन उनमें से मात्र 4 डॉक्टर ही ज्वाइन कर सके और उन चार ने अपनी अडजैस्टमैंट अन्यत्र कर ली थी। मैं, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह आश्वासन चांहूगा कि एकमात्र जो हॉस्पिटल मेरे विधान सभा क्षेत्र जयसिंहपुर में है, कम से कम वह हॉस्पिटल 24X7 घण्टें चले और ग-भाग में 108 एम्बुलैंस से संबंधित प्रश्न था। प्लानिंग की बैठक के दौरान जो 108 एम्बुलैंस से रिलेटिड बात रखी गई थी तो तब यह इशू नहीं था कि कम माइलेज के कारण वहां से शिफ्ट की गई है। यदि इस मद में सूचना एकत्रित करने के बाद वहां से 108 एम्बुलैंस को स्थानांतरित किया गया है उस सूचना से संबंधित जो भी जानकारी हो उसे सभा पटल पर रखें कि जयसिंहपुर को ही इसके लिए क्यों चुना गया?

अध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी कृपया इसका लिखित उत्तर माननीय सदस्य को दे दें।

प्रश्नकाल समाप्त

30.08.20128/1200/जेके/वाईके/2

श्री राकेश सिंघाः **अध्यक्ष महोदय.....**

अध्यक्षः राकेश सिंघा जी ज़ीरो ऑवर नहीं होता है। आपका नोटिस आ गया है। आज प्राइवेट मैम्बर डे है और प्राइवेट मैम्बर डे में नोटिसिज़ नहीं लगते हैं। अब कल का दिन हमारे पास है उसमें जितना समय उपलब्ध होगा, उसके मुताबिक देख लेंगे। मेरे पास आपका नोटिस आ चुका है।

30.08.20128/1200/जेके/वाईके/3

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17;

30.08.20128/1200/जेके/वाईके/4

ii. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोतों से जनरेशन का प्रचार और टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें (पहला संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःएचपीईआरसी/428 दिनांक 07.05.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.05.2018 को प्रकाशित;

iii. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (शार्ट टर्म ओपन एक्सेस) (पहला संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/418 दिनांक 11.06.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.06.2018 को प्रकाशित; और

iv. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग आपूर्ति संहिता(दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/Secy/151 दिनांक 31.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.08.2018 को प्रकाशित ।

30.08.20128/1200/जेके/वाईके/5

अध्यक्षः अब उद्योग मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

उद्योग मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17;

ii. बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा (Balance Sheet) वर्ष 2016-17;और

iii. हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के वार्षिक लेखे, वर्ष 2015-16 (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित) ।

30.08.20128/1200/जेके/वाईके/6

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्षः अब श्री हर्षवर्धन चौहान, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19)समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति के **31वें मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 75वां कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

ii. समिति के **58वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 68वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि पर्यटन और नागरिक उड्डयन से सम्बन्धित है; और

iii. समिति के **65वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 110वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है ।

30.08.20128/1200/जेके/वाईके/7

अध्यक्षः अब श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति का चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री राम लाल ठाकुर, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, का दशम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)जो कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14(आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा 3.3 से 3.7 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

30.08.20128/1200/जेके/वाईके/8

<u>माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश में सब-ट्रोपिकल होर्टिकल्चर एवं एकीकृत खुम्ब विकास परियोजना बारे अपना वक्तव्य सदन में प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

30.08.2018/1205/SS-YK/1

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से जो हमारा सब-ट्रोपिकल होर्टिकल्चर का क्षेत्र है उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट के सन्दर्भ में अपना वक्तव्य इस माननीय सदन में देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में बागवानी की अपार सम्भावनाओं तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 11 मई, 2018 को

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय नीति आयोग एवं वित्त मंत्रालय को प्रारूप तैयार कर बाह्य वित्त पोषण हेतु (External Funding) हेतु भेजा गया था।

अध्यक्ष महोदय, यह परियोजना देश के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की सोच व किसानों-बागवानों की आय को दुगुना करने के संकल्प के मध्यनज़र तैयार की गई थी।

इस परियोजना को प्रदेश के 10 जिलों में पड़ने वाले सभी 54 विकास खण्डों में लागू किया जायेगा तथा लगभग 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में नए बगीचों की स्थापना की जायेगी व प्रदेश के लगभग 50 हजार बागवान परिवार सीधे लाभान्वित होंगे।

अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय तथा नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा इस परियोजना की संस्तुति के उपरांत केन्द्रीय वित्त मंत्रालय भारत सरकार, नयी दिल्ली के आर्थिक मामले विभाग ने 14 जून, 2018 को 84वीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को एशियन विकास बैंक के माध्यम से मु0 1688 करोड़ रुपया बाह्य वित्त पोषण हेतु स्वीकृत किया गया है। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को जहां बधाई देता हूं वहीं विभाग को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि बहुत मेहनत करके इस सारे प्रोजैक्ट को तैयार करके प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना की 80 प्रतिशत राशि एशियन विकास बैंक द्वारा तथा 20 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। परियोजना की कुल राशि 1688 करोड़ रुपये है। एशियन विकास बैंक का हिस्सा इसमें 1350.40 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार का हिस्सा 337.60 करोड़ रुपये है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि इस परियोजना के

30.08.2018/1205/SS-YK/2

अन्तर्गत बीज से बाजार तक संकल्पना के आधार पर बागवानी विकास किया जायेगा। नये बगीचों की स्थापना तथा पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार करने के लिए बागवानों को उपयुक्त पौध सामग्री से लेकर सामूहिक विपणन तक की सहायता एवं सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

बागवानी में सिंचाई के महत्व के मध्यनज़र इस परियोजना में एकल तथा सामुदायिक स्तर पर सिंचाई के बुनियादी ढांचों के निर्माण एवं सुधार हेतु विशेष प्रावधान किया गया है।

परियोजना के अन्तर्गत विशेष रूप से लघु एवं सीमांत बागवानों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, व्यवसायिओं, किसानों एवं संबंधित समूहों व अन्य सेवा प्रदाताओं को बढ़ावा दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बंदरों तथा जंगली जानवरों के आतंक के कारण खेती छोड़ चुके किसान-बागवानों को दोबारा से आधुनिक बागवानी के साथ जोड़ा जायेगा। जिसके लिए इस परियोजना में सोलर व कांटेदार बाड़ लगाने का प्रावधान भी किया गया है।

इस परियोजना में मिनी फूड पार्क की स्थापना की जायेगी ताकि मूल्यवर्धन को अधिकतम, बर्बादी को न्यूनतम, किसानों की आय में वृद्धि और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

प्रदेश में हार्टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त स्थानों को चिन्हित किया जायेगा तथा इन स्थानों पर फलों की सघन खेती, संरक्षित खेती व सौन्दर्यकरण प्रदर्शन फार्म की भी स्थापना की जायेगी।

जारी श्रीमती के0एस0

30.08.2018/1210/केएस/एजी/1

मुख्य मंत्री जारी----

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार द्वारा 6 जुलाई, 2018 को एक अन्य 423 रु0 की एकीकृत खुम्ब विकास परियोजना भारत सरकार को बाह्य वित्त पोषण हेतु भेजी गई थी। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग ने कृषि मंत्रालय एवं नीति आयोग के अनुमोदन पर 17 जुलाई, 2018 को 1688

करोड़ रु0 की परियोजना के अतिरिक्त स्वीकृत की गई है। 423 करोड़ रु0 अलग से स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत खुम्ब उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी तथा वातानुकुलित में कंट्रोल्ड कंडिशन्ज़, बीज उत्पादन से लेकर खुम्ब के प्रोसैसिंग युनिट की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना में प्रदेश के सभी जिलों के खुम्ब उत्पादकों को खाद्य, बीज व खुम्ब उत्पादन हेतु प्रशिक्षण तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। खुम्ब की खेती में विशषकर महिलाओं तथा बेरोज़गार युवकों की भागीदारी से लगभग 10 हजार स्वरोज़गार के अवसर सृजित होंगे। अब एशियन डवैल्पमैंट बैंक के सहयोग से इन परियोजनाओं की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी जिसके आधार पर इसे क्रियान्वित किया जाएगा। मैं प्रदेश के इन बागवानी विकास परियोजनाओं को स्वीकृत करवाने हेतु माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का और कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी का उनके व्यक्तिगत प्रयासों के लिए अपनी एवं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आभार प्रकट करता हूं।

30.08.2018/1210/केएस/एजी/2

बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय कुछ वक्तव्य देना चाहेंगें।

बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य देने से पहले मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा क्योंकि जब मैं वक्तव्य देता हूं तो विपक्ष के लोग बाहर निकल जाते हैं। मैं सबसे पहले इनसे इतना कहना चाहूंगा कि ये पहले मेरा वक्तव्य सुन लें और ये पक्ष जो प्रैस में और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बाहर रखा गया सरकार की क्या नीति है, सरकार किसके माध्यम से काम करना चाहती है, उसके बारे में मैं वक्तव्य देना चाहता हूं और जो काल्पनिक घाटे की बात की, काल्पनिक घाटा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि यदि प्रोजैक्ट लगते तो इतना घाटा होता या इतना प्रोफिट होता, मैं काल्पनिक घाटा इसलिए

भी कहना चाहता हूं कि यहां पर जो फैक्ट्स रखे गए, उनको मैं दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा और दूसरा, ...(व्यवधान)..

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा नीति पर यहां पर डिस्कशन हो चुकी है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसकी पहली ही दो लाइनों में यह बता दिया था कि 12 परसेंट .... (व्यवधान)...

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः मुकेश जी, आप बैठिए तो सही। मुझे पहले ही पता था कि आपने सुनना नहीं है। ... (व्यवधान)... अब तो मैं स्टेटमैंट ले करुंगा। ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने चर्चा का जवाब दिया अब इनको लग रहा है कि गवर्नमैंट कॉर्नर हो गई। ...(व्यवधान)... ऐसा नहीं होता। आपने 12 परसेंट फ्री पावर उन प्रोजैक्ट्स को डैफर कर दी जो पहले से अलॉटिड थे। उनमें भी वह लागू कर दी।....(व्यवधान)...

30.08.2018/1210/केएस/एजी/3

अध्यक्षः मुकेश जी, आपको जब समय देंगें, आप तब बोलिए। ..(व्यवधान)...कायदे-कानून क्या, मैंने मंत्री को ले करने की इजाज़त दी है। मंत्री जी, आप अपनी बात करिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, आप एक तरफा हाउस चलाना चाहते हैं1 ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः आप क्या कह रहे हैं? एक तरफा का क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं ...(व्यवधान)... मंत्री का अधिकार है स्टेटमैंट देने का। ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः 12 परसेंट फ्री पावर आपने 12 साल के लिए डैफर कर दी ...(व्यवधान)...

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

30.8.2018/1215/av/ag/1

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप स्टेटमैंट दीजिए। (---व्यवधान---) माननीय सदस्य, मुकेश अग्निहोत्री जी, आप बैठ जाइए। (---व्यवधान---) मुख्य मंत्री जी, अपनी स्टेटमैंट देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस मान्य सदन में माननीय मंत्री जी एक वक्तव्य देना चाहते हैं और आपने इनको अपना वक्तव्य देने के लिए इज़ाजत दी है। इस विषय पर मान्य सदन में पहले भी चर्चा हुई थी लेकिन वह आधी-अधूरी हुई। विपक्ष ने पूरी बात नहीं सुनी इसलिए आज वक्तव्य देने की आवश्यकता महसूस हुई है ताकि फैक्चुअल पोजिशन मान्य सदन के रिकार्ड में आए। यहां इस विषय पर चर्चा करने के लिए (---व्यवधान--)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। उस दिन यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित नहीं थे। (---व्यवधान---)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुकेश जी, आप बैठ जाइए। (---व्यवधान---) मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इस विषय पर चर्चा हुई थी उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं थे। (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं और अभी आप बैठिए। मैंने अभी मुख्य मंत्री जी को अलाउ किया है। (---व्यवधान---)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, (---व्यवधान---)

Speaker : What do you mean by that? हम पूरी जिम्मेवारी के साथ इस माननीय सदन को चला रहे हैं। (---व्यवधान---)

30.8.2018/1215/av/ag/2

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं चलेगा। जब हमारी पार्टी की सरकार सत्ता में थी तो आप सब लोग स्पीकर की चेयर और मुख्य मंत्री जी की सीट के पास जाकर नारेबाजी करते थे। (---व्यवधान---) अभी आप मुख्य मंत्री जी को किस रूल के तहत बोलने के लिए अलाउ कर रहे हैं? (---व्यवधान---) प्रदेश सरकार ने हिमाचल के हित बेच दिए। (---व्यवधान---) हाइड्रो प्रोजैक्ट से जो 12 प्रतिशत की रॉयल्टी मिलती थी, उसको आपने खत्म कर दिया जिसके लिए समय-समय पर शांता कुमार जी, प्रेम कुमार धूमल जी और राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकारें लड़ती रहीं। यह प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। (---व्यवधान---)

(पक्ष और विपक्ष; दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू की गई।)

बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : मैं उसी के बारे में स्टेटमैंट दे रहा हूं, आप लोग सुन तो लीजिए। (---व्यवधान---)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय मंत्री जी, ऐसे नहीं चलेगा। जब आपके मन में आयेगा, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। (---व्यवधान---)

(पक्ष और विपक्ष; दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही।)

बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : आप लोग सुनने की क्षमता रखिए। (-व्यवधान-)

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप लोग इनकी बात को सुनिए।

मुख्य मंत्री : श्री टी सी वर्मा द्वारा जारी

30.08.2018/1220/TCV/DC-1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं , अभी जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी ने देनी थी, ---(व्यवधान)--- आपको क्या मालूम है कि मंत्री जी क्या बोलने जा रहे हैं। आप उनको बोलने तो दीजिए। आप बोलने से पहले ही ---(व्यवधान)--- बोलने से पहले ही उनको नहीं रोका जा सकता है। सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, जिनको आपने इजाज़त दी है और वहां से कहा कि आप नहीं बोल सकते हैं। ---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आपने अभी स्टेटमेंट दी, हमने उसको सुना। ---(व्यवधान)--- आज पता लग गया है कि आपने हिमाचल प्रदेश के सारे हित बेच दिए हैं। आपने 12% फ्री पॉवर जो हिमाचल प्रदेश की पॉलिसी थी ---(व्यवधान)---

मुख्य मंत्रीः मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। हिमाचल के हितों की चिन्ता के बारे में मुझे लगता है कि जितनी चिन्ता आप कर रहे उससे कहीं ज्यादा हम कर रहे हैं और मैं चिन्ता की ही बात नहीं, रक्षा की बात भी कर सकता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी हम पिछले एक दशक से हर काम को रोक कर बैठे हुए हैं। ---(व्यवधान)--- आप इस हाउस का माहौल खराब कर रहे हैं। आप सुन तो लीजिए। ---(व्यवधान)--- अध्यक्ष महोदय, एक बार माननीय मंत्री जी अपने विचार रख लें, वे विस्तार से अपनी स्टेटमेंट दे दें, जो तथ्य रह गये हैं, उनको पूरा कर लें । उसके बाद जो चर्चा करनी है, उसके लिए हम तैयार हैं।

अध्यक्षः मैं, सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम-317 के अन्तर्गत कोई भी मंत्री अध्यक्ष की अनुमति से लोकहित के विषय में वक्तव्य दे सकेगा और उसके पश्चात् ---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष जी,यह थोट बाद का है। ---(व्यवधान)--

30.08.2018/1220/TCV/DC-1

अध्यक्षः मुझे बात करने दें। मैंने मंत्री जी को बोलने की अनुमति दी है। माननीय मंत्री जी आप अपना वक्तव्य रखें और बाकी बीच में बातें न करें। ---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आपने हमारे प्रश्न नहीं लगाये। ---(व्यवधान)---

(**विपक्ष के सभी सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये**)

अध्यक्षः नियम के अनुरूप मंत्री को वक्तव्य देने का अधिकार पीठ द्वारा दिया गया और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग प्रतिपक्ष के नेता ने किया,

श्रीमती एन0एस0 .... द्वारा जारी।

30-08-2018/1225/NS/DC/1

अध्यक्ष ------जारी।

जो उन्हें सूट करता है, वह ठीक है और जो सूट नहीं करता है, वह ठीक नहीं है। यह निन्दनीय है। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में हमने कई वर्षों से कई अध्यक्षों को इस सदन का संचालन करते देखा है। जितने सरल और सहज़ स्वभाव से सबको अवसर देना, सबको अपनी बात रखने का अधिकार देना तथा चर्चा में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, उस दृष्टि से खुलापन अबकी बार आपके माध्यम से इस माननीय सदन में हमने देखा है। आज से ऐसा पहले बहुत कम देखने को मिला है। जहां तक आज की बात है तो माननीय मंत्री जी ने एक स्टेटमैंट देने के लिए व्यवस्था के अनुसार आपसे इज़ाजत ले करके इस माननीय सदन में अपनी बात कहने का प्रयास किया है। इस सारे मामले को ले करके विपक्ष की ओर से यह बहुत अनावश्यक था कि यह स्टेटमैंट नहीं हो सकती है।

नियमों के प्रावधान के अनुसार आपने इज़ाजत दी और उस इज़ाजत के अनुसार मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए। अभी मंत्री जी बोलना शुरू कर ही रहे थे और मंत्री जी ने क्या बोलना है, यह जानकारी विपक्ष वालों को थी। लेकिन इसके बावजूद भी सुनना ही नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था कि इनके बहुत सारे साथी पहले तैयार नहीं थे और वे नहीं चाहते थे कि ये सारी परिस्थिति हो। लेकिन विपक्ष के नेता ने इस माननीय सदन में जिन शब्दों का चयन और प्रयोग किया है, वह अध्यक्ष के पद और कुर्सी की गरिमा के लिए बहुत बड़ी ठेस है। जो शब्द विपक्ष के नेता ने इस माननीय सदन में इस्तेमाल किये हैं और अगर ये शब्द रिकॉर्ड में आये हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनको कार्यवाही से निकाला जाए। अगर रिकॉर्ड में नहीं भी आए हैं तो भी इन शब्दों की भर्त्तसना होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह विपक्ष तय नहीं करेगा कि हमने किस विषय पर बोलना है और किस विषय पर स्टेटमैंट देनी है। यह विपक्ष तय नहीं करेगा कि अध्यक्ष महोदय किस चर्चा के लिए इज़ाज़त देंगे और किस विषय पर इज़ाजत नहीं देंगे। नियमों के अनुसार सारी कार्यवाही चल रही है और व्यवस्थित ढंग से चल रही है। इसलिए आज के दिन खबर बनाने के लिए कोई गुंजाइश निकल आये, इसके लिए रास्ता निकाला और अनावश्यक रूप से इस माननीय सदन से उठ करके चले गये। मैं इसकी घोर

30-08-2018/1225/NS/DC/2

निन्दा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी यह बड़े स्पष्ट शब्दों के कहा है। लेकिन जिस तरह से गलत तरीके से बाहर एक विषय को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें सरकार को ठीक पक्ष रखने का अधिकार है और इस अधिकार के अनुसार इस माननीय सदन में माननीय मंत्री जी अपनी स्टेटमैंट देंगे। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने आपकी चेयर के खिलाफ़ जो शब्द इस्तेमाल किये हैं, उनकी घोर निन्दा करता हूं। सिर्फ राजनीतिक मकसद से कि कोई खबर नहीं बन रही है, इसके लिए ऐसा किया है। मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि यहां पर प्रश्न नहीं लगे। प्रश्न तो एक घंटे के दौरान जितने लगेंगे, उतने ही लगेंगे। सप्लीमैंटरी के लिए कुछ सदस्यों का कोई लेना-देना नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय मंत्री सरवीन चौधरी से सप्लीमैंटरी के लिए आपने इतनी ज्यादा इज़ाजत दी और विपक्ष की तरफ से सदस्य बोले।

इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि इन्हें (विपक्ष) प्रश्न करने की इज़ाजत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि बहुत गलत तरीके से भ्रांति फैलाने की कोशिश हो रही है। बार-बार इस बात को बोल रहे हैं कि आप सदन चला लो। हम पहले भी कह चुके हैं कि सत्ता और विपक्ष दोनों का इस माननीय सदन में हर चर्चा में उपलब्ध रहना, दोनों पक्षों के सुझाव और आग्रह तथा चर्चा में भाग लेने के बाद जो बातें आती हैं

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

30.08.2018/1230/RKS/HK-1

मुख्य मंत्री... जारी

वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके माध्यम से लोकतंत्र का काम आगे चलता है। लेकिन इस प्रकार धमकी देना और शब्दों का इस्तेमाल करना सदन की गरिमा के खिलाफ है। इसके लिए हम सब लोग पीड़ा महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो खबर बनाने का प्रयत्न किया गया, वह अनावश्यक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।

30.08.2018/1230/RKS/HK-2

अध्यक्षः अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सब कुछ सीधा-सीधा कह दिया है लेकिन मैं अपना वक्तव्य देने से पहले यह कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहां पर काल्पनिक घाटे का प्रचार किया जा रहा है, वह गलत है। इन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने 12% रॉयल्टी माफ की है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने यह डैफर की है। मैं यह आंकेड़ यहां पर बताना चाहूंगा और ये आंकड़े अखबारों में भी छपे हुए हैं। जब विभाग ने आंकड़े इक्ट्ठे करना शुरू किए तो इनको इसकी जानकारी हो गई और इन्होंने अखबारों के माध्यम से सरकार और खासकर मेरा दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। इनको मुझे देखकर काफी तकलीफ होती है क्योंकि ये मेरी वजह से

जिला मंडी में जीरो हो गए। इसलिए यह तकलीफ होना संभव है। ये जितना मेरा विरोध करेंगे, मैं उतना ही इनको भारी पड़ूगा। मैं सरकार सरकार के पक्ष में कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर में हमने कुल 5,189 मैगवाट के प्रोजैक्ट अलॉट किए हैं। जब पहले मैंने अपना वक्तव्य दिया था तो उस दिन मैं जल्दी में था और मैंने 45 % घाटे का जिक्र किया था। लेकिन वर्ष 2016 में पूर्व सरकार ने 50% से ऊपर घाटा किया था। यदि आपको घाटे की इतनी चिंता है तो इसकी शुरूआत भी आपने ही की थी। 12 सालों के अंदर 50% से ऊपर रॉयल्टी तो आपने ही डैफर की। शुरूआत हमने नहीं की, शुरूआत आपने की है। हमने 2519 मैगावाट की और आपने 2670 मैगावाट की। मैं अपने विभाग के अधिकारियों का आभारी हूं जो मेहनत करके सारे आंकड़े यहां लाए हैं। ये सारे आंकड़े सरकार द्वारा अधिप्रमाणित हैं। लोग कहते हैं कि हाइडल सैक्टर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अगर मुर्गी ही नहीं होगी तो अंडे कहां से आएंगे? मैं यह मानता हूं कि साने देने वाली मुर्गी तो है परंतु हमें उस मुर्गी को अंडे देने के लायक भी रखना होगा

30.08.2018/1230/RKS/HK-3

अध्यक्ष महोदय, जो मसले उन्होंने उठाए हैं मैं उसी के ऊपर यहां पर जवाब दूंगा।

1. **ABOUT DEFERMENT OF 12% FREE POWER ROYALTY FOR FIRST 12 YEARS**

It is clarified that 12% Free Power Royalty has been deferred and not waived off for the first 12 critical years of the power projects. This is applicable only for projects which have not been commissioned yet. But this is not applicable for the Hydel projects allotted to CPSUs / SPSUs.

For future projects, 12% Free Power Royalty will be applicable for the entire period of agreement in line with the National Hydro Power Policy.

It is pertinent to point out that such deferment of 12% power was given for the first time in the year, 2016 in case of private projects allotted in Chenab Basin and these projects formed about 50% of the allotted projects with aggregate capacity of 2670 MW. This too was done to ensure financial viabilities of the projects in the present grim scenario of the power sector, and to ensure that the State Government starts receiving revenue out of these projects.

Continued by Sh. H.K. in English….

30.08.2018/1235/बी.एस/एच.के./-1

Continued by MPP& PowerMinister…

It is submitted that the opposition has furnished figures against a hypothetical scenario. If hypothetical calculations are to be done, then notional revenue or losses amounting to crores can be calculated against several different scenarios. Few of them are being discussed. हम सभी उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो केलुक्लेशन की है, उसको भी मैं ले रहा हूं।

Out of a total identified Hydro Power Potential of 27,436 MW, only 23,369 MW is harnessable. The State of HP has harnessed a potential of 10,547 MW till date. However, because of lack of policy interventions and grim situation prevailing in power sector, the remaining potential of 12,822 MW is still to be harnessed. This too is causing non-realisation of potential revenue to the State Government.

Hon'ble Speaker, Sir, thus, an annual notional revenue of Rs.1460.2 Crores is not being realized due to non-harnessing of balance potential, which is a result of high project cost, low tariff, extremely high additionalities, non-competitiveness of hydel power as compared to Solar & Wind Power etc. leading to a grim power scenario.

30.08.2018/1235/बी.एस/एच.के./-2

Even if we take the allotted potential of 10,027 MW, an annual notional revenue of about Rs.1110 Crores is not being realized due to non-harnessing of allotted potential.

Now, if we do not make any intervention at this stage, the entire potential may never come up because some projects have been allotted as early as the year 1993, 2000, 2001 which have not even entered the construction stage. This

has been going on in the previous Government as well. Therefore it is very important that Govt. should not remain a silent spectator to all this.

Hon'ble MLA Sh. Harsh Vardhan Chauhan has made a statement that loss of Rs. 10,404 Crores will result from giving away royalty share of the Government, which actually is a deferment. Even if the statement of the Hon'ble MLA is to be admitted, the stated figures do not match with the actual picture. (A comparative table is being submitted for ready reference at Annexure-I.)

Even if we were to make calculations based on the projects which will be covered in the 12% royalty deferment policy, it is submitted that the facts and figures submitted by the Hon'ble MLA, Sh. Harshwardhan Chauhan are not entirely correct.

30.08.2018/1235/बी.एस/एच.के./-3

In fact there are 800 and not 737 projects having capacity 5188 MW instead of 5500 MW, out of which 59 projects (with capacity of 814 MW) are under construction and 741 projects (with capacity of 4374 MW) are under clearances & investigation.

Thus the Free Power quantum works out to be 484.13 MW, and not 660 MW as is being claimed. Furthermore, 691 MW out of the total 5188.69 MW has already been exempted from paying any royalty for initial 12 / 15 years as per Hydro Power Policy, 2006. The total energy against 484.13 MW works out to 2033.35 MU as per the plant load factor ranging from 45% to 55% instead of 60% as claimed by Hon'ble Member Sh. Harshwardhan Chauhan.

Continued by Sh. Y.K. in English….

30.08.2018/1240/DT/YK-1

Continued by MPP& Power Minister…

Assuming that the average rate at which Free Power was sold last year was Rs.2.48 against Rs.2.5 taken by the opposition, the annual revenue due to the State Government from sale of 2033.35 MU would be Rs.504.27 Crores, and not Rs.867 Crores. Thus over 12 years, the Free Power Royalty revenue that will be due to the State Government will be Rs.6051.24 Crores and not Rs.10,404 Crores.

Thus from the above exercise, it is amply clear that notional revenue or losses can be calculated by taking different factors & considerations and there will be no end to this exercise.

Therefore it can be concluded that if the allotted projects were to be completed as per given time schedule, the deferred royalty will amount to Rs. 6051.24 crores which will then get realised over the period of next 28 years when the price of power may go up and actual

realization may be much higher. However in case Govt. does not come up with supportive policies, these projects may not even come up in next 15 years and therefore the deferred amount may become actual loss for the State Govt.

Therefore Hon'ble MLA Sh. Harshwardhan Chauhan has infact given proof that if the Govt. does not act now the notional loss may become actual monetary loss.

Based on the change in Power Policy some of the project developers who were not taking keen interest in implementation of projects are now approaching Directorate of Energy and showing inclination for resuming construction of the projects. Some of the Hydro Electric Projects are to be commissioned in near future which include Salun HEP (9 MW), Raura HEP (12 MW), Kut HEP (24 MW), Kuwarsi

30.08.2018/1240/DT/YK-2

HEP (15 MW) &Jeori HEP (9 MW), Bajoli Holi HEP (180 MW) and Holi-II HEP (7 MW).The Govt. is very hopeful that out of total allotted projects, approximately 2000 MW under private sector and 1500 MW under central sector can be brought into construction stage.

1. MANDATORY PURCHASE OF POWER BY DISCOM

With regard to the statement given by the Hon'ble MLA Sh. Mukesh Agnihotri that why HPSEBL will purchase power from these projects at higher rate, it is clarified that HPSEBL will procure power from projects upto 10 MW at HPERC determined tariff and not on market rate. This tariff will be applicable for the entire period of Power

Purchase Agreement (PPA) i.e. 40 years. Above all, as per the present tariff structure, power will be purchased at the rate of Rs.3.79/unit for 0-2 MW, Rs. 3.61/unit for 2-5 MW and Rs.3.44/unit from5-25 MW, which is highly reasonable and works in the interest of HPSEB over the long run.

Therefore on one side investment is coming to HP at the rate of Rs. 10 crore per MW and on the other side HPSEBL is getting power at reasonable rate over a long period of 40 years. It would also be important to mention that the Hydro Power generates direct/indirect employment to the tune of 5 persons per MW during construction stage and 2-3 person per MW during operation & maintenance stage.

Continued by Sh. Y.K. in English….

30.08.2018/1245/NG/YK-1

Continued by MPP& Power Minister…

1. ENVIRONMENTAL CLEARANCE

With regard to the statement given by the Hon'ble MLA Sh. Mukesh Agnihotri that non-requirement of Environment Clearance has been raised from 5 MW to 25 MW there by Himachal Govt. has issued licence for destruction of Environment, it is stated that:

As per the notification dated 14.09.2006 of Ministry of Environment & Forest, GoI, there is no requirement of prior Environment Clearance for the River Valley Projects (Hydro Electric Projects) below 25 MW. As seen, this exemption has been valid for over 12 years now. It is also clarified that Environmental Clearance is the sole prerogative of Ministry of Environment & Forest at the Centre or State Levels, as such, the

Department of Power has no role in framing policies relating to Environment Clearance.

Above all, GoI has already categorized River Valley Projects (Hydro Electric Projects) upto 25 MW as Clean / Renewable Energy Projects. Hence, this exemption over the 12 years has been helpful in promoting the Clean Energy Projects.

HP is a hydro state and therefore any Government of India policy which simplifies the procedure for Hydro Power should not only be encouraged by GoHP, but also by all those interested in the development of the State.

It is surprising to note that Hon'ble MLA who is also Leader of Opposition is opposing a step in the direction of making Hydro Power development simpler.

30.08.2018/1245/NG/YK-2

Hon'ble Speaker, Sir, In conclusion, the issues raised by the Opposition do not have any grounds and the policy interventions made have not been interpreted by them appropriately. Thank you.

Annexure-I

Sr. No.	Particulars	Figures taken by Hon'ble MLA	Actual figures as per DoE data

1	No. of projects to be covered under deferment policy.	737	800
2	Capacity of projects	5500 MW	5188.69 MW
3	Applicable rate of royalty	12%	0% for already deferred projects. 2% for upto 2 MW capacity projects. 6% for 2 to 5 MW capacity projects. 12% for above 5 MW capacity projects.
4	Free Power due to the State Government	660 MW	484.13 MW

5	PLF taken	PLF - 60%	PLF 45-55% (45% - Projects above 25 MW) (55% - Projects below 25 MW)
6	Resultant energy available to GoHP	3,468.96 MU	2033.35 MU
7	Amount	867 crores (annual loss)	504.27 crores (annual deferred amount)
8	Amount over 12 years	10,404 crores (loss)	6051.24 crores (deferred amount)

30/8/2018/1245/वाई0के0/एन0जी0-4

विधायी कार्य
सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब, माननीय मुख्यमन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्यमन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार,

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्यमन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी **अनुमति** से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित **हुआ।**

30/8/2018/1245/वाई0के0/एन0जी0-5

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्षः अब माननीय कृषि मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 9)" पर विचार किया जाए।

कृषि मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमती से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 9)" पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मन्त्री जी ने जो बिल लाया है इसके सन्दर्भ में कुछ बातों को माननीय मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं । हमारी सरकार ने ये बिल लाया था और ऐसैन्ट के लिए जब प्रैसिडैन्ट साहब को भेजा तो उसमें कुछ जो आपने मैंशन किया है कि कुछ प्रोविजन इन्सर्ट करने हैं ।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

30/08/2015/1250/RG/AG/1
श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु-----जारी

माननीय मंत्री जी, जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां बैंक से प्रॉपर्टी कैसे मॉर्टगेज करके लोन मिले, उस सन्दर्भ में इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी है, नहीं तो केवल सोसायटीज़ के द्वारा ही लोन मिलते थे। मैं कुछ बातें आपके ध्यान में सिर्फ इसलिए लाना चाहता हूं कि जब हम शेडयूल्ड बैंक्ज या एच.पी. कोआपरेटिव बैंक या दूसरे अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात करते हैं, तो जब अपनी जमीन को कोई मॉर्टगेज करेगा, जोकि आपने सेक्शन-3 में बताया है, जमीन मॉर्टगेज करने के बाद लोन नहीं चुकाने के कारण वह प्रॉपर्टी बैंक की हो जाती है और राष्ट्रीयकृत बैंक उसकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन करता है, उसकी बिडिंग करेगा। पहली बात कि क्या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का कोई व्यक्ति ही उस बिडिंग में शामिल हो सकता है या नॉन-शेडयूल ट्रायब का कोई व्यक्ति भी उसमें

शामिल हो सकता है? अगर गैर-जनजातीय क्षेत्र का व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है, तो क्या संविधान के शेडयूल-5 और 6 में एक राईट दिया गया है कि गैर-जनजातीय क्षेत्र का व्यक्ति जनजातीय क्षेत्र में जमीन नहीं खरीद सकता है। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों ने तो ओपन बिडिंग में यह कर दिया। मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं और यह जानकारी यहां रखना चाहता हूं कि जैसे मैं शिमला से आया और मैंने बिडिंग बोल दी, मुझे बिडिंग में एल-1 मिल गया और मुझे कहा गया कि आप रजिस्ट्री करवाइए। जब मैं रजिस्ट्री करवाने जाऊंगा, तो Schedule-5 of the Constitution के तहत मैं वहां जमीन नहीं खरीद सकता। इसका स्पष्टीकरण जरूर चाहिए कि क्या नॉन-शैडयूल्ड बैंक के तहत वहां गैर-जनजातीय व्यक्ति भी जमीन खरीद सकता है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि एक बहुत ही विचित्र समस्या है, आप यह बिल लाएं हैं, अच्छी बात है और यह बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे जनजातीय लोग हैं, अगर आज कभी वे लोन लेने जाते हैं, तो वे लोन ही नहीं ले सकते। क्योंकि सोसायटीज़ के पास इतना पैसा नहीं होता। इस बिल के पक्ष में जो कमियां या त्रुटियां हैं, मैं वे आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करुंगा। हमारी आधी जनसंख्या महिलाओं की है। अब एक महिला की शादी हो, उसके एक-दो या तीन बेटियां हो जाएं और किसी दुर्घटना में उसके पति की मौत हो जाए, तो वह विधवा और उसकी बेटियों के नाम पर जमीन नहीं होगी। वे कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज़ नहीं करवा सकते। क्योंकि नियम एवं कानून के अनुसार जनजातीय क्षेत्र में महिला को जमीन का अधिकार नहीं है। अगर उसके

30/08/2015/1250/RG/AG/2

पति की मौत होती है, तो उसके भाई के नाम पर जगह जाएगी, भाई के नाम पर कोई और जगह होती है, तो उनके बटों के नाम जाएगी। न तो उस विधवा के नाम पर और न ही उसकी बेटी के नाम पर वह जमीन जाएगी। अब विधवा को लोन लेना है, उसकी बेटियां हैं, उन्हें पढ़ाई करनी है, मैडिकल कॉलेज में ऐडमीशन होता है, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस सन्दर्भ में जिसमें हाई कोर्ट ने यह डायरैक्शन दी है कि जनजातीय क्षेत्र में जो भी विधवा होती है, उसके नाम पर या उसकी बेटी के नाम पर जमीन दर्ज कर दी जाएगी? क्या हाई कोर्ट की इस नोटिफिकेशन को लागू करेंगे ताकि उनकी भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज

होकर उन बेटियों को भी पढ़ने का अधिकार मिल सके? इसीके सन्दर्भ में राजीव शर्मा जी की जजमेंट आई। किन्नौर के लोग सुप्रीम कोर्ट के लोग चले गए और कहा कि यह हमारा अधिकार है, इनको नहीं मिलना चाहिए। अभी वह केस सब-जुडिस है। तो मेरा यह मानना है कि हम 50% आबादी को अपनी जमीन मॉर्टगेज करने का अधिकार दे रहे हैं जोकि अच्छी बात है। मॉर्टगेज के बाद जब जमीन बिकेगी, तो क्या किसी जनजातीय व्यक्ति को पहली प्राथमिकता मिलेगी कि first right of refusal उसका होना चाहिए। क्योंकि पहले जब वहां का लोकल ट्रायब, किन्नौर या लाहौल-स्पिति का ट्रायब है, पहले वह बोली बोल दे, जितना लोन उसने लिया है।

एम.एस. द्वारा जारी

30/08/2018/1255/MS/ag/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जारी---------

क्या उस नियम का प्रावधान अगले आने वाले समय में अमैंडमैंट करके लाया जाएगा या कोई नया सैक्शन इन्सर्ट किया जाएगा या कोई नया प्रोविजन ऐड किया जाएगा? इस संदर्भ में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। एक और बात भी है कि अभी तक कहीं भी ट्राइबल ऐक्ट के तहत किसी भी नॉन-ट्राइबल को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है with the prior permission of the Government सरकार उसमें परमिशन देती है। कुछ रूल्ज के साथ उसकी लीज़ करती है बल्कि लीज़ भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए एक ऐसे प्रावधान की जरूरत है और आने वाले समय में इन चीजों को ध्यान में रखकर कुछेक ऐसे सैक्शन्ज इन्सर्ट करने की जरूरत है जहां विधवाओं और उनकी बेटियों को उनका अधिकार मिले। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है कि उन बेटियों और उन महिलाओं को यह अधिकार मिलना चाहिए जो उनके साथ पूरी जिन्दगी व्यतीत करती है लेकिन उसके बाद भी उनको जमीन का राइट नहीं मिलता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब भी सत्र हो तो इसकी नोटिफिकेशन लागू की जाए। दूसरा, ओपन बिडिंग के द्वारा नॉन-शैड्यूल्ड ट्राइब व्यक्ति जब लैण्ड खरीदेगा तो क्या उसके नाम पर रजिस्ट्री होगी, इस बारे में मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं? धन्यवाद।

30/08/2018/1255/MS/ag/2

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, Land Regulations Act, 1968, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं और माननीय मंत्री जी और सरकार द्वारा जो यह छोटा सा अमैंडमैंट लाया गया है, मैं इनको इसके लिए बधाई देता हूं।

अध्यक्ष जी, यह अलग बात है कि मुझसे पूर्व माननीय विधायक सुखविन्द्र सिंह जी कुछ ऐसे विषयों पर भी चर्चा कर रहे थे जिनकी चर्चा इस बिल में नहीं की जा सकती थी। यह खाली ट्रांसफर ऑफ लैण्ड रेगुलेशन्ज का बिल है। हमारे जन-जातीय क्षेत्र की महिलाओं तथा पुरूषों के अधिकार इस बिल में नहीं है। उसे किसी और बिल में ला सकते हैं। जहां तक महिलाओं के अधिकार की बात है क्योंकि रिकॉर्ड सीधा करना पड़ेगा तो जितना मान-सम्मान महिलाओं को जन-जातीय क्षेत्रों में मिलता है शायद ही उतना मान-सम्मान महिलाओं को किसी अन्य समाज में मिलता होगा। हमारे वहां पर दहेज इत्यादि से संबंधित किसी किस्म की कोई घटना नहीं होती है और पति के मरने के बाद विधवा का लाईफटाइम के लिए जमीन पर हक है और जब वह दुबारा शादी करती है तब वह हक नहीं मिलता है। अविवाहित बेटियों के लिए भी लाइफटाइम के लिए अधिकार है। मंत्री महोदय के स्पिति में तो बड़े भाई को ही सबकुछ मिलता है और छोटे भाई को कुछ नहीं मिलता है यानी प्रॉपर्टी का अधिकार हिन्दु लॉ की तरह नहीं है। हमारा जो लॉ है उसमें पिता के मरने के बाद ही इनहेरिट करते हैं। हमारे शैड्यूल्ड ट्राइब एरिया के कस्टमरी लॉ को बदला नहीं जा सकता है। पहले चाहे शैड्यूल्ड बैंक थे या कॉपरेटिव बैंक थे हमें लोन देते थे। परन्तु हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस कानून का फायदा उठाकर लोन रि-पेमैंट करना बन्द कर दिया और माननीय उच्च न्यायालय में चले गए। माननीय उच्च न्यायालय में जाकर लैण्ड रेगुलेशन्ज ऐक्ट 1968 का फायदा उठाकर जो लोन मोर्टगेज था उसकी ऑक्शन को रोका गया। उससे ऐसा हुआ कि आज यदि हमारे हजारों लोग वहां पर बैंक से मकान या भूमि सुधार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो हमारे शैड्यूल्ड बैंकों ने लोन देना बन्द कर दिया। इसलिए अब जो यह अमैंडमैंट आया है इसके बाद सभी को दुबारा से लोन मिलने की सुविधा होगी। हमारा हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट कॉपरेटिव

बैंक है वह आज भी हमें लोन लैण्ड मोर्टगेज करके दे रहा है। जहां तक ऑक्शन की बात है तो उसमें ओपन ऑक्शन होती है। ऐसा

30/08/2018/1255/MS/ag/3

कोई बैंक नहीं चाहेगा कि सिर्फ ट्राइबल आपस में ले लें। बैंक ने अपना पैसा रिकवर करना है इसलिए वह सभी को पर्टिसिपेट करने का मौका देगा और अगर उसने अपने नाम पर जमीन करानी है तो इसमें 100 परसेंट गवर्नमैंट की रिस्ट्रीक्शन नहीं है। With the prior permission of the Government he can participate in the auction and can get the land registered in his name. तो मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि जल्दी-से-जल्दी इसकी अगली कार्रवाई की नोटिफिकेशन हो जाए ताकि हमारे जन-जातीय क्षेत्र के जो हजारों पैंडिंग केस हैं उनका निपटारा हो जाए। धन्यवाद।

30/08/2018/1255/MS/ag/4

अध्यक्षः माननीय कृषि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसा कि दोनों माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बिल वर्ष 2016 में इस विधान सभा से पास होकर चला गया था लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थीं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

30.08.20128/1300/जेके/वाईके/1

कृषि मंत्रीः-------**जारी**--------

उसमें कहा गया था कि नेशनलाइज बैंक इवन एस0बी0आई0 के नाम पर उस समय नहीं था। यह बिल वापिस लाया हमने कहा इस बिल को सारे नेशनलाइज़ बैंक्स, कमर्शियलाइज़ बैंक्स, सभी को हम अधिकृत करना चाहते हैं। जहां पर ट्राइब्ल इलाके में जो लैंड मॉडगेज़ करते थे सिर्फ कॉआप्रेटिव बैंक्स जो लोकलाइज़ बैंक थे, उन्हीं को

अधिकृत किया था। उसमें हमने कहा कि उन सारे बैंक्स को कमर्शियलाइज़ बैंक्स , नेशनलाइज़ बैंक्स और कॉआप्रेटिव बैंक्स सभी को मॉडगेज़ करने का अधिकार दिया जाए। यहां पर जगत सिंह नेगी जी ने ठीक कहा और सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी ने यहां पर दो-तीन बातें रखी । इनको शंका थी, इस बिल में इन्होंने दो-तीन मुद्दे बहुत अच्छे उठाए और इनका कहना भी ठीक था कि कल को जो हम लैंड मॉडगेज़ करेंगे, मॉडगेज करने के बाद हो सकता है कल को जब ऑक्शन करना पड़े, उसमें आपकी शंका वाज़िब थी लेकिन उसमें बड़ा क्लीयर है कि बाहर के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन बाहर के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा और सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने काफी अच्छे मुद्दे उठाए, काफी अच्छी चर्चा की । जहां पर इन्होंने महिलाओं की बात की वह सब-ज्युडियस मैटर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल चुका है और यह इससे रिलेटिड नहीं है।

30.08.20128/1300/जेके/वाईके/2

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर एक बात बड़ी स्पष्ट की है कि जब कोई नेशनलाइज़ बैंक, हम इस बिल का समर्थन ही कर रहे हैं, लेकिन जो त्रुटियां हैं उनको सरकार के ध्यान में लाना सदस्यों का काम होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो ओपन बीडिंग होगी और आप नेशनलाइज़ बैंक में मॉडगेज़ लैंड कीजिए। उसमें मंत्री जी ने कहा कि ट्राइबल लोग ही उस बीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छी बात है ट्राइबल लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ट्राइबल लोग पार्टिसिपेट नहीं करते तो मैं वही जानना चाह रहा था कि नॉन शैड्यूल ट्राइब पर्सन अगर बीडिंग करता, नेशनलाइज़ तो ओपन के लिए करेगा उसने तो पैसा रिकवर करना है तो शड्यूल-5 और 6 में मैं कॉस्टिच्युशन की बात कर रहा हूं। आउटसाइडर लैंड परचेज नहीं कर सकता। यही बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। अभी तो यह बिल लाया है और कई

लोगों को लोन की जरूरत है, अच्छी बात है। आने वाले समय में इस पर गौर करके इसमें अमैंडमैंट लाई जा सकती है।

30.08.20128/1300/जेके/वाईके/3

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय कृषी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए।

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार,

30.08.20128/1300/जेके/वाईके/4

हिमाचल प्रदेश भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 9) पारित हुआ।

अब इस माननीय सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.05 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

30.08.2018/1405/SS-HK/1

सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2:05 बजे अपराह्न, अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिंदल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

<u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u>

अध्यक्षः आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। श्री राकेश पठानिया द्वारा गत बार प्रस्तुत हुए प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। --(व्यवधान)-- पठानिया जी, कृपया बैठिये। इस पर आज हमारे पास गत बार का विषय भी है और चार अन्य विषय हैं। कार्य सलाहकार समिति ने 35 मिनट का समय पहले विषय पर और 45-45 मिनट का समय बाकी विषयों के लिए निर्धारित किया है। मेरा आग्रह रहेगा कि आप कम समय में अपनी बात को पूरा करें। मैं विधान सभा का थोड़ा-सा रिकॉर्ड देखने की कोशिश कर रहा था। अवैध खनन के बारे में नियम-130 के अन्तर्गत, नियम-101 के अन्तर्गत 2004 में, 2012 में और अन्य भी अनेक समयों पर चर्चा हुई है

जारी श्रीमती के0एस0

30.08.2018/1410/केएस/एचके/1

अध्यक्ष जारी...

अर्थात यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। माननीय राकेश पठानिया जी।

श्री राकेश पठानियाः आदरणीय अध्यक्ष महोदय "Illegal mining in the State and recommends to the Government to form a mining policy". अध्यक्ष जी, आपने जैसे खुद माना कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बिक्रम सिंह जी हमारे मित्र हैं, मैं इस विषय पर बड़ी स्पष्ट बात करना चाहूंगा। I am not against mining. I am against unscientific mining and illegal mining. This issue is now such a major issue for Himachal Pradesh. जिनके क्षेत्र में यह हो रहा है, वहां जा कर देखिए। मुझे मंत्री जी ने पिछले सत्र के दौरान कहा था कि मैं तीन दिन के अंदर वहां आऊंगा लेकिन मंत्री जी अभी आपके वे तीन दिन नहीं हुए हैं। आप खुद आ कर नज़ारा देखिएगा। जो 25-30 फुट की खड्ड होती थी वह आज 3000 फीट की खड्ड है। Just see what is the modus operandi of this? आपने माइनिंग लीज़ के लिए कितनी जगह दी? आपकी कितनी माइनिंग लीजिज़ फ्लैग्ड हैं कि यह पर्टिकुलर एरिया मुझे माइनिंग लीज़ के लिए मिला है, मैं यहां माइनिंग कर रहा हूं? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें एक फैक्टर यह है कि मान लो मैं किसी से 10 बीघा जमीन किराये पर ले लेता हूं और उसको बोल देता हूं कि मैंने तेरे से दो साल के लिए किराये पर ली है फिर उसको उखाड़-उखाड़ कर मैं तीन सौ फुट ले जाता हूं। न तो वहां पर कभी एग्रिकल्चर हो पाएगी न कुछ और हो पाएगा। This is the basic fault which is not been checked. हम लोग माइनिंग लीज़ में माइनिंग नहीं कर रहे हैं जनाब, हम माइनिंग लीज़ से बहुत ज्यादा दूर जा कर माइनिंग कर रहे हैं। आपकी पॉलिसी बिल्कुल क्लीयर कह रही है कि रीवर बैड पर बिल्कुल माइनिंग नहीं होगी लेकिन आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूं कि कितने क्रशर्ज़ लगे हुए हैं और जिस तरीके से वे

रीवर बैड के ऊपर माइनिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से हर किस्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं कहां शुरू और कहां खत्म करुं, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है? आपने कहा कि यह मुद्दा बड़े दिनों से लग रहा है । मुझे भी यह मुद्दा उठाते हुए 15 साल हो गए।

30.08.2018/1410/केएस/एचके/2

जहां पर हमारी आई.पी.एच. की स्कीमें हैं, un-number of schemes have gone dry, हैंड पम्प सूख गए हैं । जहां पर 18-20 फुट पानी होता था, आज वहां पर साढ़े तीन सौ फुट पानी चल रहा है। What are we heading for? हमारा हिमाचल कहां जा रहा है? यह नहीं कि आज ही माइनिंग हो रही है। यह नहीं है कि जब मुकेश अग्निहोत्री जी उद्योग मंत्री थे, तब माइनिंग नहीं होती थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते what kind of illegal mining is going on? कभी चक्की खड्ड के पुल पर खड़े हो कर देखना कि सुबह कितना ट्रक अमृतसर पहुंचा? कितने टायरों वाला ट्रक जाता है? 40-40, 60-60 टायर्ज़ के ट्रक सवेरे-सवेरे चार-पांच और छः सौ जाते हैं और अगर आप मेरे एरिया में हो और आपको अमरजैंसी में दिल्ली जाना पड़ जाए तो हमें नीयरैस्ट एअरपोर्ट अमृतसर सूट करता है। कई बार हमें सुबह की फ्लाइट पकड़ने के लिए अमृतसर जाना पड़ता है और जब सुबह वे खनन की गाड़िया रास्ते में मिलती हैं तो आँखे भर आती हैं। वह सारा का सारा हिमाचल का माल है, हिमाचल की इलिगल माइनिंग है जो पंजाब जा रही है। जबकि यह अलाऊ नहीं है। मेरे पास ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपने पी.एम.डी. कर दी। एक तरफ एस.डी.एम. कनैक्शन काट रहा है, एक तरफ पुलिस वाले उसका डी.जे. सैट उठा कर ले जा रहे हैं और एक तरफ आपका विभाग उसको पक्की पी.एम.डी. करके दे रहा है। कितने उदाहरण चाहिए, बताइए।?एक तरफ माइनिंग का केस the original bill which was calculated Rs. 56,73,500/-. जब बिजली बोर्ड वालों को यहां पर फिर से भेजा,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

30.8.2018/1415/av/yK/1

श्री राकेश पठानिया---------- जारी

यह आपके विभाग की चिट्ठी है and it was found that the actual bill was Rs. 1,14,15000/- crore. मैं आपको अभी पीछे ट्रिब्यून में छपी एक खबर की कापी दे रहा हूं। Yet he officials have to recover Rs. 150 crores from stone crushers owners. 150 करोड़ रुपये की राशि अभी तक आपने रिकवर करनी है और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से ये लोग अपना केस हार गये हैं। इसके साथ मैंने आपको बिजली के कनैक्शन का एक उदाहरण दिया तथा 6 केस मैं अपने साथ और लाया हूं। यदि इसको सही केलकुलेट करें तो this money is over Rs. 500 crores, which belongs to the Government of Himachal Pradesh और जिन लोगों ने अभी तक यह पैसा नहीं भरा है आप उनको रेगुलर कनैक्शन्ज कैसे दे रहे हैं? यहां कोई यह न समझें कि मैं भाजपा का विधायक होने के नाते यह बात बोल रहा हूं, पहले से बहुत फर्क है मगर माइनिंग माफिया अभी भी जीवित है। बहुत सारे इलाकों में काफी फर्क पड़ा है मगर जो आपने नया कानून बनाया है मैं उसको भी देख रहा था। But basically you have gone soft. आपने 25 लाख रुपये से 5 लाख रुपये कर दिया। क्या आपने अभी तक किसी का चालान किया, आप किसी एक चालान के बारे में बताइए? कागजों में तो आप 15 लाख रुपये कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी पिछले दिनों एक रेड़ पड़ी और डी0एस0पी0 (नूरपुर) ने अंदर जाकर 6 ट्रक पकड़े, वे 6-के-6 ट्रक भगा दिए गए। इसका मतलब पुलिस वाले बीच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। रात को एस0पी0 साहब को रिक्वैस्ट किया और सारी चौकी चेंज करवाई। जब सारी चौकी चेंज हुई तो नूरपुर थाने तक सबको पसीने पड़े हुए थे। Everybody is involved. अब कोई ड्रास्टिक स्टैप लेना पड़ेगा और मैं फिर से उसी बात पर आ रहा हूं।। am not against my name. कल को आपने 67 नेशनल हाई-वेज लाने हैं तो 67 नेशनल हाई-वेज की सड़कें आप बिना माइनिंग के कैसे बनायेंगे? Have you ever seen the example of Bhakra Dam, the whole Bhakra Dam has got so much of concrete involved into it कि

आप कश्मीर से लेकर कलकता तक एक फोर लेन की सड़क बना सकते हैं, उसमें इतना ग्रेबल लगा है। It came from only one khud in Nangal. सारा-का-सारा मैटीरियल एक

30.8.2018/1415/av/yK/2

खड्ड से आया because it was a planned mining. उन्होंने दस किलोमीटर से रीवर कल्वर्ट को चैकडैम लगाकर के उसको चैक किया हुआ था। बरसात में इतना माल इकट्ठा कर लेते थे कि पूरे साल का माइनिंग मैटीरियल उनका वहां मिल जाता था। मैं इस विषय पर बार-बार आ रहा हूं कि mining has to be scientific mining. You cannot set illegal mining. मंत्री जी, आपका विभाग और हमारी सरकार या कोई भी सरकार इनको पकड़ने के लिए सक्षम नहीं है। इनका इतना बड़ा गिरोह है, या तो आमने-सामने आ जाओ तब तो आप इनको चैक कर लेंगे otherwise with the soft attitude you cannot check them और यह ज़हर हर जगह फैलता जा रहा है। आप माननीय विधायक परमजीत सिंह जी को पूछिए कि नालागढ़ में माइनिंग कम हुई है या बढ़ी है? आप बिलासपुर के बारे में राम लाल जी को पूछिए। यहां पर पूरे हिमाचल के विधायक बैठे हुए हैं, आप जयसिंहपुर से माननीय विधायक रविन्द्र कुमार जी को पूछिए। यह माफिया दिन-प्रतिदिन स्ट्रोंग होता जा रहा है। इनका नैक्सस कुछ अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर इतना स्ट्रोंग होता जा रहा है which has to be checked. मैंने बार-बार इस बात को बोला है we are not for sale और बार-बार इस बात को ऐम्फेसाइज किया है तथा इसी चक्र में दो बार आज़ाद चुनाव भी लड़ा है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली, कम-से-कम मेरी यह लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है, मेरी यह लड़ाई जारी रहेगी। मंत्री जी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सीरियस मुद्दे पर आप अपनी सीरियसनैस और बढ़ाइए। मैंने जैसे पहले बताया कि इस चक्की खड्ड में that DSP was so brave मैं तो डी0जी0पी0 साहब से उनको अवार्ड देने की भी रिक्वैस्ट करूंगा। वहां एक डी0एस0पी0 और दो लड़के रात के ग्यारह बजे से सुबह तीन बजे तक माइनिंग वालों के साथ लड़ाई लड़ते रहें। वैपन उनको वापिस भिजवाने पड़ें क्योंकि they were not with the weapon because they suddenly came into that area. वहां सारी गाड़ियां पकड़ी और बाद में सारी-की-सारी गाड़ियां कोर्ट से छूट गईं। इस तरह से पुलिस

अधिकारियों का मनोबल कैसे खड़ा होगा? How will such officers fight this menace? यह एक बहुत बड़ा विषय है और जिस तरीके से उन्होंने उस दिन वह लड़ाई लड़ी। was so impressed with those three boys, one DSP and two constables of police.

श्री टी सी वर्मा द्वारा जारी

30.08.2018/1420/TCV/YK-1
श्री राकेश पठानिया.... जारी

उन्होंने उस रात को पूरा-का-पूरा माफिया हिलाकर रखा दिया। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। आपने जनवरी, 2018 को एक लीज़ परमिट की है। ये लीज़ आपने चक्की रेलवे ब्रिज़ के पास की है। इसके साथ ही पठानकोट का सैनिक अस्पताल और एयरपोर्ट है। मैंने पहले भी कहा था, उस एयरपोर्ट की सारी सड़क गिर गई है। ये पिछली सरकार का नोटिफिकेशन है (पेपर दिखाते हुए) यह बहुत पुराना नोटिफिकेशन है। यह रिपोर्ट बी0सी0 नेगी कमेटी की है, जहां पर इन्होंने ये 10 किलोमीटर का पूरा एरिया बैन किया हुआ है। There cannot be mining in this area. एक तरफ सरकार बैन कर रही है और दूसरी तरफ सरकार वहां पर माइनिंग दे रही है। ---(व्यवधान)--- जिसके नाम पर यह लीज़ थी, उसको 5 करोड़ रुपये का जुर्माना हो गया है, वह उसकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा थी। अब उसके बेटे राहुल के नाम पर माइनिंग दे दी गई है, क्योंकि राहुल के नाम पर कोई केस नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है कि यदि मां डिफाल्टर है तो बेटे के नाम पर माइनिंग दे दो। How will you check this? ये सरकार के डाक्यूमेंट्स हैं, मैंने घर में नहीं छापे हैं। This is from your Department. एक एग्रीमेंट मेरे पास और है जहां पर वह व्यक्ति अपना शेयर बेचकर चला गया है और उसके बाद उसने माइनिंग में जाकर सर्टिफिकेट दे दिया कि मैंने अपना शेयर बेच दिया है। उसने पॉल्यूशन विभाग में भी अपना सर्टिफिकेट दे दिया कि मैंने अपना शेयर बेच दिया। have nothing to do with this crusher. उसी क्रशर की पी.एम.टी. उसी के नाम से फिर से हो रही है। मेरे पास माइनिंग

और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं that he has sold his share and he has got nothing to do with this crusher any more. क्योंकि विभाग को काम पड़ना था। इसमें कुछ गैर-हिमाचली थे और 118 का केस आना था। उन्होंने सोचा कि इतने लम्बे चक्कर में क्यों पड़ना, अपना हिसाब-किताब करो और काम शुरू करो।

30.08.2018/1420/TCV/YK-2

उसी के नाम से लाइसेंस फिर से इश्यू हो गया। एक तरफ वह रिजाइन कर रहा है, दूसरी तरफ उसका केस लग रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये केसिज़ बहुत गम्भीर हैं। (घण्टी) मुझे पता है, आप घण्टी बजा रहे हैं। आपने 35 मिनट इसके लिए दिए है। This is equally important like drugs. ये ड्रग्ज़ और माइनिंग वाले एक ही लोग हैं। इन लोगों में ज्यादा फ़र्क नहीं है। They come in the same package और जहां-जहां ये माइनिंग्ज़ हैं, वहीं से ड्रग्ज़ का फ्लो आ रहा है। इस दो मुहें सांप का अगर आप गला घोटेंगे तो माइनिंग पर भी इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा। आप बड़ी-बड़ी सड़कें लेकर आ रहे हैं। बिलासपुर में आई0 एल0 एण्ड एस0 एफ0 कम्पनी ने वहां पर कितनी सड़कें बनाई? वहां पर कितना मैटेरियल आया, कितने एम0 फॉर्म उनके जारी हुए? पिछली सरकार ने तो कैबिनेट में डिसीज़न भी ले लिया था कि सड़कों के लिए हम अपनी आंखें बन्द कर लेंगे। आंखें बन्द करके माइनिंग वालों को लाइसेंस देने का कोई मतलब नहीं है। अब हमारा भी यही हाल होने वाला है क्योंकि तब तो वहां एक नेशनल हाईवे था और अब आपके पास 70 नेशनल हाईवे आ रहे हैं । जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूं । I am not against mining. You have to formulate a policy जहां से लीगेलाइज्ड तरीके से यह ग्रेबल निकाला जाये और लीगेलाइज्ड तरीके से माइनिंग हो। ताकि हिमाचल प्रदेश को रैवन्यू मिले और हिमाचल प्रदेश को करोड़ो रुपया आये। हमारी सरकार को रैवन्यू मिले ताकि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश का विकास करवा सके। मेरा मूल प्रश्न यह है कि वह जो रैवन्यू हमारी सरकार के पेट में आना चाहिए, ये माफिया मे पेट में जा रहा है, ये गलत लोगों के पेट में जा रहा है। ये एक पूरा आर्गेनाइज्ड क्राइम है। Which has to be checked. अगर पिछली सरकार ने नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम नहीं करेंगे। We have to check it and we have to control it.

अध्यक्षः माननीय सदस्य वाईंड अप कीजिए।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आपने घण्टी दो बार बजा दी है, मुझे बैठना पड़ेगा। I will not cross my limits. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें दो बातें सरकार के साथ रखें

30.08.2018/1420/TCV/YK-3

कि वे इसकी गम्भीरता को समझे। This is not a small issue. अकेला कांगड़ा जिला के नुरपूर सब-डिविजन में अगर 150 करोड़ रुपया अखबार छाप रही है और मैं बिजली के बिल साथ लेकर आया हूं, इनको अगर कैल्कूलेट करें तो 500 करोड़ रुपये एक सब-डिविजन के अंदर आ रहे हैं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में क्या हाल होगा। कितना पैसा हिमाचल प्रदेश का इन दोनों की जेब में पड़ा हुआ है। कितना पैसा जो पब्लिक के काम में लग सकता है, it is lying with them. अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हमने एक और केस वहां पर पकड़ा है। माइनिंग वाले गये, उन्होंने कहा कि इलीग्ल है, हमने कहा कि इसकी ऑक्शन करिए। ऑक्शन की गई, उसकी चिट्ठी में साथ लाया हूं। एक-दो-तीन चिट्ठी निकली, लेकिन वह ऑक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि वह सारा गिरोह है। एक चोर दूसरे चोर का समान क्यों खरीदेगा। जब चार महीने तक वह समान नहीं बिका,

श्रीमती एन0एस0 द्वारा... जारी

30-08-2018/1425/NS/AG/1

श्री राकेश पठानिया ..... जारी

हमने आपके विभाग को बोला और आपके विभाग ने को-ऑपरेट किया। आपके विभाग ने चिट्ठी निकाली कि जितना ग्रेवर पड़ा हुआ है, यह लगभग 2000 ट्रक था और इसको लोक

निर्माण विभाग उठाये। आज माइनिंग ऑफिसर को लोक निर्माण विभाग को चिट्ठी दिये हुए दो महीने का समय हो गया है। अभी तक एक भी ट्रक नहीं उठाया गया है। वहां पर कितना स्ट्रोंग नैक्सस है, यह इससे पत्ता लगता है। हमारे जैसे विधायक वहां बैठे हुए हैं लेकिन उससे सब डरते हैं। वहां से कोई मेटीरियल नहीं उठाया गया है क्योंकि बीच में ही बारिशें शुरू हो गई थी। आप विभाग को आदेश दीजिये, नहीं तो हम इस मेटीरियल को उठा करके सारे गांव में दस-दस ट्रकों के ढेर लगायेंगे ताकि मनरेगा के माध्यम से गांवों की सड़कें पक्की करवा सकें। ऐसे आपको हज़ारों डम्प मिल जायेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए एक माइनिंग नीति बनाई जाए और इसमें जन प्रतिनिधियों को इन्वॉल्व किया जाए। आपने जो यह पूरा पुलिंदा बना के छाप दिया है, इसके लिए आपने हमें तो पूछा ही नहीं। इसके लिए हम भी आपको दो सुझाव दे देते ताकि हमारी सरकार का भला होता और आपका भी भला होता तथा इससे लोगों को भला होता। इसको केवल अधिकारी ही नहीं बनायेंगे बल्कि जिनको चोट (चींडू) लगती है, वे बनायेंगे और वे ही आपका मार्गदर्शन कर पायेंगे कि यह माइनिंग नीति कैसे बनेगी? इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि involve the public representatives in the Mining Policy and make a new Mining Policy which goes for legal and scientific mining, not for illegal mining.

आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः इस विषय पर बोलने वाले नाम बहुत अधिक आये हैं। मेरा दोनों तरफ के सदस्यों से आग्रह रहेगा कि अगर तीन-तीन लोग इस विषय पर बोलें और इसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो अगला विषय भी आ सकेगा। मैं प्रत्येक बोलने वाले सदस्य के लिए पांच मिनट का समय निर्धारित कर रहा हूं। अब माननीय राम लाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

30-08-2018/1425/NS/AG/2

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य पठानिया जी ने जो ईश्यू यहां पर माइनिंग के बारे में उठाया है, मैं इसमें अपने आपको शामिल करता हूं और इसमें हिस्सा लेने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर सरकार जब सत्ता में होती है तो सोच कुछ और होती है तथा जब विपक्ष में होती है तो उन्हीं नेताओं की

सोच बदल जाती है। मैं पठानिया जी से कहूंगा कि हमने तो आपको इंटरवीन नहीं किया। इसलिए थोड़ा-सा सब्र रखें और हमें भी बोलने का मौका दें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है तो विपक्ष दो-तीन मुद्दों को उठाता है। आज भी वही मद्दे उठे थे जैसे खनन माफिया, फोरैस्ट माफिया और शराब माफिया तथा ड्रग माफिया। इसके ऊपर बड़ी-बड़ी बातें उस तरफ (सत्ता पक्ष) बैठे हुए लोग विपक्ष में होते हुए इन बातों को करते थे। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि मैं पहले की सरकार को डिफैंड कर रहा हूं और आज की सरकार के खिलाफ़ कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर कुछ बुरा हो रहा है, वह चाहे किसी भी स्तर पर हो; उसको रोकने की आज आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में पिछले कुछ वर्षों से यहां पर खड्डों से रेता और रोड़ी निकालने के लिए खास तौर पर ओल्ड हिमाचल में पूर्ण प्रतिबंध लग गया था। किसी को पट्टा, लाइसैंस नहीं मिलता था और कोई खड्डों से रेता नहीं उठा सकता था। अध्यक्ष महोदय, जैसे मेरा जिला बिलासपुर है तो हमें पंजाब से मेटीरियल ले के आना पड़ता था, चाहे लोक निर्माण विभाग हो या अन्य प्राइवेट लोग हों, सबको पंजाब और हरियाणा की तरफ से मेटीरियल लाना पड़ता था। हमारा कांगड़ा और ऊना का जो एरिया है या फिर जो मर्ज़ड एरिया था, इनमें कानूनी तौर पर कुछ ढील थी और वहां पर लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पहले की और आज की सोच में क्या फ़र्क है? क्या आपने इसके लिए कोई कड़े कदम उठाये हैं?

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

30.08.2018/1430/RKS/AG-1

श्री राम लाल ठाकुर... जारी

मैं यह भी कहना चाहूंगा जैसे पठानिया जी ने कहा कि भूतल एवं परिवहन मंत्री जी ने धर्मशाला में 69 राष्ट्रीय उच्च मार्गों की घोषणा की। इसमें 3:1 की डी.पी.आर्ज. पूर्व सरकार ने बनाई थी। कुछ डी.पी.आर्ज. पाइपलाइन में हैं और कुछ तैयार हो रही हैं।

माइनिंग हिमाचल प्रदेश में न हो, इसके लिए हम इतना विरोध करेंगे तो प्रोजैक्ट्स के लिए मटीरियल कहां से आएगा? इसलिए जो आपकी नीति है उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इल्लीगल और अनसाइंटिफिक काम बंद होने चाहिए ताकि पी.डब्ल्यू.डी. और आई.पी.एच. के कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए हमें कोई बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता है।

एन.जी.टी. ने एक और नई समस्या खड़ी कर दी है। आप देखें तो हाई कोर्ट में आज कोई अपील नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई तो है परंतु मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया माइनिंग के बारे में थोड़ा ढील देने वाला हो। एन.जी.टी. ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, चाहे कुल्लू जिला हो, शिमला हो, या चम्बा हो, खड्डों से रेत और बजरी नहीं निकाली जा सकती। इससे बोर्डर एरियाज को छोड़कर हमारे अंदरूनी एरियाज में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5 गुना बढ़ जाएगी। जिससे हमें काम करने की दिक्कत आएगी। एन.जी.टी. ने जो तरीका अख्तियार किया है उससे लोगों को कैसे छुटकार मिले, लोगों के हितों की कैसे रक्षा हो, इस पर सोचने की आवश्यकता है? हम पर्यावरण की बात तो करते हैं लेकिन जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से कैसे निपटा जाए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे कम की जाए, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक और चीज़ लाना चाहता हूं। मैंने इसी सत्र में दो विधान सभा प्रश्न पूछे थे। इनमें से एक आपके और दूसरा श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर जी के विभाग से संबंधित था। एक प्रश्न आज ही विधान सभा में लगा है। चाहे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग हो या उद्योग विभाग हो, जो हम प्रश्न पूछते हैं, उसके ऊपर पर्दा डालने का प्रयास क्यों किया जाता है? मान लो जैसे मैंने पूछा कि

30.08.2018/1430/RKS/AG-2

खड्डों से सारा रेता व रोड़ी निकाली गई, खड्डें चौड़ी हो गई, खड्डे 20-20 फुट गहरी हो गई, कूहलें खराब हो गईं, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है या उठाऊ पेयजल योजनाएं

तबाह हो रही हैं। जब हम ऐस प्रश्नों को पूछते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि घुमा-फिराकर जवाब क्यों दिया जाता है? पहले आप खनन माफिया का विरोध करते थे परंतु अब आपकी दोस्ती खनन माफिया के साथ कैसे हो गई? जब आप सूचना देने लगते हैं तो सूचनाएं देते हुए सारी बातों को दबाने का प्रयास करते हैं। माननीय मंत्री जी मेरा दुर्भाग्यवश एक ही प्रश्न विधान सभा में लगा और उसका हम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे और प्रश्न अंतिम क्रम में लगे, जिनका उत्तर प्राप्त करने का मुझे मौका नहीं मिला और वे 'deemed to have been replied' समझे जाते हैं। मैंने यह प्रश्न पूछा था कि बिलासपुर में जो फोरलेन का काम चला हुआ है उसमें कितने लोगों ने खनन पट्टे लिए और वे कहां के रहने वाले हैं?

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

30.08.2018/1435/बी.एस/डी.सी./-1

श्री राम लाल ठाकुर जारी

उनके ऊपर कितना एम. फोर्म का पैसा आया, मैंने यह भी पूछा कि उनके नाम बताए जाएं? लेकिन अध्यक्ष महोदय, हुआ यह कि सुन्दरनगर और मण्डी के 4-5 ठकेदार और हमीरपुर का एक ठेकेदार ने वहां पर मेटेरियल सप्लाई किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदन में सरकार द्वारा बिल्कुल गलत सूचना दी गई है। मैंने फिर भी माननीय मंत्री जी से कहा था कि जो सूचना आपके पास है उसमें अनअथोराइज्ड लोगों ने भी सप्लाई की है। (घंटी)..

अध्यक्ष : माननीय ठाकुर साहब, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राम लाल ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, इसलिए मुझे दो-तीन मिनट दे दीजिए। हमारी सारी-की-सारी खड्डें खराब हो गई

हैं। पीने के पानी की स्कीमें खत्म हो गई हैं और ये जो रात के अंधेरे में काम करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई। मैं किसी सरकार के पक्ष या विरोध में बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। अगर पिछली सरकार से भी गलतियां हुई हैं तो उससे भी आपको सबक लेना चाहिए। मैंने उस समय भी कहा था कि बिलासपुर में जो कार्य चल रहा है उसमें स्पलायर ने दो सौ करोड़ रुपये एम फॉर्म का मार लिया है। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । पता नहीं आप लोगों को माफिया से क्यों डर लगता है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपकी एक फर्म एस.ई.बी.टी. है जिसने ठेके लिए और आगे सबलेट कर दिए सबलेट के बाद वह कार्य चार-चार बार बिक गया। लोगों की पेमैंन तक नहीं हुई। जो मेटेरियल निर्माण कार्य में लगा उसमें उस कंपनी ने क्या किया कि उद्योग विभाग से एफ फॉर्फ ले लिया और उसकी ऐवल में 10-10 ड्रक वहां आ गए । यह किसकी गलती थी। मैं यह भी कहना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी के पक्ष में कहने के लिए यहां नहीं खड़ा हूं। मैंने पूर्व में भी माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था और उद्योग मंत्री जी से भी कहा था कि यह कार्य गलत हो रहा है उसमें जो भी आदमी शामिल हो उन पर आप कार्रवाई करिए। वहां 80-80 टिप्पर रात को निकलते थे। सारी-की-सारी खड्डें हमारी खाली कर दी गई। आप वहां जा करके लेखिए सीर खड्ड का बुरा हाल है, सरयाली खड्ड और

30.08.2018/1435/बी.एस/डी.सी./-2

अली खड्ड का पानी सूख गया है। जब हम यहां पर सूचना मांगते हैं तो आई.पी.एच. मंत्री जी और ही ढंग से जबाव देते हैं और उद्योग मंत्री भी अपने तरीके के उत्तर यहां पर देते हैं। जब हमारा प्रश्न ही नहीं लगता तो जबाव भी क्यों देंगे? मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप उसके ऊपर अवश्य ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों ने बड़े-बड़े टिप्पर रखे हैं और वे रोड़ी उठा करके एक जगह डम्प करके वहां से रोड़ी बेच रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री राम लाल ठाकुर : उनके पास कोई लाइसैंस नहीं हैं। करोड़ों रुपये का कार्य आज उद्योग विभाग के अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहा है। आज चाहे फोरेस्ट माफिया हो,

चाहे वह खनन माफिया हमारी पुलिस फोर्स भी उसमें शामिल हो जाती है। । मैं यह कहना चाहता हूं कि समयानुसार इस पर कोई न कोई कदम उठाया जाना चाहिए। ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा हो सके और जो अवैज्ञानिक तरीके से अवैध खनन हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसके ऊपर भी कोई अंकुश लगना चाहिए। नालागढ़ में आज क्या हाल है ? यहां पर राणा जी बैठे हैं, इनके हल्के में क्या हो रहा है। इनसे पूछिए। रात के अंधेरे में कितनी-कितनी स्कीमों का बेड़ा गर्क हो गया? कितनी गाड़ियां रात के अंधेरे में जा रही हैं। इसके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हैं इसमें कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं। इसे रोकने के लिए कड़े-से-कड़े कदम हिमाचल प्रदेश सरकार को उठाने चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय ये कुछ बिंदु हैं, जो मैंने यहां पर माननीय मंत्री महोदय, के ध्यान में लाए हैं। कृपया जो आपकी माइनिंग पोलिसी है उसमें सुधार लाइए। अध्यक्ष महोदय, हम स्वयं ऐसे कर्यों को करने की अनुमति प्रदान करते हैं, नौणी से ब्रह्मपुखर तक की जो सड़क है वहां से हजारों ट्रक निकल गए उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है । आज ट्रेक्टर वाले को पकड़ कर उसे 25-25 हजार रुपये का जुर्माना कर दिया जाता है। लेकिन बड़े ठेकेदारों को कोई नहीं पूछ रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग इन सारे कार्यों को करवा रहा है। सरकार देखे कि कहां क्या करना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
30.08.2018/1435/बी.एस/डी.सी./-3

अध्यक्ष : बार-बार हमें घंटी बजाना उचित नहीं लगता । अतः सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे समय की मर्यादा का ध्यान रखें । यदि ध्यान नहीं रखा जाएगा तो सारा समय एक ही विषय पर निकल जाएगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, यदि सभी को दो, तीन-तीन मिनट दे दिए जाएं तो उचित रहेगा।

अध्यक्ष : अग्निहोत्री जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। परंतु समय आप सभी को निर्धारित करना पड़ेगा। लिस्ट मेरे पास है, मैं सभी को अनुमति प्रदान करूंगा। अगर समय का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो कठिनाई आएगी।

श्री डी.टी. द्वारा जारी ...

30.08.2018/1440/DT/DC/-1

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सुख राम जी।

श्री सुख राम :माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी ने जो गैर सरकारी कार्य दिवस पर चर्चा सदन में लाई है, मैं उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। हिमाचल प्रदेश एक उभरता हुआ प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृति स्त्रोत पानी के हैं वे आज के समय में पर्याप्त नहीं हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हज़ारों सड़के बन रही है। अभी पठानिया जी ने कहा कि भूतल एवं परिवहन मंत्री जी ने हिमाचल के लिए 69 नैशनल हाइवे की घोषणा की है। जिनकी डी.पी.आर्ज. बन रही है। यह भी कहा गया कि सारी सड़कें कंकरीट की बनेगी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व में भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे प्रदेश को पैकेज दिया था। चाहे वह कालाअंब हो, पांवटा हो, ऊना में टालीवाला हो या बद्दी में बरोटीवाला हो या नालागढ़ बहुत सी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में बनी है। इसलिए पहले इतने मिनरल की आवश्यकता नहीं होती थी। प्रदेश में जो नैचुरल मिनरल होता था उससे हिमाचल प्रदेश का गुजारा हो जाता था। बहुत ज्यादा मटीरियल पंजाब, हरियाण से हिमाचल प्रदेश में लाया जाता था। इसलिए हम इलिगल माइनिग का विरोध कर रहे हैं। परन्तु मैं इस माननीय सदन के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इसे बंद करने के लिए कोई पॉलिसी बने। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ो नदीयां हैं। सारा मिनरल यहां से बहकर हरियाणा, पंजाब उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश जाता है। अध्यक्ष

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से कहाना चाहता हूँ कि जो हमारा मिनरल है वह हाई क्वालीटी का है। आज हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबुत करना है तो हमे इसके ऊपर एक ठोस नीति बनाने की आवश्कता है। मैं आपने पावंटा विधान सभा क्षेत्र के साथ लगते हरियाण की बात करता हूँ। हमारे यहां दो नदीयां है युमना नदी, और गिरी नदी । हमारा जितना मिनरल साल में हम खनन करते है वह पहली बरसात में भर जाता है। 350 से ज्यादा क्रशर हरियाण की सीमा पर लगे हैं। 4 सौ करोड़ की इनकम युमना और गिरी नदी से हरियाणा सरकार करती है। हम खनन के बारे में बात करते हैं।

30.08.2018/1440/DT/DC/-2

लेकिन हिमाचल प्रदेश को इनकम कहां से होगी जो हमोर वन हैं, वन नीति कैसी हो ताकि हमें कोई इनकम हो। हम पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो बहुत सारी समस्या यहां पर खड़ी होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ की इसके लिए ठोस नीति बनाए जाए और ठोस नीति बनाकर हिमाचल प्रदेश में वैज्ञानिक तरीके से माइनिंग होनी चाहिए जो हिमाचल प्रदेश का सोर्स ऑफ इनकम पैदा करेगी। सरकार को बने हुए अभी 8 महीने हुए हैं और मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने माइनिंग के बारे में अच्छी नीति बनाई है। जो मुआवजा है वे दुगना कर दिया है। इसमें दो साल का कारावास और 5 लाख का र्जुमाना रखा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने घर बनाना हो तो मेटिरियल कहां से लाएगा, इसके बारे मे चिन्ता करनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मंजूर होते हें उनके लिए मटिरियल कहां से आएगा।

श्री एन जी द्वारा जारी...

30/8/2018/1445/एच0के0/एन0जी0-1

श्री सुख राम जारी.....

जब हमने डेवलेपमैन्ट करनी है । व्यक्ति ने घर बनाना है तो मैटिरियल कहीं न कहीं से तो लायेगा। वो कहां से मैटिरियल लाऐगा इसके बारे में चिन्ता करिए । आप प्रधानमन्त्री आवास योजना में लोगों के लिए घर सैंक्शन करते हैं और उनके लिए मैटिरियल कहां से आएगा । एम.फार्म मिलता नहीं है, ट्रैक्टर वालों को एम.फार्म कोई देता नहीं है । मैं चाहता हूं कि इसमें ठोस नीति बनाकर माईनिंग करने का अधिकार दें, स्टोन क्रेशर लगाने का अधिकार दें । बहुत सी जगहों पर लोगों की निजी भूमि है, हमारी गिरी नदी में एक भी जगह सरकारी भूमि नहीं है और हजारों बीघा भूमि है वह सब निजी भूमि है । अगर आप सरलीकरण करके लागों को अनुमती देंगे तो उससे हिमाचल प्रदेश को करोड़ो रूपये राजस्व आयेगा । अगर आप अनुमती नहीं देंगे तो आप जितना मर्जी रोक लो लोगों को वे रात के अन्धेरें में माईनिंग करेंगे । आपके पास स्टाफ ही कितना है ? आपके पास एक एम.ओ. है, 2-3 इन्सपैक्टर हो सकते हैं, 2-3 गार्ड हो सकते हैं । कैसे रोकेंगे आप गैर कानूनी माईनिंग को? क्या ये सब 24 घण्टे डीयूटी करेंगे? इसलिए आप इसकी एक सार्थक पॉलिसी बनाईये और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस पॉलिसी के अन्दर जो नदियां गहरी हो रही है उसके सन्दर्भ में हर एक किलोमीटर पर, मैं चैक डैम की बात नहीं कह रहा हूं, नदी को 10-10 फुट नीचे खोदकर कंकरीट की मजबूत दीवारें लगाईए और उन दीवारों की ऊंचाई नदी से 3-3 फुट ऊपर रखिए । जब बरसात का पानी के साथ मलबा आएगा वो उन दीवारों में आकर रूक जाऐगा इससे नदी का लेवल नीचे जा ही नहीं सकता । इससे न तो पीने के पानी की कोई स्कीम खराब होगी न ही भूमिगत जल का लेवल ही डाऊन होगा। इस सब को करने के लिए एक तरीका बनाईये । हिमाचल प्रदेश में इतनी सड़के बनी है, इतनी सुरंगे बनी है, इतनी स्कीमें बन रही है । इतना बड़ा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया बना है, क्या यह रातों रात बन गया, कहीं से तो इसमें मैटीरियल लगा होगा । मैटीरियल को यदी आप लीगल कर देंगे तो हिमाचल प्रदेश को पंजाब-हरियाणा से ज्यादा राजस्व आ सकता है क्योंकि हमारे यहां ज्यादा नदियां है । हम अपने यहां ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि लगता है हिमाचल प्रदेश में सारी गैर कानूनी माईनिंग हो रही है । अगर आपने हिमाचल प्रदेश में आय का स्त्रोत बढ़ाना है तो मैं माननीय सदन में कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा राजस्व हिमाचल को खनन से आ सकता है । हमारे पास

30/8/2018/1445/एच0के0/एन0जी0-2

इतनी नदियां है और उनमें इतना बेशकीमती मैटीरियल है । आपने अवैध खनन को रोकने के लिए जो कदम पांवटा में उठाए है और वहां सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अवैध खनन को रोकने के इससे ज्यादा और क्या तरीका हो सकता है । यह आपने 15-20 दिन पहले लगाऐं है और आप भी स्थानों में लगाने जा रहे हैं ।

श्रीमती आशा कुमारीः यह सब माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हो रहा है ।

श्री सुख रामः यह माननीय हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है लेकिन इम्पलीमैन्ट तो प्रदेश सरकार ही कर रही है । माननीय उच्च न्यायालय तो बहुत से आदेश देती है लेकिन इम्पलीमैन्ट कौन करता है। उसके लिए भी हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने पांवटा में सी.सी.टी.वी कैमरे लगा दिए ।

उपाध्यक्षः आप प्लीज वाइन्डअप करिये ।

श्री सुख रामः मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि विभाग ने यदि अवैध खनन पर रोक लगानी है तो उसके लिए स्टाफ भी प्रोवाईड करिए। जितना आपके पास स्टाफ है यह बहुत कम है । आज छोटी-छोटी बातों में बहुत छींटाकशी होती है और एक ट्रैक्टर माईनिंग करके आता है उसकी फोटो खींचकर माननीय हाईकोर्ट को भेज देते हैं और उस पर कार्रवाई हो जाती है । हमारे विभाग के अधिकारी वहां खड़े रहते हैं । छोटी-छोटी बातों में सारे अधिकारियों को परेशान किया जाता है । मैं चाहता हूं की माईनिंग को लीगल कीजिए।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

30/08/2018/1450/RG/HK/1

उपाध्यक्ष : अब श्री जगत सिंह नेगी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-101 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प खनन नीति के बारे में चर्चा के लिए यहां रखा है। मैं भी उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे साथी आज जो उस तरफ हैं, कल इस तरफ होते थे, तो भेड़िया आया-भेड़िया कहकर बहुत हल्ला करते थे। उस समय तो भेड़िया आया नहीं, परन्तु आपके समय में आ गया, जब आप उधर चले गए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज खनन माफिया पूरे प्रदेश में सबसे अधिक चिन्ता का विषय है। हिमाचल प्रदेश में खनन के साथ फॉरेस्ट प्रोडयूज, हाईड्रो पॉवर इत्यादि मिनरल्ज निकलते हैं जिनसे हमारे प्रदेश की आय बढ़ सकती है। शराब ठेके तो आपने इन्होंने अच्छे तरीके से दे दिए और शराब माफिया का तो इन्होंने कल्याण कर दिया। हाइड्रो पॉवर का भी हो गया। हाईड्रो पॉवर में आज दस हजार करोड़ रुपये का नुकसान करके चले गए। अब खनन रह गया है। जो नीति आपने बनाई है, उसमें यहां मेरे माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसके लिए कोई एक ठोस नीति नहीं है। अब सबसे जरूरी यह है कि आज की तारीख में सरकारी तौर पर कोई भी क्वारी नहीं है। यदि सारी-की-सारी क्वारीज़ को आप आईडेन्टीफाई करके उसकी ऑक्शन कराएंगे, तो हर जगह पर माइनिंग का काम ठीक हो जाएगा। लेकिन हम एन.जी.टी. या हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी नहीं करते और रिव्यु में भी नहीं जाते। जो भी हाई कोर्ट ने कह दिया, हम तुरन्त मान जाते हैं। अधिकारी हमारी और आपकी बात नहीं सुनेंगे, हाई कोर्ट में यदि कोई पी.आई.एल. फाईल हो जाएगी या हाई कोर्ट का एक छोटा सा भी ऑर्डर हो जाएगा, तो मुख्य सचिव तक सारे दौड़े-दौड़े हाई कोर्ट में जाएंगे और नतमस्तक होकर बिना कोई तर्क दिए उनकी बात पर मुहर लगा देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिला किन्नौर की बात करना चाहता हूं। मेरे इलाके में एक भी क्वारीज़ नहीं है जिसको क्रशर को कोई परमिट मिला हो। एक भी क्वारी आईडेन्टीफाईड नहीं है और सारा-का-सारा काम दो नंबर में हो रहा है। एक-एक रेत का ट्रक 26-26 हजार रुपये में मिल रहा है। वहां माइनिंग का एक ऑफिसर है और दो-तीन

छोटे अधिकारी है। उनके मजे लगे हुए हैं। हम उनको फोन करते हैं, तो वे कहते हैं कि मैं फलाना जगह पर हूं। वहां पूछें, तो कहते हैं कि मैं अभी दूसरी

30/08/2018/1450/RG/HK/2

जगह पर हूं। वे चांदी नहीं बल्कि सोना कूट रहे हैं। हमारे सारे काम ठप्प हो गए हैं। पंचायतों में सारे छोटे-छोटे काम बंद हैं, 26,000/-रुपये का रेत या बजरी का ट्रक लेकर हम पंचायत के काम नहीं कर सकते। उसके लिए एक तो वहां जो हमारे वाज़ि-बु-उल-अर्ज़ हैं, उसमें हमारे यहां राइट्स हैं और जो स्थानीय लोग हैं, certain amount of Minerals बिना कोई रॉयल्टी दिए ले सकते हैं। एक तो आप इसको तेजी से लागू कीजिए ताकि पंचायतों के काम वहां हो सकें। इसके साथ में क्वारी आईडेन्टीफाई करके वहां आप उसको ऑक्शन कीजिए ताकि यह जो रात के अंधेर में काम-धन्धा चला हुआ है, इसको रोक जा सके, यह बहुत जरूरी है। अभी जो एक सदस्य कह रहे थे मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। परन्तु यह जरूर कहूंगा कि यह एक बहुत बड़ा माफिया राज है। अगर आप पूरी फोर्स भी लगा देंगे या पुलिस विभाग के सारे-के-सारे लोग इसके पीछे लग जाएंगे, तो भी यह नहीं रुकने वाला है। क्योंकि इसमें पुलिस और माइनिंग दोनों का फायदा चला हुआ है। दोनों लोग अपने दोनों हाथों से चांदी और सोना कूट रहे हैं। इसको हमें रोकना है और इसके लिए आपको नीति बनानी है। इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और हमें सस्ते में एक मकान बनाने या विकास के कार्य करने के लिए लोगों को रेता और बजरी भी मुहैया कराना इस नीति में डालने की जरूरत है। धन्यवाद।

30/08/2018/1450/RG/HK/3

उपाध्यक्ष : अब श्री परमजीत सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री परमजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने खनन पर चल रही चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। खनन माफिया के हौसले अभी टूटे नहीं हैं, बुलन्द हैं। हां, इसमें कमी जरूर आई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करुंगा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

क्योंकि मेरे क्षेत्र बी.बी.एन. से अधिकतर गाड़िया हरियाणा और पंजाब को जा रही हैं। यहां विभाग के पास अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ कि जो एम फार्म लेते हैं, एक डाक सिस्टिम बना रखा है, तीन लोग मोटरसाइकिल पर लगाए है,

एम.एस. द्वारा जारी

30/08/2018/1455/MS/AG/1

श्री परमजीत सिंह जारी----------

अगर पुलिस वाला आगे खड़ा है तो उसको एम-फार्म मिल जाता है और अगर नहीं खड़ा है तो एम-फार्म नहीं मिलता है। मैं ज्यादा न बोलते हुए मंत्री महोदय से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे क्षेत्र को आप बचाने की कृपा करें क्योंकि उद्योगपति भी बहुत तंग आ चुके हैं और जो पीछे बाढ़ आई थी, उसमें लोगों की बहुत सारी ज़मीनें बह चुकी हैं जिसका कारण खनन माफिया है। हमारे जो मेन पुल है जोकि एक हरियाणा और दूसरा पंजाब को जोड़ता है वे दोनों पुल खतरे में हैं और अगर कभी बाढ़ आ गई तो वे गिर सकते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो खनन माफिया हैं, जैसे माननीय सदस्य राकेश पठानिया जी ने ठीक कहा कि जो यह रेवेन्यु है यह हिमाचल सरकार को आना चाहिए न कि इनकी जेबों में जाना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः धन्यवाद परमजीत पम्मी जी। अब चर्चा में श्री हर्षवर्धन चौहान जी भाग लेंगे।

30/08/2018/1455/MS/AG/2

श्री हर्षवर्धन चौहानः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राकेश पठानिया जी ने जो यह प्रस्ताव खनन नीति पर लाया है, मैं इस पर चर्चा करने हेतु खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की विकास की रफ्तार उस देश का रॉ मटीरियल तय करता है। इस देश में जो मेजर मिनरल रूल है उसमें दो प्रकार के कानून हैं। एक मेजर मिनरल रूल है और एक माइनर मिनरल रूल है। मेजर मिनरल रूल को भारत सरकार तय करती है और माइनर मिनरल में रेत, बजरी और स्थानीय जो मटीरियल है वह आता है। अभी कुछ समय पहले हमारे जो कानून बने थे उनमें संशोधन हुआ है। सबसे बड़ी बात जिसकी अभी चर्चा भी कर रहे थे, राकेश पठानिया जी की बात भी ठीक है कि अवैध माइनिंग कैसे रोकें? जो लोग वैध खनन करते हैं उनके ऊपर तो सरकार हर प्रकार का शिकंजा कसती है। पहले उनको सैंक्शन करवाना है, फिर इन्सपैक्शन करवाओ, फिर एन0ओ0सीज0 कलैक्ट करो, फिर एन्वायरनमैंट प्लान बनाओ, फिर माइनिंग प्लान बनाओ और जब सैंक्शन हो जाएगी फिर उसके बाद कई महकमों की इन्सपैक्शन होनी है। वे समय-समय पर आएंगे और फिर तंग करेंगे। मेरा एक मित्र है जिसके पास माइन थी लेकिन उसने वह माइन अब बन्द कर दी। मैंने पूछा कि माइन क्यों बन्द कर दी? वह बोला कि एक नम्बर के काम में तो पैसा ही नहीं है। पैसा तो दो नम्बर के काम में है। वह कहता है कि जो मुझे ये कागज दिए हैं इनको मैं क्यों लगाऊं। न मैंने किसी को पूछना है, न किसी से इन्सपैक्शन करवानी है और न मैंने किसी की परमिशन लेनी है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आज हमारे प्रदेश के ऐसे हालात हैं और अगर माइनिंग और कारोबारी लोगों की ऐसी मानसिकता होगी तो उसमें कमी कहां है? हिमाचल प्रदेश में मैं कहता हूं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनका भी एटीच्यूड कारोबार को बढ़ाने वाला नहीं है। हमारा पॉजिटिव एटीच्यूड होना चाहिए। जब अवैध काम होता हैं तो उसका दोष हम पुलिस को देते हैं या माइनिंग डिपार्टमैंट को देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि अवैध खनन के सबसे बड़े दोषी तो हम पॉलिटिशियन्ज हैं। चाहे कांग्रेस के लोग हैं या बी0जे0पी0 के लोग हैं। इल्लीगल काम करने वाले लोगों को किसका संरक्षण होता है? मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल लोगों का शैल्टर होता है।

30/08/2018/1455/MS/AG/3

हम नेताओं को अक्सर शाम को फोन आते हैं कि मेरा ट्रैक्टर पकड़ लिया, मेरी रेत की गाड़ी पकड़ ली या मेरी रोड़ी की गाड़ी पकड़ ली, इसे आप छुड़ा दो और हमारी भी

कम्पल्शन होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो हमें जितनी भी इल्लीगल एक्टिविटीज हैं उसमें शामिल होने से अपने आपको रोकना चाहिए। ये जो इल्लीगल काम करने वाले हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं। ये लोग तो समय के साथ चलते हैं। ये कल हमारे साथ थे और आज आपके साथ हैं। आने वाले समय में जब हमारा समय नज़दीक आएगा तो ये इधर को घूम जाएंगे। इसलिए इस पर नकेल लगाने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रेवेन्यु आना चाहिए। आज हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्य हैं जहां 50-50 हजार करोड़ रुपया मिनरल के रूप में रेवेन्यु आ रहा है। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सिज हैं इसलिए हमें इनको टैप करना है और इनको वैज्ञानिक रूप से निकालना है। अभी सुख राम चौधरी जी ने ठीक कहा कि यमुना पर इतनी इल्लीगल माइनिंग हो रही है। यमुना तो खुली यमुना है। उत्तराखण्ड के लोग आते हैं और हिमाचल प्रदेश में घुसपैठ करके हजारों की तादाद में पत्थरों के ट्रक भरकर ले जाते हैं। मैं मुकेश जी को बधाई दूंगा कि दो साल पहले यमुना की ऑक्शन हुई और उसमें लगभग 35 करोड़ रुपये का जो चोरी से माल चला जाता था, वह रेवेन्यु प्रदेश को आया। आज मैं मंत्री जी से भी निवेदन करुंगा कि आज आपको पूरे प्रदेश में यह देखना है कि हमारे खनिज पदार्थ कहां-कहां और कितने हैं। उसका सर्वे करने की जरूरत है और उसका एक मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है कि उन खनिज पदार्थों का किस तरह से दोहन किया जा सकता है। आज आपके पास कुछ भी नहीं है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

30.08.20128/1500/जेके/वाईके/1

श्री हर्ष वर्धन चौहानः------**जारी**--------

आज आपका माइनिंग डिपार्टमैंट अंडर स्टाफ है। आज आपने एक लिस्ट छाप दी उसके अनुसार फोरैस्ट वाले भी देखेंगे, पी0डब्ल्यू0डी0 वाले भी इलिगल को चैक करेंगे,

आई0पी0एच0 वाले भी करेंगे, लेकिन सब अपना पल्ला झाड़ते हैं। माइनिंग डिपार्टमैंट में आपने कुछ नियुक्तियां की है लेकिन माइनिंग डिपार्टमैंट कितना कर देगा?

उपाध्यक्ष महोदय, प्रोजैक्ट्स आने हैं, रोड़ज आनी है, सबसे बड़ा फाल्ट तो यह है कि किसी प्रोजैक्ट की जब हम डी0पी0आर0 बनाते हैं उसमें सोर्स ऑफ मटीरियल तो आइडैंटिफाई ही नहीं करते। मैं आपसे निवेदन करूंगा मुख्य मंत्री जी यहां नहीं है कि सोर्स ऑफ मटीरियल वह चाहे रोड़ी है, रेत है, चाहे कुछ और है, उसमें आइडैंटिफाई होनी चाहिए, डी0पी0आर0 में यह आनी चाहिए। जिस व्यक्ति से वह मटिरियल आएगा वह आइडैंटिफाई होना चाहिए। अभी ठाकुर राम लाल जी ने जिक्र किया कि मनाली वाली जो फोर लेन बन रही है, सारे का सारा मटीरियल इलिगल आ रहा है। जो प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनती है वह मटीरियल के अनुसार यानि जो भी मटीरियल लगना है उसके मार्किट रेट के हिसाब से बनती है। हजारों-करोड़ों रूपए की तादाद में रॉ-मटिीरियल की चोरी हो रही है। आपको इन सारी चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को भी बताना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में लाइम स्टोन की माइन है बहुत सारी लाइम स्टोन की माइन्ज़ हैं। आज भी आधी माइन्ज़ बन्द पड़ी हैं। आज इक्नोमिकली वायबल ही लाइम स्टोन की माइन्ज़ नहीं हैं। उसमें पौने दो सौ रूपए के करीब तो टैक्सिज़ हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसमें रॉयल्टी है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, गुड कैरिज बाइ रोड़ टैक्स है। आपके जी0एस0टी0 ने तो सारे टैक्स खत्म कर दिए। आप फिर भी लाइम स्टोन के ऊपर गुडज कैरिज बाइ रोड़ टैक्स लगा रहे हैं। उसको खत्म करने की जरूरत है। आज पाकिस्तान से पांवटा में लाइम स्टोन आ रहा है। वह बहुत ही हाई क्वालिटी का लाइम स्टोन है। लोग ला रहे हैं। हमारे मार्बल के जो पहाड़ हैं, उनसे न लोग उसको निकाल पा रहे हैं न इक्नोमिकली वह वायबल है। एक सबसे बड़ी समस्या मैं यहां पर और कहना चाहूंगा हमारे हिमाचल प्रदेश में कम्पलेंट्स का रिवाज़ है। मुख्य मंत्री को, गवर्नर को और राष्ट्रपति को कम्पलेंट होंगी और फिर उस प्रोसैस में वह कम्पलेंट आएगी फिर वह एक्सट्रॉर्शन का एक धंधा बन गया है। फिर उन कम्पलेंट्स को खत्म करवाने की कोशिश की जाती है। मेरा एक और मानना है कि हिमाचल में यह भी है कि

30.08.20128/1500/जेके/वाईके/2

पंचायतों के एन0ओ0सी0 लाओ। अगर इण्डस्ट्री लगानी है तब भी पंचायत का एन0ओ0सी0, माइन लगानी तो भी पंचायत के एन0ओ0सी0 और यदि आपने कुछ और करना हो तो तब भी पंचायत के एन0ओ0सी0। पंचायत के बारे में तो मैं आपको कहूं कि यह एक एक्सप्लॉइट करने का धंधा बन गया है। आप हमें बाताओ कि पंचायतों के पास कौन से टैक्निकल लोग है? प्रधान और मैम्बर बैठेंगे वे भी एन0ओ0सी0 तब देंगे जब इतना दोगे। यह मैं आपको खुद कह सकता हूं और हमारे साथ भी यह हुआ है। आज इसमें नकेल कसने की जरूरत है। आपने सी0सी0टी0वी0 लगाए। मेरे वहां से लाइम स्टोन आ रहा है। आपके भाजपा के नेताओं के जो रिश्तेदार हैं और वहां एक ख्युना बैरियर है, हमारे विधान सभा के सेक्रेटरी साहब भी जानते हैं वहां चैकपोस्ट में माइनिंग डिपार्टमैंट के लोगों को जरका देते हैं। एक एम-फार्म होता है। सुबह उसको लेंगे और उस एम-फार्म से शाम तक चलाएंगे। अगर कोई आपत्ति करता है उसको मारने पड़ जाते हैं मुझे खुद आपके ख्युना में आपके माइनिंग डिपार्टमैंट के लोगों ने कहा कि हमारा तो जीना हराम कर दिया है। आज मेरा एक एरिया है वहां की सारी माइनें बन्द है। मगर आज हजारों की तादाद में हाइग्रेड मॉर्बल लाइम स्टोन में डम्प पड़ा हुआ है। अगर सारी माइनें बन्द है तो पत्थर कहां से आ रहा है? इस तरह की बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। हम चाहेंगे कि माइन चलनी चाहिए और इलिगल माइनिंग को आप रोकने के लिए कदम उठाए । हमने भी रूल बनाए थे। 2013 में रूल बनाए, 2015 में माइनिंग एक्ट बनाया। आपने रूल में पेनैल्टी तो ज्यादा बढ़ा दी है मगर उसकी इम्पलिमैंटेशन कम है। मैं चाहूंगा कि आप उस इलिगल माइनिंग को रोके और प्रदेश में रेवन्यू आए। माननीय उपापध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-

30.08.2018/1505/SS-AG/1

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जीत राम कटवालः उपाध्यक्ष महोदय, अवैध खनन के मामले में माननीय श्री राकेश पठानिया जी ने बोलना शुरू किया था, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

इल्लीगल माइनिंग और अनसाइंटिफिक माइनिंग, एक चिन्ता का विषय पिछले कई सालों से सरकार के समक्ष आता रहा है। इसमें कुछ सुधार भी हुए होंगे। नए तरीके और नई समस्याएं भी आती होंगी। जहां तक माइनिंग का सवाल है, यह माइक्रो, मीडियम और मैगा लेवल पर होती है। मैं समझता हूं कि इसकी समस्याएं भी इसी तरीके से होती हैं। राकेश पठानिया जी, बद्दी वाला एरिया और पांवटा साहब (यमुना बेसिन) वाले एरिये में बड़े स्तर की माइनिंग होती है। इन्होंने इंटर-स्टेट एक्टिविटी का भी ज़िक्र किया। मेरी कांस्टीचुऐंसी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मैं इस विषय के संबंध में माइक्रो लेवल की समस्या पर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये भी कहा गया कि इस इल्लीगल और अनसाइंटिफिक माइनिंग से कई तरह की समस्याएं आईं। माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की कि बड़े-बड़े प्रोजैक्ट बनने हैं, 69 नेशनल हाइवेज़ बन रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्प होंगे उनकी कॉस्ट भी एडवर्सली इफैक्ट होगी। उस पर भी असर पड़ेगा अगर हम बाहर से ही मैटीरियल मंगवायेंगे और अपने यहां माइनिंग का स्कोप न हो। यहां पर बहुत रैस्ट्रिक्शन्ज़ होती हैं। हर तरीके से हम कुछ-न-कुछ वे-आउट निकालने की कोशिश करते हैं। सरकार ने हाल ही में रेन हार्वैस्टिंग, कंजरवेशन ऑफ वॉटर की प्रोजैक्ट लाई। मेरे क्षेत्र में सतलुज और सीर खड्डु, दो नदियां हैं। वहां ज्यादातर माइनिंग का स्कोप रहता है। वैसे सतलुज का स्कोप तो कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि वह कांस्टीचुऐंसी की बाउंडरी है। मेरे चुनाव क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र में माइनिंग की कोई घटना या कोई ऐसा परिप्रेक्ष्य हुआ नहीं लगता। परन्तु सीर खड्डु में इस प्रोजैक्ट (रेन वॉटर हार्वैस्टिंग) में मेरा क्षेत्र भी शामिल है। पहले तो इन नदियों और छोटी-छोटी खड्डों पर डाइक्स लगते थे। कोई तीन मीटर से लेकर छः मीटर तक छोटे-छोटे 25 बांध, वाटर कंजरवेशन और वाटर लेवल की जो कमी है, उसके लिए सरकार ने नई प्रोजैक्ट बनाई है। जो अनसाइंटिफिक माइनिंग है उससे इन प्रोजैक्टों को आघात या धक्का लगने के चांसिज़ नज़र आते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार और इस सदन से अनुरोध रहेगा कि डाइक्स की जगह जो छोटे-छोटे बांध लगने की एक प्रस्तावना

30.08.2018/1505/SS-AG/2

तैयार की गई है और वह प्रोजैक्ट लागू होने वाली है जिससे वॉटर लेवल और पानी सप्लाई की जो स्कीम्ज़ हैं जोकि एडवर्सिली इफैक्ट हुई हैं, उसमें सुधार होगा। सीर खड्ड में 15-20 स्कीमें मेरी कांस्टीचुऐंसी में चलती हैं। गर्मियों में ऐसे इंस्टांसिज़ आए हैं कि 10-12 स्कीमें पानी की कमी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। जगह-जगह बोरवैल लगाकर हम कुछ काम करते हैं। जैसे इस वर्ष का अनुभव है, आने वाले वक्त में मैं मानता हूं कि कहीं इससे ज्यादा हम विपदा में न आएं। सरकार ने इसमें खनन पट्टा के नियम बनाएं। जुर्माने की व्यवस्था की। कैद की भी व्यवस्था की। परन्तु जो मैं असली कारण मानता हूं, वह स्टाफ की कमी है। पूरे बिलासपुर जिला में चार माइनिंग गार्डस हैं और एक माइनिंग गार्ड कहां-कहां डयूटी देगा? उनमें कोई छुट्टी भी जाता होगा और बीच में छुट्टियां भी होती हैं, तो इंफोर्समैंट है या एक सरकार की प्रैजैंस हो, उसके बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अच्छा काम हो रहा है। कोशिश हो रही है। मेरे वहां से एक्सपोर्ट करने का सवाल तो पैदा नहीं होता परन्तु जो छोटे-छोटे ट्रैक्टर वाले आदमी हैं जिनका पुलिस पांच-पांच हजार रुपये चालान करती है वे हर दूसरे-तीसरे दिन मेरे घर के आस-पास इकट्ठे होकर आते हैं। तो मैं इतना अनुरोध करूंगा कि सरकार इन छोटी-छोटी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में विचार करे।

जारी श्रीमती के0एस0

30.08.2018/1510/केएस/एजी/1

श्री जीत राम कटवाल जारी----

इन्होंने कमर्शियल ट्रैक्टर लिए होते हैं और इनके रोज़ी रोटी का साधन है। अगर महीने में एक चालान हो गया तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी तरह त्रस्त हो जाती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीर खड्ड के पट्टे की एक विभागीय जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, 15 साइट्स में से 9 साइट्स इन्होंनें ऑक्शन किए हैं। उसको कम से कम किया जाए क्योंकि उसमें अब डैम्ज़ के लिए भी साइट्स सलैक्ट हो रहे हैं। सीर खड्ड की चैनेलाइजेशन

का काम भी होने वाला है तो कहीं ऐसा न हो कि इस एक्सैसिव और अन्साइंटिफिक माइनिंग से कहीं हमारी समस्या, जो दूसरा मेजर प्रोजैक्ट, जिस पर 40-50 करोड़ रु0 खर्च किए जाने हैं, उसके लिए बहुत कठिन परिस्थिति पैदा न हो जाए। तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि इन ट्रैक्टर वालों का और जो छोटे-छोटे वाटर कन्जर्वेशन स्ट्रक्चर बनने हैं, इसको ध्यान में रखें।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अब वाइन्ड अप करिए। बाकी आप लिखकर दे देना।

श्री जीत राम कटवालः उपाध्यक्ष महोदय, जैसे राकेश पठानिया और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि पब्लिक रेप्रीज़ैन्टेटिव्ज़ को इसमें शामिल करना आवश्यक होगा। ठेकेदार भी, ट्रैक्टर वाले भी और पुलिस वाले भी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि यह कठिन है। तो अगर सभी को कठिन लग रहा है, परिस्थिति सभी को असहाय है तो पब्लिक रैप्रीज़ैन्टेटिव्ज़ सभी मिल-बैठकर तरीका निकाले कि अच्छे से, साइंटिफिक तरीके से और सभी को स्वीकार्य तरीके से खनन का मसौदा निपटे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद, शुक्रिया।

30.08.2018/1510/केएस/एजी/2

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा में श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी भाग लेंगें।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः उपाध्यक्ष महोदय, नियम-101 के तहत यहां पर राकेश पठानिया जी ने इलिगल माइनिंग के बारे में जो चर्चा रखी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और मैं

भी इसमें अपने आप को शामिल करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्र की, पूरे प्रदेश की बात की। कहा गया कि पूरे प्रदेश में आज जो इलिगल माइनिंग हो रही है ,उससे सरकार को काफी लॉस हो रहा है और लोगों को भी नुकसान हो रहा है। मैं ज्यादा डिटेल में न जा कर अपने चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित बात करुंगा। मेरा चुनाव क्षेत्र भी इलिगल माइनिंग से अछूता नहीं है। वहां पर भी इलिगल माइनिंग के बहुत से केसिज़ होते रहते हैं। चाहे पुलिस ऑफिसर हैं, माइनिंग के दूसरे ऑफिसर्ज़ हैं या इन्सपैक्टर्ज़ हैं अगर चालान करते हैं तो वे सिर्फ उसका करते हैं जो गधे पर रेता उठाकर ले जाता है लेकिन जो बड़े-बड़े ट्रकों में ले जाते हैं, उनका आज तक कोई चालान नहीं हुआ। इसका मतलब या तो हमारे पुलिस अधिकारी सफिशियंट नहीं हैं या उनसे मिले हुए होते हैं। मैं पब्बर नहीं की बात करना चाहूंगा। पब्बर नदी में आजकल बहुत इलिगल माइनिंग हो रही है। मुझे जगह-जगह से फोन आते रहते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि आज हमारा बगीचा उखाड़ लिया क्योंकि नदी के किनारे वहां पर लोगों की जमीनें हैं, बगीचे हैं और खेत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, मकान बनाने हैं, ड्वैल्पमैंट के कई काम है, सरकारी बिल्डिंगें बननी है तो उसके लिए मटीरियल की भी आवश्यकता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय को सुझाव रहेगा कि रोहडू में भी ऐसी कोई जगह देखी जाए जहां पर लीगल माइनिंग हो सके क्योंकि अगर हमने वहां मकान बनाना है तो रोहडू की जनता को रेते के लिए या तो सोलन जाना पड़ता है या रामपुर जाना पड़ता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

30.8.2018/1515/av/HK/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा---------- जारी

हर आदमी सोलन और रामपुर से ऐफोर्ड नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बंधित यह भी कहना चाहूंगा कि वहां पर चाहे आपके विभाग के अधिकारी है, दूसरे विभाग के अधिकारी है या पुलिस अधिकारी है। आज की तारीख में अगर मैं उनको यह बताता हूं कि फलां-फलां जगह में ऐसा हो रहा है तो कोई नहीं सुनता। इसके पीछे क्या कारण है, यह सबको पता है। कोई शिकायत नहीं सुनता और वहां बड़े-बड़े माफिया सक्रिय हैं। ये माफिया आज से सक्रिय नहीं है लेकिन आज की तारीख में लीगल माइनिंग का व्यापार जोर-शोर से चला हुआ है इसलिए इसको रोकना बहुत आवश्यक है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रोकने के साथ-साथ इसका समाधान निकालना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए ताकि हमारा अवैध खनन का कार्य रुक जाए और लोगों को परेशानी भी न हो। वर्तमान में लोग हर जगह पक्के मकान बना रहे हैं। मैं खासकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात बताना चाहूंगा कि पहले हमारे वहां लकड़ी के मकान हुआ करते थे लेकिन आज हमारे पास लकड़ी भी पर्याप्त नहीं है। आग से बचने के कारण भी लोगों ने पक्के मकान बनाना शुरू किए हैं। इसलिए इसके बारे में कोई ठोस नीति बनाई जाए और साथ-ही-साथ आपके अधिकारी या पुलिस विभाग के अधिकारी; जो भी आपने अवैध खनन को रोकने के लिए लगाए हुए हैं उनको भी निर्देश दिए जाएं कि केवल गधे पर ले जाने वालों का चालान न हो बल्कि सबको पकड़ो ताकि अवैध खनन रुके। इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए, यही मेरा सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30.8.2018/1515/av/HK/2

श्री रविन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, समय की भी तत्काल बुकिंग होती होगी और आपने मुझे तत्काल बुकिंग के तहत बोलने के लिए समय दिया; आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्य सदन में खनन पर चल रही चर्चा पर मुझे भी अपनी कुछ बातें रखनी हैं। खनन विकास का एक प्रमुख इनग्रीडियैंट है। हम जब घर बनाते हैं, कोई सरकारी भवन बनाना है या सड़क बनानी है तो इन सबके लिए हमें जिस मैटीरियल की आवश्यकता होती है वह खनन के माध्यम से मिलता है। लेकिन खनन कैसे और कितना हो, इस प्राकृतिक संपदा का दोहन किस प्रकार से हो; यह सोचने वाली बात है। मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर इससे पूर्व में अवैध खनन का धन्धा बड़े जोर-शोर से चला हुआ था। लेकिन माननीय मंत्री जी के निर्देशों की वजह से इसमें कुछ कमी आई है। अब इस माफिया ने अपना modus operandi बदल दिया है। पहले यह दिन के उजाले में खनन करते थे मगर अब इनकी नाइट शिफ्ट लगना शुरू हो गई है। मेरी जानकारी के हिसाब से अवैध खनन रोकने का कम-से-कम 22 विभागों को अख्तियार है। लेकिन पुलिस विभाग के अलावा आज तक किसी और विभाग ने कितने चालान किए यदि इस बारे में सूचना एकत्रित की जाए तो आप पायेंगे कि आज तक केवल पुलिस विभाग ही इसमें कार्रवाई करता आया है। अपने विधान सभा क्षेत्र में मैंने सबसे बड़ी बात यह देखी कि जैसे-जैसे हम सख्ती करते गये इस रॉ मैटीरियल की कीमत उतनी ही बढ़ती चली गई। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इनके रेट कौन रेगुलेट करता है? मैंने खुद एक केलकुलेशन की कि इनका ब्रेक इवन कितना होता होगा तो पाया कि तीन से चार रुपये के बीच में एक क्यूबिक फुट का ब्रेक इवन बनता है।

श्री टी सी वर्मा द्वारा जारी

30.08.2018/1520/TCV/DC-1

श्री रविन्द्र सिंह.... जारी

लेकिन मार्केट में यही रेट 24-26 रुपये प्रति क्यूबिक फुट दिया जाता है। ये एक अंधी लूट है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि खन्न के रेट कैसे तय

किए जाएं? इस बारे में आप जरूर ध्यान रखें। हर क्रशर के बीच कुछ दूरी तय की गई होती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन मुख्य योजनाएं हैं। टगैंड पेयजल योजना, जिसकी कीमत लगभग 68 करोड़ रुपये हैं। एक थम्बू पेयजल योजना जिसकी कीमती 37 करोड़ रुपये हैं और एक 32 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन बना है, उसकी कीमत भी लगभग 37 करोड़ रुपये हैं। मैं दुःख के साथ यह सूचित कर रहा हूं कि ये तीनों परियोजनाएं, अवैध खन्न के कारण गम्भीर संकट में हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि किसी भी सक्षम अधिकारी को भेजकर, इस बात की इन्क्वायरी करवाई जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं किसी दुर्घटना का शिकार न हों। मैं आपके माध्यम से इतना ही आश्वासन माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

30.08.2018/1520/TCV/DC-2

उपाध्यक्षः अब चर्चा में श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी भाग लेंगे।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राकेश पठानिया जी ने इल्लीगल माइनिंग के ऊपर इस सदन में विषय रखा है, उसमें चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आज खन्न बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जिससे हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है और हमारे पेड़-पौधे भी खत्म होते जा रहे हैं। श्री राकेश पठानिया जी ने जो चिन्ता यहां पर प्रकट की, वह चिन्ता हमारी भी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नालागढ़ में पांच नदियां पड़ती है, जिसमें सिरसा, चिकनी, महादेव, कालाकूण्ड और लोहड़ नदी है। वहां पर रात के समय में इल्लीगल माइनिंग होती है। जब उनको रोकने के लिए स्थानीय लोग प्रयास करते हैं तो जो माइनिंग सरगना है, वे लोगों को मारने का प्रयास करते हैं। जब विभाग के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो विभाग के लोग कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं, जितनी उनको करनी चाहिए और जितना उनको जुर्माना करना चाहिए। माननीय मंत्री के ध्यान में जब हम कोई बात लाते हैं तो ये उस पर गौर करते हैं। इसलिए अवैध खन्न को रोकना बड़ा आवश्यक है। खन्न के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो सिंचाई की स्कीमें हैं, इस बार 4

सिंचाई की स्कीमें गर्मियों में सूख गई हैं और कई हैंड़पम्प सूख गये हैं। इसके अलावा और भी जो पीने के पानी की स्कीमें हैं, वे भी सूख गई हैं। इसलिए इस पर अंकुश लगाना या इस पर कोई मजबूत नीति बनाना बहुत आवश्यक है। इसी तरह हमारी ग्राम पंचायत बग्लैहड़ पड़ती है, इस पंचायत के नज़दीक एक व्यक्ति को कुछ समय पहले क्रशर लगाने की परमिशन दी गई।

श्रीमती एन0एस0..... द्वारा जारी।

30-08-2018/1525/NS/HK/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा..... जारी

जबकि वहां पर नेशनल हाईवे-105 पड़ता है और इसका पुराना नाम 21-A है। इसके साथ में ही पुल है और माइनिंग से इस पुल का नुकसान हो रहा है। वहां पर 50-60 फुट माइनिंग पुल के नज़दीक कर दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस आदमी को किस ढंग से एन0ओ0सी0 मिला हुआ है और उसको वहां पर क्रशर लगाने की परमिशन कैसे दी गई है? इसकी जांच होनी चाहिए और इनको तुरंत बंद करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह लोग पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के माध्यम से माइनिंग करते हैं। वहां पर ऐसे अप्लाई किया जाता है कि हमने ग्रीन हाउस और पॉली हाउस लगाना है। लेकिन वहां पर 50-100 फुट माइनिंग कर दी जाती है। हाल ही में मेरी एक पंचायत में अंदरोला गांव पड़ता है और वहां से हमारे पूर्व विधायक भी रहे हैं तो वहां पर पॉली हाउस और ग्रीन हाउस को ले करके थोक में माइनिंग की गई है। वहां पर 50-60 फुट माइनिंग कर दी गई है। जब वहां के स्थानीय लोगों ने, जिनकी ज़मीन साथ पड़ती थी,रोकने का प्रयास किया तब भी वे लोग नहीं रूके। वहां के लोग माइनिंग इंस्पैक्टर के पास गये। लेकिन इंस्पैक्टर भी विवश हो गया और उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जब वहां के स्थानीय लोग जिनकी ज़मीन साथ लगती थी, उनको सब-जज़ के माध्यम से स्टे लेनी पड़ी तब जा करके वहां पर माइनिंग रोकी गई।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक करसौली पंचायत पड़ती है, वहां पर एक नदी है और यहां पर पिछले तीन सालों से रूहानी सत्संग के नाम से एक क्रशर चल रहा था। लेकिन किसी ने कभी पूछा नहीं। जब विभाग के पास इस क्रशर के बारे में जानकारी आई तो वे रातों-रात इस क्रशर को ले करके भाग गये। वहां पर इसका कोई नामो-निशान नहीं रहा। माननीय मंत्री जी, यह आपके समय की बात नहीं है, उससे भी पहले की बात है। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि वहां पर 50-60 फुट गैर-कानूनी तरीके से माइनिंग की गई। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ़ हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे यहां पर कहा गया है कि गधे-घोडों के चालान हो रहे हैं और जो मोटे आदमी हैं, उनके साथ सांठ-गांठ है। उनको अवैध माइनिंग करने की इज़ाजत दी जा रही है। पंजाब और हरियाणा का बोर्डर एरिया हमारे साथ लगता है। जितने भी पंजाब और हिमाचल के खनन माफिया हैं, वे सारे वहां पर हावी हैं। माननीय मंत्री बिक्रम सिंह जी

30-08-2018/1525/NS/HK/2

बड़े जुझारू हैं और काफी लम्बे समय तक हमने इनके साथ काम भी किया है और इनकी इच्छा शक्ति काफी अच्छी है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि खनन माफिया के ऊपर अंकुश लगाया जाए ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30-08-2018/1525/NS/HK/3

उपाध्यक्षः अब सतपाल सिंह रायजादा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सतपाल सिंह रायजादाः सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दो-चार बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो स्वां चैनलाइजेशन है, इसको तीन-चार स्थानों से खनन के लिए तोड़ दिया गया है। अगर ऊना में बरसात ज्यादा होती तो लोगों के घरों में स्वां का पानी चला जाता। गांव वालों ने इसके लिए आवाज़ उठाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका पुलिस विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। आज 10% माइनिंग अवैध तरीके से हो रही है और 90% माइनिंग पुलिस के साथ मिल करके हो रही है तथा पुलिस इसमें भागीदार है। मैं इस पर स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि बिना पुलिस की मिलीभगत से एक ट्रक

रेत भी पंजाब में नहीं जा सकता है। आपके विभाग के लोगों से मैंने कई बार बात की। लेकिन वे डर से वहां नहीं जाते हैं क्योंकि उनके साथ कोई भी पुलिस वाला नहीं होता है। पुलिस के कारण ही माइनिंग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और इनका लेन-देन मौटे तौर पर हो रहा है तथा 90% माइनिंग का पैसा खनन माफिया और पुलिस की जेब में जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। मैं पहली बार विधायक बना हूं लेकिन मैंने जो धरातल पर देखा है, मैं वही बता रहा हूं। माननीय मंत्री जी नंगल से अपने विधान सभा क्षेत्र में जाते रहते हैं और आपको ऊना से हो करके ही जाना पड़ता है तो कभी आप हमारे पास आयें। हम आपको बतायेंगे कि आज मैरिज़ पैलेस जहां पर शादियां होती थी, वहां पर रेत रखी जा रही है। क्योंकि मैरिज़ पैलेस में उतने पैसे नहीं बनते, जितने माइनिंग में बनते हैं। आप कभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आयें, मैं आपको वहां पर ले करके चलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के किनारे कम-से-कम 30 डम्प दिखाई देंगे। विभाग का एक एम-फॉर्म होता है और

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

30.08.2018/1530/RKS/HK-1

श्री सतपाल सिंह रायजादा... जारी

जो M-Form के बेस पर रेत बेच रहे हैं उनको M-Form नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की पुलिस के साथ सांठ-गांठ है, वे बिना M-Form के ही रेता निकाल रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप पुलिस विभाग पर दबाव बनाएं ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। धन्यवाद।

30.08.2018/1530/RKS/HK-2

उपाध्यक्षः अब माननीय मंत्री जी इस चर्चा का जवाब देंगे।

उद्योग मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, आदरणीय श्री राकेश पठानिया जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, इस संकल्प में सर्वश्री राम लाल ठाकुर, सुख राम, जगत सिंह नेगी,

परमजीत सिंह, हर्षवर्धन चौहान, जीत राम कटवाल, मोहन लाल ब्राक्टा, लखविन्द्र सिंह राणा और श्री सतपाल सिंह रायजादा जी ने काफी चर्चा की है। इस विषय के ऊपर लगातार इस सदन में चर्चा होती रही है। लेकिन माननीय सदस्यों जी ने जो विषय उठाए हैं, उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार के केवल 6-7 महीनों की डिवैल्पमैंट है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस प्रकार के गंभीर विषयों के बारे में केवल मैं ही नहीं बल्कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी बार-बार रिव्यू लेते हैं। मैं बड़े खुले मन से बता देना चाहता हूं कि इस सरकार के भीतर इन लोगों को बचाने वाला न तो कोई एजैंट है और न ही कोई किसी के साथ मिला हुआ है। हम बड़ी ईमानदारी के साथ इस काम में लगे हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस विभाग के अंदर जो कमियां हैं, उनके बारे में माननीय सदस्यों ने यहां पर चर्चा की। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई नीति या नियम बनाने की बात होनी चाहिए। अभी बहुत से वक्ताओं ने यहां पर अपना विषय रखा कि उनके क्षेत्रों में अवैध खनन हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। हमें इसके ऊपर कोई नीति बनानी चाहिए और जो नीति बनी है उसमें क्या संशोधन करने की आवश्यकता है, के बारे में सुझाव दिए जाने चाहिए। जब हमने इस नीति के अंदर जुर्माना बढ़ाया तो कहा गया कि जुर्माना बढ़ाना ठीक नहीं है। अभी सी.सी.टी.वी. की बात हो रही थी और कहा गया कि यह हाई कोर्ट ने बोला है। हम इन चीजों को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर आप पिछले 8 महीनों का पूरा हिसाब-किताब देखें और उसकी तुलना करें तो इससे पहले कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। पिछले 8 महीनों के अंदर चार FIR दर्ज हुई हैं। मैं इस समय और पहले के जुर्माने की तुलना भी करूंगा। सबसे पहले भाई श्री राकेश पठानिया जी ने अपना विषय रखा। पठानिया जी, आपने एक अखबार का विषय लिया। आपने 150 करोड़ रुपये का जिक्र किया। अखबार वाले तथ्यों पर लिखते हैं लेकिन आपको इस पूरे विषय की जानकारी होनी चाहिए। प्रदेश के अंदर 120 क्रशर ऐसे इन्वोल्व हैं जिनसे 80 करोड़ रुपये की रिकवरी शेष है। ये लोग हाई कोर्ट में गए, जिस कारण बहुत-सी लिटिगेशन्ज पैंडिग हैं। इसलिए आपका तथ्य बिल्कुल ठीक है।

30.8.2018/1530/RKS/HK-3

विभाग भी हाई कोर्ट में अपना विषय रख रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गलती की है उनसे सारा पैसा रिकवर किया जाएगा और इस बात के लिए मैं आपको आश्वसत भी करना चाहूंगा।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

30.08.2018/1535/बी.एस/डी.सी./-1

उद्योग मंत्री जारी ....

आदरणीय राकेश पठानिया जी ने कहा कि उनके चुनाव क्षेत्र में बहुत ज्यादा अवैध खनन हो रहा है। मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि हम हैड क्वाटर से एक विशेष दस्ता उस क्षेत्र में स्थापित करेंगे और पर्याप्त मात्रा में वहां पर पुलिस दल भी भेजेंगे। इस दल के द्वारा सारे क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा। अवैध सड़कों को बंद करवाया जाएगा और अवैध खनन को भी बंद करवाया जाएगा। यहां पर हमारे विभाग के अधिकारी बैठे हैं, जो-जो बातें हम यहां पर बोल रहे हैं मुझे लगता है कि इन सभी मामलों पर पूरे-का-पूरा एक्शन होना चाहिए। आदरणीय राम लाल ठाकुर जी ने अपने प्रश्न के बारे में यहां पर चर्चा की, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न को आगे-पीछे करना मेरे हाथ में नहीं है । लेकिन उस पर मैंने आपको जानकारियां प्रदान की थी । आपने कुछ व्यक्तियों के बारे में बताया कि उनके पास किसी प्रकार का लाइसैंस नहीं है फिर भी उन्होंने वहां पर सप्लाई दी है। इसमें कोई दोराय नहीं आप सही कह रहे हैं। लगभग 6 ऐसी फर्में हैं जिनको हमारे विभाग ने पकड़ा है और उनके ऊपर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है। हम लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं। जो आपने विषय रखा है उस पर हम एक्शन कर रहे हैं। यह आपके ध्यान में रहे कि उस दिन आपका प्रश्न लगा नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा आप उस प्रश्न के ऊपर चर्चा लें ताकि जो नाम मेरे पास हैं वह नाम चर्चा में आपके सामने आ जाएं। यदि फिर भी कोई कमी रह जाएगी आप मुझे लिखित में दे दीजिए ताकि हम उसे और क्लीयर कर सकें। यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया है कि इस क्षेत्र में क्या-क्या करने की आवश्यकता है। जैसे भाई हर्ष जी बोल रहे थे। ये मेजर और माइनर मिनर्लज की बात कर रहे थे। एक समस्या है लोग हमारे पास आते हैं । गरीब लोग परेशन हैं। क्योंकि वहां पर बहुत सी जगहों

पर कार्य बंद हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं और मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बारे में बात की है, मैंने विभाग से भी बात की है । कोई-न-कोई हल इसका निकल सके और गरीब लोग जिनकी रोजी-रोटी इससे चलती थी वह बंद हो गई है । इस बात की हमें अवश्य चिंता है। इसके साथ-साथ आपने एक और बात कही है कि आपकी पार्टी के कुछ लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वे दनदना रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, चाहे वह पार्टी का हो या पार्टी से बाहर का हो, आप मेरे ध्यान में लाइए, हम इस पर एक्शन लेंगे।

30.08.2018/1535/बी.एस/डी.सी./-2

हमारे विभाग का कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ मिल करके अवैध कार्य करता है तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। माननीय सदन में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि मेरे यहां ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे Whats-App में भी कोई बात आती है तो भी हम एक्शन लेते हैं। माननीय पूर्व उद्योग मंत्री जी यहां बैठे हैं, इन्होंने मुझे रात के 11.00 बजे फोन किया। इन्होंने कहा बिक्रम जी आप कहा हैं। मैंने कहा कि बताइए क्या बात है ? इन्होंने कहा कि फलां जगह में देखिए वहां क्या स्थिति है, वहां पर अवैध खनन हो रहा है। मैं रात को वहां से गया रात को ही हमने 11 चालान इस पर करवाए। हमें कोई भी बोलता है, चाहे वह भारीय जनता पार्टी से हो या कांग्रेस से हो। इस कार्य के लिए मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम बड़े खुले मन से इस कार्य में लगे हैं। हमारे मन में यही है कि जो अवैध खनन हो रहा है वह पूर्णतया बंद होना चाहिए। आप सभी कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा गिरोह है, इस गिरोह पर काबू पाने के लिए आप माननीय सदस्य के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके सुझावों की जरूरत है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपके क्षेत्र में कोई गलत काम होता है आप मेरे तक सूचना पहुंचाइए। जहां-जहां भी अवैध खनन पर चर्चा आई है, मैने डट कर गलत कार्यों का विरोध किया है। चाहे वह अपना था या पराया। इसलिए जो भी आपके यहां सुझाव आए हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितनी भी बातें यहां पर आई हैं उन पर साकारात्मक सोचते हुए कि अवैध खनन कैसे बंद हो, हम इस पर कार्य कर रहे हैं। जैसे भाई सुख राम जी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में अवैध खनन बहुत हो रहा है और उस पर चार्चा हो, इसके साथ ही किन्नौर के बारे में यहां पर बताया गया कि वहां

कोई ऑक्शन साइट नहीं हैं। हमने किन्नौर में 7 ऑक्शन साइटस ढूंडी है और इन 7 ऑक्शन साइटस में पंचायतें एन.ओ.सी. नहीं दे रही हैं। मेरा निवेदन है, आपको पंचायतों के नाम बता देंगे लेकिन आप उसमें हमारा सहयोग करिए।

श्री डी.टी. द्वारा जारी ..

30.08.2018/1540/DT/वाईके/-1

उद्योग मंत्री... जारी

बार-बार कहा जा रहा है जिस समय खड्ड खाली होती है उस समय अवैध खनन की संभावना ज्यादा रहती है । हमारी सरकार बनने के बाद सारी साइट्स की ऑक्शन ऑन-लाइन हुई है। जैसे हमीरपुर के अन्दर 14 साइट्स ऑक्शन हुई हैं, कागड़ा में 30, मण्डी में 28, सिरमौर में 24 , ऊना में 7, बिलासपुर में, 4 और कुल्लू में 10 साइट्स ऑकशन हुई हैं। टोटल 117 साइट्स ऑक्शन हुई हैं और इससे विभाग को 49 करोड़ रूपये मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो प्रस्तावित साइट्स हैं उनका अभी ऑक्शन होना है। जिनमें शिमला में 9, मण्ड़ी में 16, कुल्लू में 9, सिरमौर में 4 और हमीरपुर में 16 साइट्स हैं। हम इसके लिए प्रयासरत है कि किसी भी प्रकार की इल्लीगल माइनिंग न हो। इसको किस प्रकार रोका जा सकता है इसके बारे में मेरी माननीय राकेश पठानिया जी के साथ काफी लम्बी चौड़ी बातचीत होती रहती है और यह हमें बताते भी रहते हैं कि हमे इस प्रकार से काम करना चाहिए । मेरे सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अगर उनके मन में कोई इंफोर्मेशन हो कि ऐसा करने से इल्लीगल माइनिगं को बन्द किया जा सकता है तो इसके लिए आप अपने सुझाव दे सकते हैं। एक बात यह आई है कि हमारे प्रतिनीधि है वे नीति बनाते समय हमसे पुछते नहीं है। ऐसा कोई विषय नही है। आपका जो भी पोजिटिव सुझाव होगा उसे हम लेंगे। अभी हमने कोशिश की है और आपने पढ़ा भी है कि

हमने माइनिगं एक्ट में सुधार किया है। हमाने जुर्माने को बढ़ाया है। आपने एम.फार्म के बारे में बड़ी चिन्ता की कि एम. फार्म का दुरूपयोग होता है। मैं माननीय उपध्याक्ष जी इस माननीय सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने इस प्रकार की लीकेजीज को बंद करने का फैसला लिया है। हमने अब एम.फोर्म को नाम बदल कर कुछ ओर किया है। इन सारी चीजो को ऑन-लाइन किया गया है। आप कहते हैं कि सांठ-गांठ होती है। यदि आपको लगता है कि जो लोग दफ्तरों में बैठते हैं , मेरे विभाग का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, कोई माइनिगं ओफिसर्ज, माइनिगं इंस्पैक्टर किसी व्यक्ति के साथ उसकी सांठ-गाठ होती है तो कृपया मुझे इस

30.08.2018/1540/DT/वाईके/-2

बारे में बताईए। हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। अगर आप इस विषय को ऐसे ही सदन में रखेंगे कि अवैध खनन हो रहा है तो यह भी गलत है। मैं तो यह कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे भाइयों के सुझाव हैं और जो इसमें कमी पेशियां हैं उन्हें हमें दूर करे। जो मैं बोल रह हूँ वे केवलमात्र भाषण के अंश नही है। आप जो बातें सही तरीके से बताएगें उसमें हमारी पुरी कोशिश रहेगी कि हम इल्लीगल माइनिगं को रोकने में सक्षम होंगे। इसमें विभाग और मंत्री पूरे काम को नहीं कर सकता, इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि यह सहयोग हमें मिलेगा। मैं सभी मननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ की जो -जो भी आपके मन में प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हल हम जल्दी से जल्दी ढुंढने की कोशिश करेंगे। आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30.08.2018/1540/DT/वाईके/-3

श्री राकेश पठानियाः उपाध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए आपके सुझाव चाहिए। इसके लिए हम सब ने कहा है। हजारों ट्रक बाहर जा रहे हैं Why don't you tax them heavily.जो बड़े बड़े

ट्रक पंजाब और अमृतसर से आ रहे हैं आप इनके ऊपर हैवी टैक्सिंग करो। हिमाचल वालों को टैक्स माफ करो। अपने आप ही बाहर माल बिकना बंद हो जाएगा। जब तक यह माल बाहर नहीं जाऐगा They get it a very good quantum of rate. वहां पर माल नहीं है, वे यहां चोरी का माल खरीदने आते हैं और यहां पर रेट अच्छा देकर जाते हैं। दूसरी बात जो रवि जी ने बोली वह अड्रेस नहीं हुई कि रेट को कौन चैक करेगा? आज रेत और बजरी का रेट चार गुना डबल हो गया है। इस माईनिंग पोलिसी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जहां पर fluctuating of rates को चैक किया जाए। जो आम आदमी से जुडी` हुई बात है। जो आपने सुझाव की बात की है हमने आपको कहा कि डिर्माकेशन करो। फ्लैग पोस्ट लगाओ, कहीं फ्लैग पोस्टिंग नहीं है। कागजों में आपके विभाग के पास फ्लैग पोस्टिंग है पर सच्चाई में फ्लैग पोस्टिंग नहीं है। Where the mining is suppose to happen. It does not happen there .

श्री एन जी द्वारा जारी...

30/8/2018/1545/ए0जी0/एन0जी0-1

श्री राकेश पठानिया जारी.....:

जिसको एक बार लाईसैंस मिल गया वो समझता है कि सारे हिमाचल के लिए उसको माईनिंग का लाईसैंस मिल गया । तीसरा, जिन्होंने खड्डे खरीदी है, देखिए कौन है वो लोग? ये वही माफिया है जिन्होंने खड्डें खरीदी हैं। ये 3-4 लोग ही हैं जिन्होनें मिलकर खड्डे खरीदी हैं । एम.फार्म पालमपुर का हो या नूरपूर का हो, लगेगा वो जयसिंहपुर जाकर । एम.फार्म का जो घोटाला है उसे आप कैसे चैक करेंगे? ये जो निलामी होती है वो एक ही टीम है जो निलामी में भाग लेती है और बाद में हर जगह जाकर निलामी का दुरूपयोग करती है । हम आपसे स्पष्ट कहना चाहते हैं और जो ये छोटी-छोटी बातें है उसके लिए हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे । आपने अभी कहा कि हमे कोई सहयोग नहीं करता, हम तो जब से सरकार बनी है तभी से गला फाड़-फाड़ कर कह रहे है कि हमें बुलाओ तो सही, हमें अधिकारियों के साथ बिठाओ तो सही । अभी आपने कहा कि हमने 5 लाख का चालान कर दिया है लेकिन वो चालान हुआ किसका? 5 हजार का ट्रैक्टर का चालान हो रहा है, जेसीबी का

चालान होता है वो छूट जाता है । हमने बार-बार आपसे कहा है अगर आप पोकलैन पकड़ते हो तो ड्राईवर पर केस क्यों करते हो? केस करना है तो मालिक के ऊपर करो, मालिक जेल जाए न, ड्राईवर सुबह जेल जाता है शाम को जमानत लेकर वापिस आ जाता है । हम चाहते है की आप मूल रूप से इन सब बातों को सही करें । ताकि जो माननीय सदस्य, श्री सुखराम जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि ये जो राजस्व हमारा बाहर जा रहा है that revenue should come back to Himachal Pradesh. अगर 500 करोड़ रूपये राजस्व हमारे पास आयेगा तो आप हिसाब लगा लीजिए की एक-एक विधायक के पास कितना आयेगा? हम तो सारी उम्र बिक्रम जी की बल्ले-बल्ले करेंगे कि आपके माध्यम से प्रदेश सरकार को इतना पैसा आ रहा है । We are quite satisfied with your answer.

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए ।)

30/8/2018/1545/ए0जी0/एन0जी0-2

हम आपकी पारदर्शिता के ऊपर भी कोई शक् नहीं कर रहे है । हमने आपको कहा है कि ये जो ओर्गेनाईसड क्राईम है, इसे ब्रेक करने के लिए आपको बहुत बड़ा साहासिक कदम लेना पड़ेगा । पंजाब में मैटीरियल जा रहा है, हरियाणा में मैटीरियल जा रहा है उसे रोकना भी अनिवार्य है । जैसे पांवटा साहिब की समस्या है, नूरपूर की भी वही समस्या है। खनन करने वाले लोग माईनिंग हमारे यहां करते है और बोलते हैं कि पंजाब में कर रहे हैं । उन लोगों का चालान करने के लिए जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वे लोग कहते है कि हम तो पंजाब में माईनिंग कर रहे है और होता वो हिमाचल का क्षेत्र है। ये जो बोर्डर की डीमारकेशन की समस्या है, This is a serious problem. इसको आप सैटेलाईट के माध्यम से क्यों नहीं ख़त्तम करते ? कई सालों से हिमाचल प्रदेश में बार्डर डिस्पयूट के कारण अवैध खनन चल रहा है । They always use this one word that it is Punjab; it is Himachal; and it is Haryana. ये छोटे-छोटे मुद्दे हैं इन्हें आप

लटकायें नहीं बल्की इन्हें ख़त्तम करने वाली बात करें । ये डीमारकेशन पांवटा में यमुना की भी हो जाए, नूरपूर में रावि के खड्ड की भी हो जाए और चक्की की भी हो जाए, उसके बाद अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा । माननीय मन्त्री जी मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारा विषय यह नहीं है कि हम एक ऐसा सनसैशन पैदा करें की सिर्फ हिमाचल में ही अकेली माईनिंग ही हो रही है बाकी कुछ नहीं हो रहा है । हमारा विषय यह है कि माईनिंग जहां पर भी हो रही है वहां बड़ी गम्भीरता से हो रही है और बड़ी भयानक तरीके से हो रही है ।

अध्यक्षः हो गया राकेश जी ।

श्री राकेश पठानियाः मेरा आपसे निवेदन है कि उसको बन्द करने का प्रयास करें ।

30/8/2018/1545/ए0जी0/एन0जी0-3

उद्योग मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी का अन्दाज़ ऐसा है कि ये जब लीगल बात करते हैं तो भी इल्लीगल लगती है । आप हमारे बहुत पुराने और परम मित्र है । आपने जो विषय रखे हैं, जैसे बोर्डर एरिया का विषय है उसके लिए हमने विभाग को निर्देश दिए है । लेकिन समय बड़ा कम हुआ और हर चीज में रिफार्म करने में समय लगता है । माननीय सदस्य जी ने जैसे परियोजनाओं की बात कही है उसके लिए भी विभाग के पैरामीटर्स है । समस्या क्या है कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की जो स्कीम अवैध खनन के कारण बंद हो रही है तो वो केस ही नहीं करते जबकि वो स्कीम विभाग के नाम और वो सारी बातें माईनिंग अधिकारी और पुलिस के बीच में ही रह जाती है । यह समस्या है और जैसा आपने सुझाव दिया है उसको हम प्रैक्टीकली करेंगे और ठीक तरीके से करेंगे ताकि सब चीजों को ठीक किया जा सके । आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर दिए हैं । ये आपने जो विषय रखा है बहुत अच्छा विषय है और बड़ी

गम्भीरता के साथ विभाग इसको करेगा । मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो आपने संकल्प लाया है इसको वापिस लें ।

अध्यक्षः क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेते हैं ?

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं ।

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प को वापस लिया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

संकल्प वापिस हुआ ।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

30/08/2018/1550/RG/AG/1
अध्यक्ष महोदय----जारी
अब श्री इन्द्र सिंह(सरकाघाट) जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री इन्द्र सिंह(सरकाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि 'यह सदन सरकार के सिफारिश करता है कि समाज में बढ़ते नशे के प्रयोग और युवाओं को इसके दुष्प्रभाव से जागरुक करने हेतु सम्बन्धित शिक्षाप्रद उपयोगी साहित्य को पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने बारे नीति बनाने पर विचार करे।'

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि 'यह सदन सरकार के सिफारिश करता है कि समाज में बढ़ते नशे के प्रयोग और युवाओं को इसके दुष्प्रभाव से जागरुक करने हेतु सम्बन्धित शिक्षाप्रद उपयोगी साहित्य को पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने बारे नीति बनाने पर विचार करे।' इसमें चर्चा के लिए 45 मिनट का समय है। जिन माननीय सदस्यों

के नाम मेरे पास बोलने के लिए आए हैं, हम उनको केवल 5-5 मिनट दे सकेंगे। श्र इन्द्र सिंह जी को 12 मिनट दिए जाते हैं। अब श्री इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र सिंह(सरकाघाट) : माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामयिक है जो सीधे तौर पर प्रदेश की युवा सेहत से, प्रदेश की कानून-व्यवस्था और प्रदेश की आर्थिकी से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, यह विश्वव्यापी समस्या है और विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस समस्या से ग्रस्त न हो। वहीं देश में भी कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां यह समस्या ऐग्जिस्ट न करती हो। हां, यह जरूर है कि कहीं यह समस्या ज्यादा है, कहीं कम और कहीं गंभीर है। बात चाहे अपने पड़ौसी राज्य पंजाब की करें, हरियाणा, उत्तराखण्ड, दिल्ली की करें या उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की करें, बिहार की करें जहां शराबबन्दी है, उसके बावजूद भी वह प्रदेश बुरी तरह से नशे में ग्रस्त है। यह सभी जगह बहुत ही गंभीर समस्या है। आज देश में तकरीबन 21.4% युवा शराब के नशे के शिकार हैं, 0.7% अफीम और 3.5% सिन्थेटिक ड्रग्ज के आदी हैं। इस प्रकार से इस देश के लगभग 21% युवा नशे से ग्रस्त है। जिस देश का एक चौथाई युवा नशे से ग्रसित है, उस देश की इकॉनॉमी या युवा-शक्ति किस दिशा में जा रही है, इसका हम सब अन्दाज़ा लगा सकते हैं। जहां तक हमारे प्रदेश का प्रश्न है, हमारा प्रदेश शांत प्रदेश है और देव भूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस प्रदेश में भी नशाखोरी और सिन्थेटिक ड्रग्ज का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा

है। कुछ वर्ष पहले शराब, धुम्रपान और गुटखा जैसी नशाखोरी वाली चीजें थीं। लेकिन आज अफीम, चरस, कोकीन, सिन्थेटिक ड्रग्ज इत्यादि का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि बड़ी संख्या में युवा नशे के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अभी हमारे असली मसला यह है कि युवा पीढ़ी को इस बीमारी से कैसे बचाया जाए?

अध्यक्ष महोदय, आखिर में यह युवा पीढ़ी नशे की ओर क्यों आकर्षित होती है? इसकी क्या वजह हैं जिनको हम प्लग कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अपने साथी लोगों की देखादेखी में कुछ लोग इसमें इन्डक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग पीयर प्रेशर में

साथियों के दबाव में आकर इसमें इन्डक्ट हो जाते हैं, कुछ स्कूली बच्चे जो कम उम्र के होते हैं, वे यदि पढ़ाई में कमजोर हों, तो उनको इस तरफ शिफ्ट होने का बहाना मिल जाता है और कई माता-पिता ऐसे हैं, जो दोनों सर्विस में हैं, तो उनके पास बच्चों के साथ इन्ट्रक्शन करने के लिए समय कम होता है और उनके बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं, उस दशा में वे भी इस नशे की तरफ मुड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि जिन बच्चों के माता-पिता नशा करते हैं, उनके बच्चों में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं कि वे नशे की तरफ स्वतः ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स नहीं है।

एम.एस. द्वारा जारी

30/08/2018/1555/MS/DC/1

श्री इन्द्र सिंह जारी----------

इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनको समय बिताने के लिए कोई साधन नहीं है और जब कोई साधन नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स और जिम इत्यादि नहीं हैं तो स्वतः ही वे नशे की ओर मुड़ जाते हैं और जो उनके पास फालतू समय होता है उसको वे इसमें लगा देते हैं।

अगर आप स्लम्ज की बात करें तो इतनी स्लम्ज हैं और उनमें लगभग 40 से 70 प्रतिशत बच्चों के पास बहुत समय होता है। वे ड्रग पैडलर का भी काम करते हैं और साथ में नशा भी करते हैं। इस प्रकार से नशा करने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इसमें साथ में पुलिस की भी ढिलाई है, जैसे अगर 50 किलो भांग पकड़ते हैं तो उसमें जीरो उड़ जाता है और पकड़ी हुई भांग 5 किलो दिखाई जाती है। मैं समझता हूं कि कहीं-न-कहीं उनकी कार्यशैली में भी बहुत बड़ा छेद है और उसको प्लग करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, भारत एक आध्यात्मिक धरती है। भारत की परम्परा भौतिकवादी नहीं रही है लेकिन आज के भारत में उस परम्परा को नज़रअंदाज किया जा रहा है जिसके कारण बहुत से युवा तनाव व गुस्से की वजह से नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक समय था जब किसान कहता था कि मैंने अपने बच्चे को बढ़ाना है चाहे इसके लिए मुझे

अपनी ज़मीन ही क्यों न बेचनी पड़े लेकिन आज वह जमाना है जब किसान कहता है कि मेरा बच्चा पढ़े या न पढ़े लेकिन नशेड़ी न बने। देखिए, समय के साथ सोच में कितना परिवर्तन आ गया है। यह समस्या कितनी गम्भीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी को 'अपने मन की बात कार्यक्रम' में इसको मुद्दा बनाकर के देश को सम्बोधित करना पड़ा है। यह नशे की समस्या सचमुच में बहुत गम्भीर हो गई है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस विषय में चिन्तित हैं। हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं कि उन्होंने पड़ोसी राज्यों के मुख्य-मंत्रियों को चिट्ठी लिखी कि सब मिलकर एक संगठित रूप में इस समस्या का सामना करें। साथ में हाल ही में जो चण्डीगढ़ में मीटिंग हुई उसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सारा डाटा सांझा करेंगे और हरेक प्रदेश एक-एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगा तथा उनका सैक्रेटेरियेट चण्डीगढ़ में होगा और वहीं से फंक्शन करेगा।

30/08/2018/1555/MS/DC/2

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल की युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आकर खोखली हो रही है। नशे का कारोबार हिमाचल के भीतर भी है और नशा बाहर से भी आ रहा है। हिमाचल के भीतर चरस और अफीम की खेती होती है और यह नशा यहां के युवाओं को आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बाहर से भी सिंथेटिक ड्रग की सप्लाई होती है। आज हमारी युवा शक्ति नशा माफिया के निशाने पर है। राज्य में नशे की तस्वीर कैसी है, वह पुलिस की कार्रवाई से पता चलती है। वर्ष 2016 में केवल 250 ग्राम चिट्टा, हेरोइन और ब्राउन शुगर पकड़ी गई। वर्ष 2017 में अढ़ाई किलो पकड़ी गई और वर्ष 2018 में पुलिस ने 8 किलोग्राम चिट्टा अभी तक पकड़ा है। इससे पता चलता है कि पंजाब में सख्ती होने के बाद पिछले दो सालों में हिमाचल प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग की खपत 32 गुणा बढ़ी है। अब इसमें कहां कमी है और किसकी कमजोरी है? इसमें पुलिस विभाग की कुछ नाकामी जरुर नज़र आती है। नशे के जो दुष्प्रभाव हैं उनको बताने की आप सबके सामने जरूरत नहीं है परन्तु एक नौजवान जो जवानी की देहलीज़ पर पहुंचता है उससे परिवार और समाज को बड़ी आशाएं होती हैं कि वह कोई योगदान देगा लेकिन जब वह नौजवान नशेड़ी हो जाता है तो वह समाज पर बोझ हो जाता है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

आज पंजाब की स्थिति देख लीजिए। वहां माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश पास किया है कि जो दूल्हा है उसका शादी से पहले डोप टैस्ट होना चाहिए। पंजाब में इतनी बुरी स्थिति है और पंजाब से सिंथेटिक ड्रग सीधा हिमाचल में इंडक्ट हो रहा है। पंजाब में हमें एक और समस्या डिफेंस फोर्सिज में में आ रही है। जो प्योर ट्रूप्स हैं जैसे सिख हैं तो सिख रेजीमैंट में या सिख युनिट्स में हमें फौज में भर्ती करने के लिए ऐसे सिख नौजवान नहीं मिल रहे हैं जो नशे से अछूते हों। यह बड़ी समस्या आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भी हमारे जवानों का यही हाल है। उनका वजन कम हो रहा है और चेस्ट/वेट रेशो भी कम हो रही है। यह सब चिन्ता का विषय है। ये लोग न फौज में जा सकते हैं और न ही पैरा मिलिट्री फोर्सिज में जा सकते हैं। इसका मेन कारण हमारा खान-पान और ड्रग रिलेटिड इशूज हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

30.08.20128/1600/जेके/वाईके/1

श्री इन्द्र सिंहः---------जारी-------

अध्यक्ष महोदय, किसी समय चीन को अफीमची देश कहा जाता था लेकिन आज अगर आप स्थिति देखें उन्होंने एशियाड में कितने मैडल ले लिए और हम कहां पर हैं? हमारा यूथ नशे में क्यों डूब रहा है, क्या हम इस पर काबू नहीं पा सकते हैं? मैं समझता हूं कि हम इसमें काबू पा सकते हैं अगर सारे के सारे संगठन इस दिशा में काम करें। प्रदेश में कितने बच्चे नशे की लत में जकड़े हुए हैं, प्रदेश में इसका एक सर्वेक्षण होना चाहिए। हमारे कितने स्कूली छात्र नशा करते हैं और किस प्रकार का नशा करते हैं, इसका एक डाटा हमारे पास होना चाहिए। जमीनी स्तर पर मैं समझता हूं कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, एन0जी0ओज़0 हैं, वे स्कूलों में जागरुकता की मुहिम चलाएं। जो नशे के आदि हो गए हैं उनके लिए रीहेबिलिटेशन सेन्टर्ज़ बनाएं। इसमें सोशल मीडिया बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है। इसके साथ-साथ सेलिब्रेटीज़ भी इसमें

अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। मैं यहां पर एक सुझाव और देना चाहूंगा कि हर जिला में साइकेट्रिस्ट, साइकोलोजिस्ट , सोशलिस्ट की एक टीम स्कूलों में जा कर सातवीं से ले कर प्लस टू के बच्चों को ब्रीफ करें। नशे के जो दुष्परिणाम होते हैं, उनको उसके बारे में समझाएं, उनके दिमाग में बिठाए तब भी हम इसमें सफल हो सकते हैं। अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि युवाओं में नशाखोरी खत्म करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में नशाखोरी विषय को शामिल करना चाहिए और यह जरूरी विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल हो। वैसे तो यह विषय पहली कक्षा से ले कर विश्वविद्यालय तक जाना चाहिए लेकिन 9वीं व 10वीं में इस विषय को एक जरूरी विषय के तौर पर लिया जाए क्योंकि छात्र की ये ही अवस्था है जो बहुत ही इनेबल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30.08.20128/1600/जेके/वाईके/2

अध्यक्षः इस विषय में मैं तीन प्रतिपक्ष और तीन पक्ष से बोलने के लिए इज़ाजत दे सकता हूं। उसमें भी चार-चार मिनट में अपनी बात समाप्त करनी पड़ेगी ताकि माननीय मुख्य मंत्री जी का रिप्लाई आ सके।

मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी और सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि नशे के विषय पर इस सदन में वर्षों से अनेक चर्चाएं हुई। श्रीमती विद्या स्टोक्स जी ने इसमें नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा उठाई थी। श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर जी ने नियम-101 के अन्तर्गत चर्चा उठाई थी। माननीय जय राम ठाकुर जी जो अब माननीय मुख्य मंत्री हैं, इन्होंने दिनांक 24.06.2004 को इस विषय पर चर्चा उठाई थी जिसमें पांच सदस्यों ने भाग लिया था। वर्ष 2007 में मेजर विजय सिंह

मनकोटिया जी ने इस पर चर्चा उठाई थी और वर्ष 2001 में ठाकुर कौल सिंह जी ने इसके ऊपर चर्चा उठाई थी । हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण विषय है और जिन्होंने पहले चर्चा उठाई वे आज सदन के मुख्य मंत्री हैं। हम इसकी गम्भीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। भाई राम लाल ठाकुर जी आप अपनी बात कहें परन्तु मेरा आप लोगों से आग्रह है कि चार मिनट के बाद मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए बोल दूंगा।

30.08.20128/1600/जेके/वाईके/3

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय यहां पर कर्नल इन्द्र सिंह जी ने उठाया, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को आगे कैसे ले जाना है, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे मज़बूत हो और समाज में जो इस प्रकार की नशावृत्ति फैल रही है, उसे कैसे रोका जाए, इसके ऊपर ये एक महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में ले करके आए हैं, मैं भी उसमें शामिल होने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अगर देखा जाए तो जो यह सिन्थैटिक ड्रग है, यह सबसे ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रही है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

30.08.2018/1605/SS-HK/1

श्री राम लाल ठाकुर क्रमागतः

वह इसलिए भी है क्योंकि वह महंगी तो है ही लेकिन जो बच्चे इसमें एक बार फंस जाते हैं वे इससे बाहर नहीं निकल पाते। दो बार अगर इसका इंजैक्शन बॉडी में चला गया तो उसके बाद उस बच्चे को इससे बाहर नहीं निकाला जा सकता और शनैः शनैः मान लो बच्चा उसी रफ्तार से चलेगा तो फिर मौत को दावत देने की बात है। ऐसे बहुत सारे केसिज़ हो गए। मां-बाप भी इस बात को छुपाकर रखते हैं। यदि कोई बच्चा ओवर डोज ले लेता है उससे मां-बाप भी अनभिज्ञ होते हैं और फिर परिवार के पर्दे को रखने के लिए मां-बाप लोगों में ये नहीं कहते कि बच्चे की मौत किस कारण से हुई। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो लड़के बाहर काम करते थे, उनकी मौत हुई। एक तो ऐसे लड़के की मौत हुई, जिसकी मौत के अगले महीने ही शादी रखी हुई थी। लेकिन मां-बाप मौत का असली कारण छुपा कर रखते हैं। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हार्ट फेल हो गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है।

अभी कर्नल साहब ने कहा कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इसे एक सब्जैक्ट के तौर पर पढ़ाया जाए। मेरा यह कहना है कि अकेला सब्जैक्ट पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा विभाग इसे अलग से सब्जैक्ट के तौर पर कर पायेगा लेकिन स्कूल में बच्चों को इसे पढ़ाया जाए। एक हिस्सा उसमें ऐसा हो, जिसमें ड्रग्ज़ के नेगेटिव आस्पैक्ट्स के बारे में बच्चों को ज़रूर पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को सारी चीज़ें पता लगें।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें हमारा बहुत सारा एरिया कटा-फटा है। आपके कुल्लू का एरिया है जहां पर एक पंचायत में तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मशहूर है कि वहां पर भांग से जो सूल्फा बनता है उसके लिए विदेशी भी वहां पर आते हैं। सरकार समय-समय पर भांग को उखाड़ने का कार्यक्रम भी बनाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस प्रकार की गतिविधियां चली हैं मैं कहूंगा कि वे हमारे लिए बड़ा चिन्ता का विषय है। कुछ तो विदेशी वहां पर इसलिए आकर बस गए क्योंकि उनको इसकी आदत है। वे इसका बिजनेस करेंगे। उन्होंने आकर किराये पर मकान ले लिये, दस गुना किराया दे दिया, वहीं पर रहे और उसके बाद इसका बिजनेस शुरू कर दिया।

30.08.2018/1605/SS-HK/2

सरकार को मालूम है लेकिन कड़े कदम उठाने के बावजूद भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक और बीमारी हमारे यहां है। हमारे ज्यादातर ट्रक ड्राईवर्ज़ नशे की लत में हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे तीन फैक्टरियां हैं। एक बरमाणा में है। एक हमारे दाड़लाघाट में फैक्टरी है और एक हमारे मांगल में फैक्टरी है। कुछ नहीं तो, 10 से 12 हजार ट्रक वहां से चलते हैं। उसमें देखने को यह आता है कि अफीम की जो बाहर की बॉल बचती है, वह बोरियों में बंद होकर आती है। उसमें भी अफीम का अंश होता है। ड्राईवर उसको लेकर खाते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें नशा खूब होता है। उस नशे में बहुत सारे छात्र और छात्राएं भी शामिल हो जाती हैं। उसमें नशे का पता नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने शराब पी है तो उसकी दुर्गन्ध आयेगी, मां-बाप को भी पता लग जायेगा लेकिन उसमें ज्यादातर बच्चे इस तरफ को भी जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल ड्रग्ज़ कम्पनीज़ हैं इनको भी देखने की ज़रूरत है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि जब तक हम बच्चों को स्पोर्टस की तरफ लेकर नहीं जायेंगे तब तक इस नशे से छुटकारा नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री उसमें कदम भी उठा रहे हैं। हमने पहले भी उनसे चर्चा की है, उसमें उन्होंने कदम भी उठाये हैं। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि जो हमारा स्पोर्टस डिपार्टमैंट है या एजुकेशन डिपार्टमैंट है उसमें हमारे अच्छे-अच्छे स्पोर्टसमैन लगें। वहां पर डी0पी0ईज़0 लगें, उसमें हमारे पी0ई0टीज़0 लगें जोकि बच्चों को खेल की तरफ लेकर जाएं। अगर मान लो जो हमारे शारीरिक शिक्षक हैं वे बच्चों को इस ढंग से स्पोर्टस की तरफ लेकर जायेंगे तो बच्चों के पास समय नहीं बचेगा कि वे नशे जैसे फालतू के कामों की तरफ जाएं।

जारी श्रीमती के0एस0

30.08.2018/1610/केएस/एचके/1

श्री राम लाल ठाकुर जारी---

इसलिए मेरा निवेदन है कि स्पोर्ट्स के लिए हमारे स्कूलों में, क्योंकि कई स्कूलों में डी0पी0ई0 और पी0ई0टी0 की पोस्ट ही नहीं भरी जाती जैसे कि यह कोई सब्जैक्ट ही नहीं है इसलिए मेरा शिक्षा मंत्री जी से भी और मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन है कि यह देखा जाए कि ऐसे कितने स्कूल हैं जहां न डी0पी0ई0 की पोस्ट है न पी0ई0टी0 की पोस्ट है। जब उन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है तो बच्चा गलत दिशा में ही जाएगा। यह भी नहीं है कि पंजाब से अगर सख्ती हो गई तो हिमाचल प्रदेश को आ गए। जो ड्रग माफिया पंजाब में या और जगह पर हैं, उनके अड्डे पहले से हिमाचल प्रदेश के अंदर है इसलिए इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि सरकार और भी कड़ाई से इस काम को करें । मेरा एक निवेदन और है कि जो इसमें पुलिस शामिल होती है, कृपया पुलिस और जो भी अधिकारी उसमें लगते हैं, यह सुनिश्चित किया जाए कि कारण क्या है कि ढाई ग्राम तक के केस ही बनते हैं? पीछे जितने भी केस बने हैं, ढाई ग्राम, तीन ग्राम, 498 ग्राम नशा ही पकड़ा गया । कोशिश की जाती है कि यह मात्रा साढ़े चार किलो न हो, क्योंकि उसमें जमानत नहीं होती इसलिए उसमें कहीं न कहीं पुलिस भी शामिल है । कृपा करके जो भी इस काम को करते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाए।

30.08.2018/1610/केएस/एचके/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार जी। कृपया अपनी बात जल्दी समाप्त करें। पांच मिनट में मैं अगले सदस्य को बुला लूंगा।

श्री अरुण कुमारः अध्यक्ष महोदय, जो विषय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने रखा है, मैं उसमें बताना चाहता हूं कि आज हमारा समाज, हमारे नौजवान जिस तरीके से नशे की ओर बढ़ रहे हैं, यह नशा शहरों में ही नहीं बल्कि गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच गया है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013 में एन.डी.पी.एस.के तहत 37 केस थे जो 2014

में बढ़कर 58 हुए। वर्ष 2015 में ये 93 केस थे, वर्ष 2016 में 266 हो गए। वर्ष 2017 में 245 और 2018 में अभी तक 161 केस हुए। इस सारे में 100 किलो 717 ग्राम चरस पकड़ी गई। ये सिर्फ जिला कांगड़ा के आंकड़े हैं। हेरोइन 1 किलो 616 ग्राम, अफ़ीम 1 किलो 439 ग्राम, पोपी हस्क 579 ग्राम , स्मैक 154 ग्राम और गांजा 155 ग्राम। मैं समझता हूं कि यह जो नशा बढ़ा है इसमें काफी हद तक पिछली कांग्रेस सरकार दोषी रही है क्योंकि मेरे पास डेटवाइज़ आंकड़े हैं। जैसे अभी कहा गया कि पंजाब में अब नशे पर रोक लगाई गई है। लेकिन जो आंकड़े मैंने आपको वर्षवार बताए, क्योंकि नशा तभी बढ़ता है जब हमारा लॉ एण्ड ऑर्डर कमज़ोर होता है और लॉ एण्ड ऑर्डर के ऊपर पिछली सरकार ने बड़ी नरमी बरती। जो अच्छे अधिकारी थे, जब उन्होंने ऐसे केसिज पकड़े तो राजनीतिक आधार पर उनके तबादले किए हालांकि इस बारे में जिला कांगड़ा के कई विधायक और सी.पी.एस. मिलकर पूर्व मुख्य मंत्री राजा साहब से मिले थे लेकिन उसके बावजूद इंदौरा के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा केसिज पकड़े गए और वहां के एस.पी. गांधी जी को जबरन ट्रांसफर किया गया। नगरोटा में आज तक इतने केसिज पकड़े गए हैं, जो कि दर्जनों के हिसाब से हैं। इस नशे की वजह से कई नौजवान लोगों की मृत्यु हुई है। हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शारदा देवी जो कि अपने पति को नशा करने से रोकती रही, उसका मर्डर हुआ जिसकी छानबीन ही दो वर्ष तक नहीं हुई। सरवीन जी ने यहां पर, क्योंकि वह इनके चुनाव क्षेत्र की रहने वाली थी और उसकी शादी ठानपुरी में हुई थी, इन्होंने विधान सभा में इस मुद्दे को उठाया। तब जा कर उसकी एफ.आई.आर. दर्ज हुई। उनके परिवार वालों ने कई बार पुलिस थाना के चक्र लगाए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

30.8.2018/1615/av/HK/1

श्री अरुण कुमार---------- जारी

एस0एच0ओ0 साहब ने उस केस की छानबीन की, उसके पति को रात को उठाया जिसके ऊपर उन्होंने शक किया था। जब उठाने के बाद उसको टोर्चर किया तो उसने इस बात को कबूला तथा डैड बोडी दो वर्ष के बाद दलदल से निकाली गई जो कि अखबारों की सुर्खियां

बनीं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हमारी विधायक दल की बैठक में भी सभी विधायकों से अपील की है कि अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि आज के समय में हर मां-बाप चिन्तित है। अपने बच्चों से डर लगना शुरू हो गया है, इस नशे को रोकने के लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30.8.2018/1615/av/HK/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र राणा जी अपनी बात रखेंगे लेकिन आपसे आग्रह है कि आप अपनी बात 5 मिनट में खत्म करें।

श्री राजेन्द्र राणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री इन्द्र सिंह जी द्वारा नशे के प्रयोग और युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से जागरुक करने के लिए जो यह विषय लाया गया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज जिस तरीके से हमारा समाज और नौजवान नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है और हम पिछले लम्बे समय से देख रहे हैं कि पंजाब में भी नशा बड़ी तेजी से बढ़ा। पंजाब के बारे में अकसर यह चर्चा होने लगी कि जिस पंजाब में दूध की गंगा बहती थी वहां पर नशे की गंगा बहने लगी। पंजाब में हालात यहां तक पहुंच गये कि अगर शाम के समय किसी माता-पिता का बच्चा मार्किट चला जाए तो उनकी चिन्ता तब तक बनी रहती है जब तक कि वह वापिस घर नहीं आ जाता। इस नशे के कारण पंजाब में कितने परिवार बरबाद हो गये तथा कितने ही नौजवान मौत का शिकार हो गये। मुझे लगता है कि आज सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेलैंज है। आज पंजाब में जिस तरीके से सरकार ने शिकंजा कसा है वह बहुत जरूरी है। आज हिमाचल के साथ लगते दूसरे राज्यों के बोर्डर एरियाज के बारे में समाचार पत्रों और लोगों के माध्यम से जानकारियां मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश में भी नशा बढ़ने लगा है और इसके लिए सरकार को बड़ी तेजी तथा प्रभावशाली तरीके से कदम उठाने चाहिए। मुझे लगता है कि इस समाज में हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करने

चाहिए और नशे से नौजवान कैसे दूर रहे इस बारे में सोचना चाहिए। राम लाल ठाकुर जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि जब हम अपने नौजवान बच्चे को खेल की तरफ ले जायेंगे तो उसका ध्यान नशे की तरफ कम जायेगा। क्योंकि जो बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ जाता है या कोई गेम खेलता है तो वह नशे की तरफ कम जाता है बल्कि जाता ही नहीं है। उसको इस बात का चस्का पड़ जाता है कि मुझे स्पोर्ट्स की ही तरफ जाना है और अपनी फीजिकल फिटनैस की तरफ ध्यान देना है। इसलिए अपने स्कूलों और कालेजों में हम अपने बच्चों को इस तरफ लगायें और समाज को जागरुक करें। हम अपने समाज, माता-पिता और नौजवानों को इस बारे में

30.8.2018/1615/av/HK/3

जागरुक करें तथा स्कूल से ही एक ऐसी व्यवस्था शुरू करें ताकि बच्चे नशे से दूर रहें। जिस समाज, देश व प्रदेश का नौजवान नशे में डूब जाता है उस प्रदेश और देश की आने वाली नस्लें खत्म हो जाती है। मैं समझता हूं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए सरकार तथा माननीय मुख्य मंत्री किसी बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार का कार्य शुरू करें। स्कूल के बच्चों को इस बारे में जागरुक किया जाए कि नशे से हमारे नौजवान किस तरीके से अपनी जिन्दगियां बरबाद कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए पांच मिनट का समय दिया था मैंने उससे कम समय में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश की है। इसके लिए हम सब लोग मिलकर समाज और पूरे प्रदेश को साथ लेकर आगे बढ़ें ताकि हमारे बच्चे नशे की तरफ न जाएं। इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30.8.2018/1615/av/HK/4

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री परमजीत सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे। आप अपनी बात तीन मिनट में खत्म करें।

श्री परमजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरों को पांच मिनट तथा मुझे आप तीन मिनट का समय दे रहे हैं। मैं तो वैसे भी कम बोलता हूं।

अध्यक्ष : इनको भी तीन मिनट ही मिले हैं।

श्री परमजीत सिंह **श्री टी सी वर्मा द्वारा जार**

30.08.2018/1620/TCV/UK-1

श्री परमजीत सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, जो विषय आज कर्नल इन्द्र सिंह जी नशे के बारे में लेकर आये हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपने मुझे समय दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम पहले दीवारों में लिखा हुआ पढ़ा करते थे कि नशा एक धीमा ज़हर है और ऐसा ही बसों और ट्रकों के पीछे भी लिखा होता था। लेकिन यह बहुत पुरानी बात हो गई है। आज का जो नशा है, वह बहुत तेज़ प्रभाव वाला नशा है। आजकल जो चिट्टे का नशा चला हुआ है, उसने हमारे नौज़वानों को बर्बाद कर दिया है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। पंजाब में यह नशा बहुत देर से चला हुआ था। पंजाब में कुछ सरकार ने और कुछ लोगों ने सख्ती की जिसकी वज़ह से नशा माफिया हमारे हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया की तरफ बढ़ा है। उसकी चपेट में मेरा बॉर्डर एरिया बी0बी0एन0 भी आया है। एक महीने पहले की बात है, वहां पर हमारा एक लड़का था, वहां हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सती जी भी शोक मनाने गये। जब हम वहां पर शोक मनाने गये, उस लड़के की तीन बहने थी, उन्होंने रो-रोकर बिखलते हुए यह कहा कि भाईयों हमारा भाई तो चला गया, लेकिन और बहनों के भाईयों को बचाओ, और माताओं के बेटों को बचाओ, और औरतों के पतियों को इस नशे से बचाओ। इसलिए सर, यह बहुत गम्भीर विषय है। इसमें सरकार को बहुत सख्ती करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब से

पंजाब में नशे के ऊपर पाबंदी लगी है, उसका असर हमारे इलाके पर बहुत ज्यादा पड़ा है। जो नशे के माफिया/सप्लॉयर होते हैं, उनका कोई अपना नहीं होता है, उनका कोई धर्म, जात-बरादरी नहीं होती है। जब वे नशा बेचते हैं, वे यह नहीं देखते कि नौज़वान भारतीय जनता पार्टी से रिलेटिड है या कांग्रेस से रिलेटिड है , उन्होंने तो अपना धन्धा करना होता है। इसलिए नशा माफिया पर सख्ती की जाये। हम सत्ता पक्षा और विपक्ष के लोग मिलकर एक अभियान चलाएं और हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाएं।

मेरा क्षेत्र हरियाणा और पंजाब से 100 मीटर दूर बॉर्डर पर पड़ता है। ये जो नशे के सप्लॉयर हैं, ये हरियाणा और पंजाब से आते हैं। पिछले दिनों की बात है,

30.08.2018/1620/TCV/UK-2

बद्दी में नशा माफिया का एक सरगना पकड़ा गया। इसको लोगों के सहयोग से पुलिस ने पकड़ा। उसके साथ पुलिस ने जब सख्ती की और उससे पूछा गया तो मेरे बद्दी क्षेत्र के अन्दर ही उसने 50 नौज़वानों की लिस्ट दी कि ये मेरे से चिट्टा खरीदते हैं। सर, यह बड़ी चिन्ता का विषय है। 75 लड़कों की लिस्ट दी गई, जिनको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, उनकी आयु 18 साल से 25 साल के बीच की थी। इन नशा माफिया वालों ने एक और सिस्टम चलाया हुआ है, जो एक लड़का चिट्टा लेने लग गया, उसको कहते हैं कि तीन और लड़कों को लेकर आओ, आपको एक डोज़ फ्री देंगे। एक लड़का तीन लड़कों को फंसाता है, फिर चार हो जाते हैं और वे फिर आगे और लड़कों फंसाते चले जाते हैं। इस तरह से यह चैन चली हुई है, इसको रोकने की सख्त जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने नशे के खिलाफ़ पंजाब, हरियाणा और उत्तराखण्ड के मुख्य मंत्रियों के साथ चंड़ीगढ़ में एक मीटिंग रखी थी, उन्होंने दृढ़ निश्चिय के साथ एक पहल की है कि हम मिलकर इस नशे के खिलाफ़ पग उठाएं और नशा माफिया की कमर तोड़ें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना

चाहता हूं कि बद्दी में पुलिस की 310 सैंक्शंड पोस्टें हैं, जबकि वहां अपराध व नशे का कारोबार बहुत ज्यादा है। यहां पर जो अपराध बढ़ रहा है, वह नशे की बदौलत बढ़ रहा है।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ...जारी।

30-08-2018/1625/NS/AG/1

श्री परमजीत सिंह..... जारी

पुलिस के 310 पद बद्दी में हैं और 629 पद सोलन में है, जबकि वहां पर अपराध कम होते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र बी0बी0एन0 के लिए पुलिस की एक कंपनी लगाई जाए ताकि नशा माफिया पर नकेल कसी जा सके। ज्यादातर अपराध नशे की बदौलत होते हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। इसका कारण यह है कि छोटे-छोट नशेड़ियों ने सिलेंडर बेचना शुरू कर दिये हैं। सिलेंडर बेचने के बाद बड़ी चोरी करेंगे और फिर डकैती करेंगे। (घंटी) इसलिए मेरी आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय जी से प्रार्थना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुलिस फोर्स की स्ट्रैंथ पूरी की जाए। आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30-08-2018/1625/NS/AG/2

अध्यक्षः अब श्री आशीष बुटेल जी चर्चा में भाग लेंगे। आप अपनी बात तीन मिनट में पूरा करें क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने रिप्लाई देना है और अगले वाला इंटरोड्यूस करवाना है।

श्री आशीष बुटेलः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कर्नल इन्द्र सिंह जी ने जो संकल्प हमारे सामने रखा है, यह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही सीरियस ईश्यू है। मैं इसके लिए यह कह सकता हूं कि एक पूरी की पूरी जेनरेशन extinct होने के कगार पर है। मैं समझता हूं कि चाहे आप चिट्टा कह लीजिए, हेरोइन कह लीजिए, चाहे चरस या सिन्थैटिक ड्रग्ज़ कह लीजिए, इनको हिमाचल प्रदेश से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो गया है। इसका टारगेट ग्रुप स्कूल के बच्चों, कॉलेज के

छात्र-छात्राओं और वे युवा साथी जोकि मोल्डेबल ऐज़ में हैं तथा आप इनको जैसे ढालेंगे, वैसे ढल जायेंगे, इनको बनाया है। ड्रग्ज़ के माफिया ने इन सबको टारगेट ग्रुप में पकड़ा है। इसके कई कारण हमारे सामने आते हैं और कई कारण यहां पर आप लोगों ने भी बताये हैं। लेकिन अंग्रेज़ी में एक कहावत होती है "Spare the rod, spoil the child". This is another debate. I am not trying to start a debate here. Yes, it is true that today if the parents are not caring enough or I would say if they are not likely to look into the problems that the child is facing, this is a major cause of children getting into drugs. I would say कि एक समय पर क्या होता था कि आप शराब का नशा करते थे और घर जाते थे तो वहां पर माता-पिता को स्मैल आती थी। अब कैप्सूल खा कर आते हैं तो न किसी को बदबू आएगी और न ही किसी को पता लगेगा कि आप क्या खा करके आये हैं? आपकी आंखें खुली होंगी लेकिन दिमाग बंद होगा। नशे के जब ये कॉज़िज होने शुरू हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए नशा सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। मेरा मानना यह भी है कि एक ग्रुप तो वह है जो नशे का सेवन करता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक और ग्रुप है जो ईज़ी मनी ढूंढता है और जो इसके सप्लॉयर हैं, वे चाहे पंजाब से हों या पाकिस्तान से हों। जो हिमाचल प्रदेश में ड्रग्ज़ सप्लाई कर रहे हैं, इन लोगों पर नकेल लगाना जरूरी है और यह तब लगेगी जब हमारी पुलिस फोर्स, गर्वनमैंट ऑफ दी डे और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसके प्रति सख्त होगा। अभी कर्नल इन्द्र सिंह जी और माननीय सदस्य परमजीत जी ने भी बताया कि जब से पंजाब में सख्ती हुई है, तब से हिमाचल प्रदेश में ड्रग्ज़ चाहे सिंथैटिक या दूसरी ड्रग्ज़ हो, इनका प्रचलन ज्यादा बढ़ गया है। (घंटी) सर, मैं दो मिनट का समय लूंगा। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि यहां पर पुलिस की सख्ती होनी चाहिए। This cannot be a reason कि हमारी

30-08-2018/1625/NS/AG/3

पुलिस इतनी सख्त नहीं हो सकती जितनी पंजाब पुलिस है। How can that be a reason कि हमारे यहां पर ड्रग्ज़ की ज्यादा सप्लाई आना शुरू हो जाए। मैं ऐसा समझता हूं और मैं यहां पर तीन-चार बातें सजैस्ट करना चाहूंगा। पहली, जब इसमें किसी का भी चालान होता है या कोई भी अरैस्ट होता है, यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि अगर यह 5 ग्राम से कम हो तो बेलेबल ओफैंस हो जाता है। Why should there be five

gram? There should not be any kind of bail allowed even for one gram, forget about five grams. Five grams of chitta is a huge quantity. It cannot be

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी

30.08.2018/1630/RKS/AG-1

श्री आशीष बुटेल... जारी

कि आप एक स्मालर क्वांटिटी, एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी और एक कमर्शियल क्वांटिटी को लेकर चल रहे हैं। Let everything be treated as commercial quantity. Secondly, जब आप फोरैंसिक लैब में भेजते हैं, send it to at least three labs in the country. There are many cases which I have heard.जिससे यह समझ में आता है कि यह आपने एक पर्टिकुलर लैब को भेजा और उस लैब ने चिट्टे को पैरासिटामोल में कन्वर्ट करके वापिस भेज दिया। I am not trying to point a finger at anybody but at the same time it is a reality. अगर यह तीन लैब्स में जाएगा तो इसमें एक डैटरैंट होगा और जो एक लैब सैंपल के बारे में बताया वही दूसरी लैब को भी बताना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए एक बहुत बड़ा नैक्सस फॉम होगा जो शायद कोई नहीं कर पाएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि more than bringing this in the curriculum of text books or the syllabus of schools, it is important to educate the parents more than the students. I also feel, Sir, कि इसमें जो शोर्टेज ऑफ स्टाफ का हमेशा हवाला दिया जाता है कि पुलिस के पास शोर्टेज ऑफ स्टाफ है और वे वहां पर रेड नहीं डाल सकते या किसी और कारण से नहीं जा सकते, इसकी भरपाई करना बहुत जरूरी है।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, पालमपुर के बारे में एक और चीज़ ध्यान में लाना चाहूंगा। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियों में एक आदमी दूसरे आदमी को बैट से मार रहा है और he hit him so badly. अब उसका केस दर्ज़ हुआ when we raised a voice. परंतु देखा जाए तो वह भी शायद चिट्टे की सप्लाई की वजह से काम शुरू हुआ था। ऐसी चीजों पर नकेल लगाना बहुत जरूरी है। Before there is no yuva pidi left in Himachal Pradesh, युवा पीढ़ी को बचाना बहुत जरूरी है। It is important that we do something about it today. Thank you very much, Sir.

30.08.2018/1630/RKS/AG-2

अध्यक्षः अभी कई वक्ता बोलने वाले हैं परंतु मैं केवल श्रीमती रीता देवी जी को समय दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने पहली बार इस पर बोलने के लिए चिट भेजी है।

श्रीमती रीता देवीः माननीय अध्यक्ष जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट) ने जो नशे का विषय रखा है, उसमें मैं यह कहना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा नशा है तो वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र इन्दौरा में है। इन्दौरा क्षेत्र पंजाब राज्य के साथ लगता है और यहां इतना ज्यादा नशे का धंधा फैल गया है जिसके कारण 12-12 साल के बच्चे बरबाद हो गए हैं। वे मौत के मुंह में जा रहे हैं। पहले शराब का नशा होता था लेकिन उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता था। आज जो ड्रग्स या चिट्टे का नशा प्रचलन में है उससे कई बच्चों की मौत हो चुकी है। नशे के कारण हर हफ्ते एक-दो डैड-बॉडिज वहां पर पड़ी होती है, जिनका दो-दो दिन कोई पता नहीं चलता कि यह किसकी डैड-बॉडिज हैं। छोटी-छोटी लड़कियां नशा बेच रही हैं तथा खुद भी नशा कर रही हैं। जो इस क्षेत्र में एक-दो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बाहर भी इंजैक्शन्ज के ढेर लगे होते हैं। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि इस नशे के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी बरबाद होने से बच सके। अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30.08.2018/1630/RKS/AG-3

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री विक्रमादित्य सिंह जी कृपया दो मिनट में आप भी अपनी बात रखिए।

श्री विक्रमादित्य सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा दो मिनट को बढ़ाने का प्रेरोगेटिव भी है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप एक-दो सुझाव दीजिए।

श्री विक्रमादित्य सिंहः अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी नशे की रोकथाम के लिए पहल की है। निश्चित तौर पर यह एक महत्वपूर्ण विषय है और पीछे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग भी दी है कि the Centre should form a national action plan within four months. उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। The statistics that one of every five child is addict of drugs today. हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 27% युवा नशे के आदी हैं। स्कूल पाठयक्रम में इसमें कैसे सुधार करना है, उसके बारे में बात की है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

30.08.2018/1635/बी.एस/डी.सी./-1

श्री विक्रमादित्य सिंह जारी ....

मैं एक रिर्पोट United Nations Office on Drugs and Crime के बारे में पढ़ रहा था। उसमें यह emphasize दिया गया है कि other than the curriculum that is there in the

schools, उसके साथ हमको 'demand reduction strategy' के ऊपर काम करने की आवश्यकता है और 'supply reduction strategy' के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। We should also understand that the issue of drugs cannot be tackled in isolation. हमें जो ड्रग्ज एडिक्ट हैं उनको केवल एक एक्यूज के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसे एक मैडिकल रोगी के रूप में देखने की आवश्यकता है। उनकी परोपर कॉनसलिंग और परोपर केयर करवाने की आवश्यकता है। जैसा अभी आदरणीय आशीष बुटेज जी ने कहा 'the problem is not only confined to the student or to the youth but the equal responsibility lies on the parents, the families and the social and economic upbringings'. इसमें जो पीयर प्रेशर है उसमें भी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं।

अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री विक्रमादित्य सिंह : मैं एक और चीज जो मैंने पाकिस्तान के बारे में पढ़ी थी। पाकिस्तान का जो सीमावर्ती इलाका है, अफगानिस्तान के साथ Khyber Pakhtunkhwa का यह एरिया है चाहे Balochistan का एरिया है। वहां पर जो ड्रग्ज ट्रेफिकिंग है उसके साथ-साथ जो बच्चे हैं विशेष कर 5-10-15 वर्ष के जो युवा हैं they are even being sexually assaulted and this has become a very big issue in Pakistan. I am only trying to get this issue. इन चीजों को भी हमें प्रायोर्टी पर देखने की आवश्यकता है।

30.08.2018/1635/बी.एस/डी.सी./-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी जी, समय बहुत कम है कृपया अपनी हाजरी दर्ज करवाइए।

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, जो विषय माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने यहां पर लाया है, कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि समाज में बढ़ते नशे के प्रयोग और युवाओं के ऊपर इसके दुषप्रभाव से जागरूक करने हेतु और पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाए" । इस पर बोलने के लिए मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज हमारे देश में युवाओं का नशे की तरफ रूझान बढ़ा है, वह सच में एक गम्भीर चिंता का विषय है और बहुत सारी बाते माननीय सदस्यों ने मेरे से पूर्व कही है। परंतु जिला कुल्लू जैसी देव भूमि में भी चिट्टा जैसे कारोबार के 35 केसिज इस बार आए हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हमारी प्रदेश की खुफिया एजेंसी हमारी आई.बी. हमारी सी.आई.डी. यह पता लगाने में विफल रही है कि इतना ज्यादा कारोबार इस चीज का फैला हुआ है। एक 15 वर्ष के बच्चे को पता लग रहा है कि फलां दुकान में चिट्टा मिल रहा है। वह वहां पर उसे खरीदने के लिए जा रहा है। परंतु हमारे पुलिस विभाग को पता नहीं चल रहा है। यह बहुत गम्भीर विषय है और इसके साथ-साथ अब युवा नशा क्यों करता है? उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है । जैसा हम जानते हैं कि बहुत समय पहले से जिला कुल्लू में भांग और अफीम की खेती की जा रही है और उसे रोकने के लिए हमने एक जन-जागरण अभियान चलाया है। सरकार भी इस कार्य के लिए प्रयास कर रही है और इस अभियान को हमें सफल बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें इस बारे में कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि स्टेट की Narcotics Crime Control Team है उसको भी कजबूत करने की आवश्यकता है । क्योंकि प्रदेश के अंदर सिंथेटिक ड्रग्ज आ रही है, दूसरा जो यहीं पर पैदा की जाती है उन दोनों को रोकने के लिए हमें कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है।
30.08.2018/1635/बी.एस/डी.सी./-3

अध्यक्ष महोदय, हमें यदि स्कूली पाठ्क्रमों के द्वारा आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो मुझे लगता है कि पाठ्यक्रमों में हमें इसको शामिल करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पुलिस

विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खेल विभाग और हमारे पंचायती राज प्रतिनिधि, इन सब को मिल कर कार्य करना पड़ेगा । हमें इसके लिए एक अच्छी पहल करने की आवश्यकता है। जिस तरह से प्रदेश के अन्दर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उसी तरह से नशा मुक्त अभियान गांवों तक ले करके जाएंगे। इससे अवश्य एक अच्छा वातावरण बनेगा और आने वाली पीढ़ी को हम नशे से बचा सकते हैं। हमारा छात्र कैसे स्वस्थ रहे, वह सफल कैसे बने इस बारे में हमें नशा मुक्ति पर हम केम्पस के माध्यम से चर्चा करवानी चाहिए और प्लांटेशन, पेंटिगं इत्यादि करवा कर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे हम बच्चों को इससे दूर रख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

30.08.2018/1640/**डी सी/डी टी**-1

अध्यक्षः अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस चर्चा का उतर देंगें।

मुख्यमंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी सदस्य संकल्प में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पर माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी, ने यहां अपना विषय रखा। इसमें बहुत से सदस्य बोलना चाह रहे थे , लेकिन जल्द बाजी में बहुत सारे विषय उनके छुट गए होंगें। मैं शब्दों में न जाकर उनकी भावनाओं में जाने की कोशिश करता हूं और भावनाएं उन शब्दों की चंद शब्दों के माध्यम से व्यक्त की गई हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। यह नशा हमारे लिए चिंता का विषय पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में बन गया है। इसमें उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उनके सुझावों का भी अभिन्नदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे हम तरक्की की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रगति हो रही है, टैक्नोलजी का युग हमको आगे बढ़ने में गति दे रहा है। हर जगह गावों में जहां सुविधाओं का अभाव होता था और साधनों का अभाव होता था, वहां पर साधन सुविधाएं

पहुंचने लगी हैं और एक तरह से हम इस बात को माने की हम विकास की राह पर सचमुच आगे बढ़ गये हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस बात को भी स्वीकार करना पडेगा कि आगे बढते-बढते बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे भारत वर्ष की संस्कृति में और भारतवर्ष के इतिहास में उनका स्थान नहीं था। अगर कहीं सार्वजनिक स्थान पर ये सारी चीजें देखने को मिलती तो उन चीजों को बहुत बुरा मानते थे। बुरा मानने के साथ-साथ मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि ये वह वक्त था जब आदमी की मोरल वैल्यूज के प्रति बहुत श्रद्धा थी। ये समाज के लिए गलत है, ये हमारे लिए गलत है और परिवार के लिए गलत है। ये एक भाव जो है सबके बीच में उस वक्त रहता था। लेकिन आगे बढते-बढते हम उस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। जहां हम अपने आपको बहुत विकासशील विकसित दिखाने की कोशिश करते हैं। हम बहुत जगह जाते हैं वहां पर हम जैसे परिवारों के बीच में बैठते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारे यहां तो बहुत खुलापन है। खुलापन होना कतई गलत नहीं है वे होना भी चाहिए। आज के समाज में इसकी आवश्यकता भी है। लेकिन ये खुलापन कहां तक होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि अगर स्कूल से पहले तो घर से शुरू होनी चाहिए। इस खुलेपन के नाम से हम

30.08.2018/1640/**डी सी/डी टी-2**

अपने घर में और अपने परिवार में इतनी इज्जात देते है कि हमारा बच्चा कहां जा रहा है इसकी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमारा बच्चा कर क्या रहा है ना ही इसकी पूछने की आवश्यकता महसूस हो पा रही है। बच्चे का व्यवहार चेंज है इस विषय पर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। सोच यह है कि हम तो खुलापन चाहते हैं। हम और हमारे बच्चे तो ओपन माइंडिड हैं। हमारे समाज में बहुत सारी चीजों को ले करके उसे दूसरी दिशा में ले जाने की एक कवायत शुरू हो चुकी है। हम खुलेपन के विरोधी नहीं है। लेकिन आज समय आ गया है,

श्री एन.जी. द्वारा जारी.....

30/8/2018/1645/एच0के0/एन0जी0-1

मुख्यमन्त्री जारी.....

जिस प्रकार के हालात पूरी विश्व में, पूरे देश भर में है, उससे देव भूमि हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है । हमारे सामने भी इस प्रकार की स्थिती आएगी कि हमें स्कूल में जाने वाले बच्चों की दिनचर्या के बारे में जानना पड़ेगा कि बच्चे उस दिनचर्या में जो कर रहे हैं क्या वो सारी चीजें ठीक है ? इसलिए यह शुरूआत स्कूल से पहले घर से होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, इस बात को हम पिछले काफी अरसे से देख रहे थे कि सब जगह से नशे की बातें उठ रही है । माननीय सदस्यों ने भी इसमें अपनी चिन्ता प्रकट की है और यह हकीकत है । आज हमारे गांव के क्षेत्र में जब किसी नौजवान की मृत्यु हो जाती है और हम सब वहां उनके परिवार में सांत्वना देने जाते हैं । हम परिवार वालों से पूछते है कि क्या हुआ था बच्चे को? बच्चा तो ठीक था, तो परिवार वाले कहते है कि हार्ट अटैक आ गया। अब परिवार के लोग भी इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश करते है। जिसकी वजह यह है कि समाज में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हमारे बच्चे ने नशे में आ कर के अपनी जान गवां दी । यह सोशल स्टीगमा का असर होता है । हमारे लिए ये सचमुच में चिन्ता का विषय है । कई बार हम गांव में जाते है और हमे पता होता है कि वो नशा करता था, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, भांग पीता था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई लेकिन फिर भी हम परिवार होने के नाते, अपना गांव होने के नाते वहां जाते है । उस परिवार में हम जा कर के देखते है कि उस व्यक्ति के छोटे-छोटे बच्चे, जिन्होने अभी अपनी पढ़ाई शुरू की है, जिनको अभी अपना जीवन जीना है और उस व्यक्ति की नौजवान पत्नी को वह व्यक्ति ऐसी परिस्थिती में छोड़ कर चले गए । उसकी वजह केवल एक, "नशा" है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह बहुत बड़ा चिन्ता का विषय है। सरकार में आने के पश्चात कुछ अरसे से हम इस बात को देख रहे थे कि आखिरकार इस सारे विषय अगर ठीक करना है तो शुरूआत कहां से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए ? हमने अधिकारियों के साथ बैठक की और विस्तार से चर्चा की और जब हमने देखा कि इस

प्रकार के लगभग 1000 मामले हिमाचल प्रदेश में हुए है और हमने वो पूरी लिस्ट देखी और पता किया की इन मामलों में से बाहर के प्रदेश के लोग कितने है ? तब मालूम हुआ की एक तिहाई लोग बाहर के प्रदेश के है, जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, जो इस सारे धन्धे से जुडे हुए है। माननीय सदस्यों ने ठीक कहा है कि यह दो तरह से जुड़ा हुआ विषय है।

30/8/2018/1645/एच0के0/एन0जी0-2

एक तरफ से लोगों को यह ऐसा माध्यम लगता है कि बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ काम किए और अगर यह धन्धा चल पड़ा तो हम लाखों-करोड़ो रूपये थोड़े से समय में आसानी से कमा सकते है। उन लोगों ने इसे धन्धे के रूप में स्वीकार किया है। दूसरी तरफ जिन लोगों को लगता है कि जिन्दगी में खुलापन बहुत जरूरी है, तो ऐसे लोग इस सारे झमेले में आ गए और नशा करने लगे। कुछ लोग अपने साथी, मित्र, दोस्त जो नशे का उपभोग करते है, उनकी संगत में आ कर के कुछ लोग इन सब में सम्मलित हो गए। अध्यक्ष महोदय, यह सब एक चीज से खत्तम नहीं होने वाला है, यह दो तरह से खत्तम होगा। एक तरफ उपभोग को रोकने के लिए अलग से अभियान होना चाहिए और उसके साथ-साथ जो लोग इसके व्यवसाय से जुड़े हुए है उनको रोकना, उनको पकड़ना, उनको बन्द करना, उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब जाकर के हम इस सारे विषय को लेकर के आगे बढ़ सकते है। जब मैने वो आंकडा देखा, जिसका मैं जिकर कर रहा था कि हिमाचल प्रदेश में जो इस प्रकार के मामले है उनमें से एक तिहाई लोग बाहर के प्रदेशों के है तो उसमें सबसे बड़ी तादात पंजाब की है और दूसरे नम्बर पर हरियाणा आता है। मैंने अपने साथी मुख्य मन्त्रियों से इस विषय पर बात की, हरियाणा के मुख्य मन्त्री से बात की, चण्डीगढ़ में एक कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमन्त्री से बात की और उन्होने भी कहा कि इस विषय पर हमें इक्ठठा होकर के काम करना चाहिए।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

30/08/2018/1650/RG/HK/1

मुख्य मंत्री-----जारी

और मैंने तीन मुख्य मंत्रियों के साथ इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से बात की। मैंने स्वयं सबसे पहले इनिशियेटिव लिया, मैंने कहा कि आप लोग शिमला आइए, हम शिमला में बैठक करेंगे। शिमला में बैठक करने के लिए हम दिन निर्धारित करने लगे, लेकिन इस बरसात के मौसम में हमें लगा कि शिमला आने में दिक्कत हो सकती है, तो मैंने कहा कि मैं चण्डीगढ़ आ जाता हूं। चण्डीगढ़ में हमने 20 तारीख को बैठक रखी। आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसी बैठक का आयोजन इस प्रकार से हुआ। चण्डीगढ़ में बैठक हुई, मुझे उस बैठक में चण्डीगढ़ पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण चौपर वहां नहीं जा सका। मैंने वी.डी.ओ. कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस अढ़ाई घण्टे की बैठक में हिस्सा लिया। उस बैठक में हरियाणा, पंजाब और उत्तराखण्ड के मुख्य मंत्री थे और मैं वी.डी.ओ. कॉन्फ्रेंसिंग में था। दिल्ली के डी.जी.पी और सचिव(गृह), राजस्थान के डी.जी.पी. एवं सचिव(गृह) और चण्डीगढ़ के सारे अधिकारी इत्यादि सबको उस बैठक में बैठाया और बहुत विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई। मैं तो इस बात से हैरान हुआ कि हमारे यहां तो लगभग एक हजार मामले हैं, मुझे इस बात पर थोड़ा सा सन्तोष हुआ, हालांकि सन्तुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है और इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। लेकिन जब हमने पंजाब के मुख्य मंत्री की बात सुनी, तो मैं हैरान हो गया कि 26,000 नौजवान तो वहां नशा-मुक्ति केन्द्र में हैं और 21,000 से अधिक एफ.आई.आर. वहां दर्ज हैं। यह बात ठीक है और माननीय सदस्यों ने भी इस बात का जिक्र किया कि पिछले कुछ अर्से से पंजाब ने इसमें कुछ सख्ती की है और पंजाब की सख्ती का परिणाम इसमें यह हो सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा परिणाम दिखा नहीं क्योंकि इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग देखते हैं कि आसान रास्ता कहां हो सकता है, हमारी सुरक्षा कहां हो सकती है और आराम से रहना कहां हो सकता है, यह सोचकर वे हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ सकते हैं। हमने इस बारे में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की और अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में हमने सर्विलैंस को भी बढ़ाया है और पुलिस की पोस्टिंग को भी हमने बढ़ाने के आदेश किए हैं ताकि कम-से-कम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो। पिछले कुछ अर्से में हमने कुछ ज्वाइंट ऑपरेशन भी किए। यहां रीता धीमान जी बात कह रही थीं कि जो पंजाब के साथ लगता बद्दी, बरोटीवाला का क्षेत्र है, उसमें भी परिणाम सामने आए हैं, वहां काफी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और

30/08/2018/1650/RG/HK/2

इसमें नाइजीरियन भी गिरफ्तार हुए जिनका नशे के मामले में एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह है। वे उससे जुड़े हुए थे। इसलिए यह चिन्ता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, अब यह विषय आता है कि सबसे सॉफ्ट टारगेट इनका क्या है? ये आने वाली जनरेशन को बर्बाद करना चाहते हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ा चिन्ता का विषय है। शौरी जी कह रहे थे कि ठीक है कि एक समय था कि भांग-भांग और भांग का जिक्र बहुत ज्यादा होता था, अफीम का जिक्र होता था, लेकिन आज भांग और अफीम की ज्यादा चर्चा नहीं है। एक समय में शराब की चर्चा ज्यादा होती थी। नशा तो कोई भी ठीक नहीं है और नशा सारा खराब है। भांग का नशा अगर कोई व्यक्ति करता है, तो उसको उसमें ढलने या नशेड़ी बनने के लिए समय लगता है, यानि कि उसकी लत पड़ने में थोड़ा समय लगता है और सेहत के लिए नुकसानदायक तो वह भी है, लेकिन उतना नुकसानदायक नहीं है जितना इस नए शब्द का प्रचलन आया जो पहले पंजाब में प्रचलित हुआ, जिस सफेद चीज को चिट्टा बोलते हैं, वह चिट्टा शब्द हेरोइन है। जो एक ग्राम 6,000/-रुपये में मिलती है। आप कल्पना कर सकते हैं और यह रेट बढ़ता भी जा रहा है। यदि इस चिट्टे का सेवन कोई व्यक्ति 6 या 7 बार कर लेता है, तो वह पूर्ण रूप से इसका ऐडिक्ट हो जाता है। उसके बाद उसको उससे बाहर निकलना बहुत कठिन काम होता है। इससे उसके जीवन का सफर बहुत लंबा नहीं रह जाता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ा चिन्ता का विषय है। भांग को पकड़ने के लिए थोड़ी आसानी हो जाती थी क्योंकि वह थोड़ी बल्की चीज होती थी। वह कहीं-न-कहीं जाकर पकड़ जाती थी। लेकिन यह तो एक छोटी सी पुड़िया है और नशा करने वाला व्यक्ति इसको कहीं भी रखकर आ-जा सकता है, तो उसको पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है।

एम.एस. द्वारा जारी

30/08/2018/1655/MS/YK/1

मुख्य मंत्री जारी----------

इसलिए अध्यक्ष जी, आज सबसे ज्यादा आवश्यकता यह है कि हमें इस सारे कार्यक्रम को एक अभियान के रुप में आगे ले जाना पड़ेगा। यह नशा हमें, हमारे परिवार और समाज को बर्बाद और तबाह कर देगा, यह संदेश आम आदमी के दिल और दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जब हम किसी अभियान को लेकर इस प्रकार से काम में लगते हैं तो उसका असर निश्चित रुप से दिखता है। अगर हम स्वच्छता का जिक्र करें तो स्वच्छता को जब एक अभियान के रुप में देश ने स्वीकार किया कि स्वच्छता घर के अंदर-बाहर और सब जगह होनी चाहिए तो उसके लिए सारा समाज लग गया और उसके परिणाम तब दिखने शुरू हुए। मुझे लगता है कि इस नशे के उन्मूलन के लिए भी हमें उसी तरह से शुरुआत करनी पड़ेगी। यह बात ठीक है कि यह प्रस्ताव ज्यादा शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फोक्स शिक्षण संस्थानों पर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चा 10-11 साल से ऊपर का होता है उस बच्चे की यह ऐसी उम्र होती है जब बच्चा आगे भी जाना चाहता है और उसमें हर चीज को जानने की उत्सुकता भी होती है। इसलिए उस स्टेज पर माता-पिता को बच्चे को बहुत ज्यादा संभालना पड़ता है और वही स्टेज बच्चे के भटकने की, गलत दिशा में जाने की और गलत काम करने की सबसे खराब स्टेज होती है। मैं शिक्षण संस्थानों की बात बाद में करूंगा लेकिन मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले घर से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी कि बच्चा परिवार में किस तरह से रहता है। हमें यह अपने आप देखना पड़ेगा कि बच्चे के व्यवहार में किस तरह के चेंजिज आ रहे हैं यानी इस बात को हमें स्वयं नोटिस करना चाहिए। जैसे बच्चा चार महीने पहले सुबह समय पर उठता था और अब वह देर से उठ रहा है; पहले बच्चा शाम को समय पर घर आता था लेकिन अब वह देर से घर आ रहा है। मुझे लगता है कि मां-बाप होने के नाते हमें यह जिम्मेवारी स्वयं उठानी चाहिए यानी इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि आज के इस दौर में आप यह मानकर चलें कि समय की कमी सभी माता-पिता के पास है क्योंकि आज के समय में सभी कामकाजी हैं। कोई व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कोई नौकरी से जुड़ा हुआ है और कोई मेहनत/मजदूरी करता है। इसलिए उनको बहुत सारी चीजों पर सोचना पड़ता है और यह उसकी व्यस्तता और मजबूरी है। दिन भर की भागदौड़ से घर आकर माता-पिता भी सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें और इन सारी चीजों में क्यों जाएं। अगर बच्चा समय पर आ रहा है तो भी ठीक है यदि नहीं आ रहा है तो भी ठीक है।

30/08/2018/1655/MS/YK/2

इसलिए यह आज की आवश्यकता हो गई है कि आप परिवार के लिए सबकुछ कर रहे हैं तो परिवार में रहने वाला बच्चा क्या कर रहा है उसकी जानकारी भी आपको होनी बहुत आवश्यक है। अतः पहली शुरुआत घर से करने की आवश्यकता है। स्कूलों में भी बच्चों की गतिविधियों के लिए काफी सारे प्रावधानों को जोड़ा गया है और मैं सबका यहां वर्णन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है। पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीजें मोरल एजुकेशन से जोड़ी हुई हैं। उसके साथ-साथ नशा जीवन के लिए नुकसानदायक है यह बात मॉर्निंग असैम्बली में सभी स्कूलों में कभी-न-कभी बताई जाती है। इसके अलावा मोरल एजुकेशन पर अध्यापक समय-समय पर स्कूलों में वर्कशॉप भी करते रहते हैं।

माननीय न्यायालय भी इस बात को कहता है कि इस तरह के प्रावधान शिक्षा में जुड़ने चाहिए। मुझे भी लगता है कि यह बात ठीक है और ऐसे प्रयत्न होने चाहिए। ये हमारे सिलेबस में जुड़ना चाहिए कि नशा नुकसानदायक है। शारीरिक दृष्टि से बच्चा तंदरूस्त होने के लिए उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी चीजें पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए और हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि ये सब हो रहा है तो क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है? यानी सबकुछ होते हुए फिर युवा गलत दिशा की ओर क्यों जा रहे हैं? इसलिए मुझे लगता है कि एक पन्ना जोड़ देना पर्याप्त नहीं है। यह अभियान के रूप में लेने का विषय है।

अध्यक्ष जी, यहां शिक्षा विभाग के बारे में काफी सारी बातों का जिक्र हुआ और मैं मानता हूं कि वे सारी बातें उचित हैं। मुझे लगता है कि इन सारी बातों को राजनीति और अन्य किसी भी चीज से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में एक अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को लेना होगा और ये अभियान जितने भी हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं चाहे वे हमारे हाई स्कूल, जमा-दो के स्कूल, कॉलेजिज और तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं, खासतौर से ऐसे स्थानों पर जाकर हम एक अभियान के रूप में काम करने के लिए निकलें,

जारी श्री जे0के0 द्वारा---

30.08.20128/1700/जेके/वाईके/1

मुख्य मंत्री जारी-----

और उसके लिए मैं सभी माननीय मंत्रियों और विधायकों से आग्रह करता हूं। इसके साथ-साथ जो हमारा माननीय सदन का यह सत्र चल रहा है, इसके पश्चात हम बैठकर इस सारे विषय पर आगे एक प्लॉन बनाने की कोशिश करेंगें। जागरुकता एक बात है और उसके साथ यह खराब चीज है, इसके लिए हम पूरे प्रदेश में, विशेषतौर से शिक्षा संस्थानों में एक अभियान चलाने की कोशिश करेंगें। मैं प्रदेश के सभी बुद्धिजीवियों से, सभी भाई-बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि यह बहुत जरूरी हो गया है और सारा काम छोड़कर भी अगर हमें इस काम में लगना पड़े तो मुझे लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सबसे आवश्यक काम है ।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, मैं उनकी बातों से सहमत हूं । सुझाव के माध्यम से जो बातें आई हैं, मैं मानता हूं कि बहुत बेहतरीन सुझाव दिए गए हैं। नशे का प्रचलन बन्द हो और हमारी आने वाली पीढ़ी ठीक मार्ग पर चले, इसको सुनिश्चित करने के लिए मैं सरकार की ओर से कहना चाहूंगा कि अगर कानून में भी कुछ और सख्ती करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए माननीय सदस्यों की तरफ से सुझाव आए हैं, वह करेंगें। किसी के पास कम क्वांटिटी में नशा मिलता है तो उसका सेवन करने से उस पर उस तरह के कानून का प्रावधान नहीं है, ये सारी चीजें इसमें

जोड़ने की जरूरत है लेकिन मैं मानता हूं कि यह हिमाचल प्रदेश विधान सभा के कार्यक्षेत्र का ही विषय

30.08.20128/1700/जेके/वाईके/2

नहीं है, केन्द्र सरकार से भी जुड़ा हुआ विषय है और इसकी अन्तिम स्वीकृति केन्द्र से मिलती है लेकिन खुले मन से, अगर इसमें कानून को सख्त करने की भी आवश्यकता महसूस होती है और आज की तारीख में हम महसूस भी कर रहे हैं, इस पर भी हम गम्भीरता से विचार करेंगें। सभी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, वे बहुत बेहतरीन हैं और आने वाले समय में इन सारी चीजों को ठीक करने की दृष्टि से हम सामुहिक रूप से मिल कर काम करेंगें, ऐसा मैं आहवान करता हूं, निवेदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, समय हो गया है इसलिए मैं भी अपनी बात को समाप्त करता हूं।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के दृष्टिगत क्या माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी अपना संकल्प वापिस लेने को तैयार हैं?

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे मैं संतुष्ट हूं और अपना संकल्प वापस लेता हूं।

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प को वापस लिया जाए?

संकल्प वापिस हुआ।

30.08.20128/1700/जेके/वाईके/3

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह जी अपने संकल्प को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कृपया शीघ्रता से करें।

श्री बलवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में Co-operative bank व Societies में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।"

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, 31 अगस्त, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 30 अगस्त, 2018 **सचिव।**